खण्ड ६—अंक ३४
१ सितम्बर, १९५६ (शनिवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(XIII Session)

(खण्ड ६ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

पच्चीस नये पैसे (देश में)

१ शिलिंग (विदेश में)

236 L. S. D./56.

विषयसूचि

(भाग १—खंड ६—अंक २१ से ४०—१३ अगस्त से ८ सितम्बर, १९५६)

पृष्ठ

अंक २१—सोमवार, १३ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९४ से १००४, १००६ से १००८, १०१० से १०१२ १०१५, १०१६, १०१८, १०१९, १०२१, १०२२, १०२५ और १०२६ . . . . . ६०१–२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १००५, १००९, १०१३, १०१४, १०१७, १०२०, १०२३, १०२४, १०२७ से १०२९ और १०३१ से १०४९ ९२३–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०४ से ६११ और ६१३ से ६५२ . . ९३४–४९

दैनिक संक्षेपिका ९५०–५३

अंक २२—मंगलवार, १४ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५०, १०५१, १०५३, १०५४, १०५६ से १०५८, १०६०, १०६१, १०६४, १०६५, १०६७, १०६८, १०७१ से १०७५ १०७७ से १०७९ और १०८१ . . . . ९५५–७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५२, १०५५, १०५९, १०६२, १०६३, १०६६, १०६९, १०७०, १०७६, १०८०, १०८२ से १११३ और ७७७ . . . . . ९७५–९१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५३ से ६७९ . . . ९९१–१००

प्रश्नों के उत्तरों की शुद्धि १०००

दैनिक संक्षेपिका १००१–०४

अंक २३—गुरूवार, १६ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११४, १११६ से ११२० ११२२ से ११२८, ११३२ से ११३८, ११४०, ११४२ से ११४४ और ११४७ . . १००५–२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११५, ११२१, ११२७, ११२९, से ११३१, ११३९ ११४१, ११४५, ११४६ और ११४८ से ११६१ . . १०२५–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७३० . . . . १०३४–६०

दैनिक संक्षेपिका १०६१–६४

पृष्ठ

अंक २४—शुक्रवार, १७ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६३ से ११६९, ११७१, ११७२ और ११७४ से ११८४ . . . . . १०६५–८६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ और १० . . . . १०८६–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६२, ११७०, ११७३, ११८५ से ११९१ और ११९३ से १२०३ . . . . . १०८८–९४

अतारांकित प्रश्न संख्या ७३१ से ७३९ और ७४१ से ७६९ . . १०९५–११०६

दैनिक संक्षेपिका ११०७–०९

अंक २५—सोमवार, २० अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०८, १२११, १२१४, १२१६, १२१७, १२१९, १२२४, १२२५, १२२८ से १२३४, १२३७ से १२४० और १२४४ . ११११–३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०४ से १२०७, १२०९, १२१०, १२१२, १२१३ १२१५, १२१८, १२२० से १२२३, १२२६, १२४२, १२४३ और १२४५ से १२५३ . . . . . ११३२–४०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७० से ८०५ और ८०७ . . ११४०–५३

दैनिक संक्षेपिका ११५४–५७

अंक २६—बुधवार, २२ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५४ से १२५६, १२५८ से १२६०, १२६२, १२६३ १२६५, १२६७, १२६९ से १२७२, १२७४, १२७५ और १२७८ से १२८० . . . . . ११५९–७९

अल्प सूचना प्रश्नसंख्या ११ . . . . ११८०–८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५७, १२६१, १२६४, १२६६, १२६८, १२७३, १२७६, १२७७, १२८१ से १२९१, १२९३ से १३०० और ११९२ . . . . . ११८२–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या ८०८ से ८२० और ८२२ से ८५५ . ११९०–१२०४

दैनिक संक्षेपिका १२०५–०७

पृष्ठ

अंक २७—गुरूवार, २३ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०१ से १३०५, १३०७, १३११, १३१२, १३१६, १३१३, १३१९, १३२२ से १३२५, १३२७, १३४० और १३२९ से १३३२ . . . . . १२०९–२८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . १२२९–३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०६, १३०९, १३१०, १३१४, १३१५, १३१७ १३१८, १३२०, १३२१, १३२६, १३२८, १३३३, से १३३८, १३४१ और १३४२ . . . . . १२३१–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ८५६ से ८८४ . . १२३७–४९

दैनिक संक्षेपिका १२५०–५२

अंक २८—शुक्रवार, २४ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३४३ से १३४८, १३५० से १३५२, १३५५, १३५७, १३६०, १३६१, १३६४, १३६५, १३६८, से १३७२ और १३७४ से १३७७ . . . . . १२५३–७५

कुछ आपत्तिजनक बातों के बारे में अध्यक्ष के विचार . १२७५–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३४९, १३५३, १३५४, १३५६, १३५८, १३५९ १३६२, १३६३, १३६६, १३६७, १३७३ और १३७८ से १३९७ . १२७७–८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ८८९ और ८९१ से ९३३ . . १२८६–१३०३

दैनिक संक्षेपिका १३०४–०७

अंक २९—शनिवार, २५ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९८, १४००, १४०१, १४२८, १४०२ से १४०५ १४०७, १४०९ से १४१२, १४१५, १४१८ और १४१९ १३०९–२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९९, १४०६, १४०८, १४१३, १४१४, १४१६ १४१७, १४२० से १४२७ और १४२९ से १४४९ . १३२८–३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३४ से १०१२ . . . १३३९–७०

दैनिक संक्षेपिका १३७१–७५

पृष्ठ

अंक ३०—सोमवार, २७ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५२, १४५४ से १४५९, १४६१ से १४६५, १४७०, १४७१, १४७३, १४७५ से १४७७, १४७९ और १४८० . १३७७–९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ और १४ . . १३९९–१४०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५०, १४५१, १४५३, १४६०, १४६६ से १४६९ १४७२, १४७४, १४७८ और १४८१ से १४८९ . . . १४०३–१०

अतारांकित प्रश्न संख्या १०१३ से १०३३ और १०३५ से १०६१ . १४१०–२७

दैनिक संक्षेपिका १४२८–३०

अंक ३१—मंगलवार, २८ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४९०, १४९२, १४९१, १४९३, १४९४, १४९६ से १५००, १५०२, १५०७ से १५०९, १५१२ और १५१३ . . १४३१–५१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५ . . . . . १४५१–५३

अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर में सभा-पटल पर रखे गये विवरण के बारे में १४५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४९५, १५०१, १५०३ से१५०६, १५१०, १५११ १५१४ से १५२० और १५२२ से १५३२ . १४५३–६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १०६२, १०६३, १०६५ से १०६९, १०७१ से १०७३ और १०७५, से १०८५ . . . . १४६२–६९

दैनिक संक्षेपिका १४७०–७३

अंक ३२—गुरुवार, ३० अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३४, १५३६, १५३७, १५३९ से १५४५, १५५२ १५५३, १५५८ से १५६१, १५६३, १५६४ और १५६६ से १५६८ १४७५–९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३३ १५३५, १५३८, १५४६ से १५५१, १५५४ से १५५७, १५६५, १५६९ से १५८१ और १५८३ से १५८५ . १४९७–१५०७

अतारांकित प्रश्न संख्या १०८६ से ११७४ . . . १५०७–३९

दैनिक संक्षेपिका १५४०–४५

पृष्ठ

अंक ३३—शुक्रवार, ३१ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५८६ से १५९२, १५९४ से १६०१, १६०३, १६०४, १६०६ १६०८, १६०९ और १६१२ . . . १५४७–६९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६ . . . . १५६९–७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५९३, १६०२, १६०५, १६०७, १६१०, १६११ और १६१३ से १६२९ . . . . १५७१–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या ११७५ से १२११ . . . १५७९–९३

दैनिक संक्षेपिका १५९५–९७

अंक ३४—शनिवार, १ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६३० से १६३९, १६४३, १६४४, १६४६ से १६४८ १६५०, १६५३, १६५४, १६५६, १६५७ और १६६०से १६६२ १५९९–१६२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६४० से १६४२, १६४५, १६४९, १६५१, १६५२ १६५५, १६५८, १६५९ और १६६३ से १६८१ . . १६२१–३०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७ . . . . १६३०–३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १२१२ से १२५० . . . १६३१–४३

दैनिक संक्षेपिका— १६४४–४६

अंक ३५—सोमवार, ३ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८२ से १६८७, १६८९ से १६९४, १६९६, १६९८ से १७०१ और १७०३ से १७०७ . . . १६४७–६९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८ और १९ . . . . १६६९–७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८८, १६९५, १६९७, १७०२, १७०८ से १७२१ १६७३–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या १२५१ से १२८७ . . . १६ ८–९

दैनिक संक्षेपिका १६९४–९६

पृष्ठ

अंक ३६ —मंगलवार, ४ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७२२ से १७३०, १७५२, १७३३ से १७३५, १७३७ से १७४० और १७४२ से १७४४ . . . १६९७–१७२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७३२, १७३६, १६४१, १७४५ से १७४७, १७४९ से १७५१, १७५३ से १७६१ और १७६३ से १७६८ . . १७२०–२९

अतारांकित प्रश्न संख्या १२८८ से १३२९ . . . १७२९–४१

दैनिक संक्षेपिका १७४२–४५

अंक ३७—बुधवार, ५ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७६९ से १७७८, १७८० से १७८३, १७८५, १७८६ और १७८८ से १७९१ . . . १७४७–६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७७९, १७८४, १७८७, १७९२ से १७९७ और १७९९ से १८१४ . . . . . १७६९–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३३० से १३६७ . . . १७७८–९५

दैनिक संक्षेपिका— १७९६–९९

अंक ३८—गुरुवार, ६ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८१५ से १८२१, १८२५, १८२६, १८२९, १८३० और १८३२ से १८३६ . . . . १८०१–२०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २० . . . . १८२०–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८२२ से १८२४, १८२७, १८२८, १८३१, १८३७ से १८६३ और १८६५ से १८६९ . . . १८२२–३३

अतारांकित प्रश्न संख्या १३६८ से १४१९ . . . १८३३–५२

दैनिक संक्षेपिका १८५३–५६

पृष्ठ

अंक ३९—शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८७०, १८७२ से १८७९, १८८२ से १८८६ और १८८८ से १८९३ . . . १८५७–७८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८७१, १८८०, १८८७ और १८९४ से १९०३ . १८७९–८३

अतारांकित प्रश्न संख्या १४२० से १४४९ . . १८८३–९३

दैनिक संक्षेपिका — . . . १८९४–९६

अंक ४०—शनिवार, ८ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९०४, १९०९ से १९१२, १९१४ १९१६, १९१८ १९१९ १९२१, १९२४ से १९२७ और १९३० से १९३४ . १८९७–१९१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९०५ से १९०८, १९१३, १९१५, १९२०, १९२२ १९२३, १९२८, १९३५ से १९४१, १९४३ और १९४४ . १९१८–२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १४५० से १४७९ और १४८१ से १४८८ . १९२४–३८

दैनिक संक्षेपिका १९३९–४१

भा० स० मु० ना० —वि०३—२४२ लोक सभा ५६—२३-४-५८—१९०

लोक-सभा

शनिवार, १ सितम्बर, १९५९

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सीमान्त हमले

†*१९३०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान द्वारा १ फरवरी १९५६ से किये गये हमलों के फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रजनों के जीवन और सम्पत्ति को पहुंची हानि के लिये प्रतिकर की कोई मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका क्या परिणाम निकला ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) एक मामले में प्रतिकर की मांग की गयी है ।

(ख) हम अभी भी पाकिस्तान सरकार के उत्तर की राह देख रहे हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : भारत सरकार ने कितने मामलों के सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार को लिखा है, और उससे कितने मामलों के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त हो चुके हैं ?

†**श्री सादत अली खां** : हमने सभी मामलों के सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार को लिखा है । लेकिन इनमें से कुछ मामलों के सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार से अभी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । मैं कह सकता हूं कि तीन मामलों में पाकिस्तान सरकार की ओर से अभी उत्तर आने शेष हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या पाकिस्तान सरकार ने भी जहां तक कि भारतीय सीमान्त का सम्बन्ध है अपने राष्ट्रजनों के जीवन और उनकी सम्पत्ति की हानि के लिये कुछ धन राशियों के दावे किये हैं?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं प्रश्न को समझ नहीं सका हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य थोड़ी ऊंची आवाज में अपना प्रश्न दोहरा दें । मैं भी प्रश्न नहीं सुन सका हूं ।

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मुझे बताया गया है कि पाकिस्तान द्वारा किये गये हमलों के फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रजनों के जीवन और उनकी सम्पत्ति को हुई हानि के लिये भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को प्रतिकर के लिये लिखा है। मैं जानना यह चाहता हूं कि जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है क्या पाकिस्तान सरकार ने भी प्रतिकर के लिये ऐसा ही कोई दावा किया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इनमें से अधिकांश हमले इस प्रकार के हैं कि वहां के कुछ नागरिकों ने यहां आकर उत्पात किया और मवेशी आदि की चोरियां की हैं। ऐसे मामलों में सामान्यतया प्रतिकर मांगने का कोई प्रश्न नहीं उठता। लेकिन, ऐसी सीमान्त घटनाएं, या जो भी नाम उन्हें दिया जाये, दोनों ही ओर से होती हैं और दोनों ही की ओर से प्रतिकर के दावे किये जाते हैं। स समय मुझे स्मरण नहीं है कि पाकिस्तान सरकार ने किसी अवसर विशेष पर कोई वित्तीय दावा किया है या नहीं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या पाकिस्तान सरकार ने अभी तक भारतीय राष्ट्रजनों के जीवन की हानि के सम्बन्ध में भारत सरकार को उसके किसी दावे का भुगतान किया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरे सहयोगी ने अभी अभी बताया है कि भारत सरकार ने एक मामले में प्रतिकर का दावा किया है, और उसके सम्बन्ध में अभी पत्र व्यवहार चल रहा है । इसके अतिरिक्त, निकोवाल की घटना जिसके सम्बन्ध में बिल्कुल अलग से कार्यवाही की गयी है, के सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार ने प्रतिकर के हमारे दावे को नामंजूर करते हुए उसके फलस्वरूप मृत व्यक्तियों के आश्रितो को प्रसादत: १,००,००० रुपये का भुगतान किया है ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : इस वर्ष में पाकिस्तान की ओर से कुल कितने हमले किये गये हैं?

†**श्री सादत अली खां** : १ फरवरी से आरम्भ होनें वाली अवधि में अभी तक भारतीय राज्य क्षेत्र पर १४९ हमले हुए ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं कुछ और स्पष्टीकरण कर दूं। मैं पहले बता चुका हूं कि इनमें से अधिकांश हमले इस प्रकार के थे कि कुछ नागरिकों ने यहां आकर फसलों, मवेशियों या इसी तरह की कुछ चीजों की चोरियां की थीं ।

खाने के काम आने वाले तेल

† *१६३१. **श्री डाभी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाने के योग्य तेलों की देश की कम से कम वार्षिक जरूरत कितनी है ;

(ख) किस सीमा तक खाने के योग्य तेलों का उत्पादन देश की कम से कम वार्षिक जरूरत से कम रहता है?

(ग) जब तक इस सम्बन्ध में देश की कम से कम जरूरतें पूरी नहीं होतीं, क्या सरकार ने इन खाने के योग्य तेलों अथवा तिलहन के निर्यात को बन्द करने के औचित्य पर विचार किया है ?

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) ठीक आंकड़े तो प्राप्त नहीं है। आहार पोषण मंत्रणा समिति द्वारा प्रति व्यक्ति के हिसाब से तेल की खपत का जो अनुमान लगाया है उस के आधार पर यह लगभग ६० लाख टन प्रति वर्ष होता है ।

(ख) लगभग ४६ लाख टन ।

(ग) फसल की स्थिति, आन्तरिक आवश्यकताओं और मूल्यों के उतराव चढ़ाव का अनुमान लगा कर, तेलों और तिलहनों की नियन्त्रित किस्मों के निर्यात की मात्रा का निश्चय किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में ।

†**श्री डाभी** : क्या मैं जान सकता हूं कि निर्यात की गयी मात्रा को निकाल कर किस सीमा तक खाने योग्य तेल की उपलब्ध मात्रा वार्षिक जरूरतों से कम रह जाती है ?

†**श्री काननगो** : जैसा कि आपने देखा कि देश का कुल उत्पादन कुल जरूरतों से बहुत कम है जैसा कि मैंने कहा कि व्यापार अन्तर को बनाये रखने के लिये निर्यात जारी रखना पड़ रहा है ।

†**श्री अ० म० थामस** : क्या मैं जान सकता हूं कि लंका से आयात किये गये नारियल के तेल का देशी नारियल के तेल के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा ह और क्या सरकार बाजार में नारियल के तेल के मूल्य के गिर जान के कारण अपनी आयात सम्बन्धी नीति का पुनरीक्षण करने का विचार रखती है ?

†**श्री कानूनगो** : मुझे इस समय मूल्यों का ठीक पता नहीं है । जहां तक पुनरीक्षण का प्रश्न है, मामल पर प्रति मास विचार किया जाता है ।

†**श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन्** : क्या मैं जान सकती हूं कि खाने योग्य तेल की कमी का कारण तेल की कुछ मात्रा के इस देश म साबुन बनाने पर खर्च हो जाना है ?

†**श्री कानूनगो** : जैसा कि मैंने कहा है कि हमारा तिलहनों का उत्पादन ५५ लाख टन है और दो औंस प्रति दिन के आधार पर कुल जरूरत १५० लाख टन होती है ।

†**श्री बर्मन** : क्या माननीय मंत्री को पता है कि हाल ही में खाने योग्य तेल विशेषत: सरसों के तेल का मल्य बहुत चढ़ गया है और यदि हा, तो इसके कारण क्या हैं ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए मंत्री महोदय तिलहन के निर्यात को बन्द करने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

†**श्री कानूनगो** : सरसों के तेल और दुआं के तेल के बीजों के निर्यात पर रोक लगा दी गयी है और इससे मूल्यों पर अच्छा प्रभाव पड़ा है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : जैसा कि कहा गया है कि उत्पादन और जरुरत में बहुत अधिक अन्तर है, तो मैं जानना चाहता हूं कि वास्तविक जरूरत और इस अन्तर को पूरा करने के लिये सरकार अगले वर्ष में क्या करने की प्रस्थापना करती ह ?

†**श्री कानूनगो** : यह भी एक ऐसा मामला है जिस पर योजना आयोग ने विचार किया है और तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के सम्बन्ध में कई सुझाव दिये गये हैं ।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** : खाने योग्य तेलों पर उत्पादन कर लगाने के सम्बन्ध में गत बजट सत्र में यह कहा गया था कि इस को उपभोक्ता पर नहीं डाला जायेगा । अब इसे उपभोक्ता पर डाल दिया गया है । क्या मै जान सकता हूं कि मूल्यों में हुए नये चढ़ाव को देखते हुए इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री कानूनगो** : मैं इस सुझाव से सहमत नहीं हूं कि इसे उपभोक्ता पर डाल दिया गया है, यह ठीक है कि विभिन्न कारणो और कार्यवाहियों के कारण तिलहनों के मूल्यों में उतार चढ़ाव अवश्य हुआ है ।

शरणार्थी कैम्पों का बस्तियों में बदला जाना

†*१६३२. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्थापित समिति ने जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार के अधिकारी थे, और जिसे वर्तमान शरणार्थी कैम्पों को बस्तियों में बदल दिये जाने की सम्भावना और इसकी आर्थिक उपलक्षणाओं पर विचार करने के लये नियुक्त किया गया था, कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है ;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो उस समिति द्वारा कितने ऐसे कैम्पों का दौरा किया गया था; और,

(ग) कितनें कैम्पों के बस्तियों में बदले जाने की सिफारिश की गयी है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री ज० कृ० भोंसले)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) अब तक समिति ने १९ कैम्पों का दौरा किया है ।

(ग) अब तक की गयी जांच के आधार पर चार कैम्पों को बस्तियों में बदले जाने योग्य समझा गया है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस समय चालू कैम्पों की संख्या क्या है और प्रत्येक की जनसंख्या क्या है ?

†**श्री ज० कृ० भोंसले** : १५ जुलाई तक कैम्पों की कुल संख्या १५७ है और जनसंख्या २,५४,६९० है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या जिन अनधिकृत शरणार्थी बस्तियों को सरकार द्वारा नियमित कर दिया गया है, उनका दौरा भी इस परिवर्तन के सम्बन्ध में समिति के द्वारा किया जायेगा ?

†**श्री ज० कृ० भोंसले** : इन अनधिकृत शरणार्थी बस्तियोंको बस्तियों में परिवर्तित करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि इन अनधिकृत शरणार्थियों ने स्वयं अपने घर या झोंपड़े, जसी भी स्थिति है, बना लिये हैं,जब कि नयी बस्तियां बसानें में चार पांच आधारों पर सरकार को यह सोचना आवश्यक है कि बस्तियां बनायी जायें अथवा न बनायी जायें । लेकिन अनधिकृत शरणार्थी बस्तियों में जहां भी आवश्यक हुआ हम कई एक सुविधाओं की व्यवस्था अवश्य करेंगे ।

बुनियादी ऊष्मरोधक[1]

† *१६३३. **श्री राम कृष्ण**: क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि सरकार बुनियादी ऊष्मरोधक बनाने के लिये एक और कारखाना स्थापित करने की प्रस्थापना करती है ;

(ख) यदि हां तो निर्वाचित स्थान का नाम क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कुल व्यय कितना किया जाना है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)**: (क) बुनियादी ऊष्मरोधक बनाने का एक कारखाना प्रस्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) और (ग). योजना के ब्योरों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है ।

†**श्री राम कृष्ण** : क्या मैं इन कारखानों का वार्षिक उत्पादन जान सकता हूं ?

†**श्री म० म० शाह** : इन कारखानों का वार्षिक उत्पादन २·८ लाख टन है और प्रस्तावित कारखानों का उत्पादन कोई ३० हजार टन होगा ।

कोयले का निर्यात

† *१६३४. **श्री झूलन सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के निर्यात को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिये नियुक्त की गयी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के स्वीकार कर लिये जाने के परिणाम स्वरूप कोयले की निर्यात की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है ; और

(ख) यदि हां तो किस सीमा तक ?

---

† मूल अंग्रेजी में ।

[1]Refractories.

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). निर्यात में सुविधायें प्रदान करने पर भी उसके यथार्थ परिमाण में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

†**श्री झूलन सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि कितनी सिफारिशें स्वीकार और कितनी अस्वीकार की गयी हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : समिति की कोई पांच सिफारिशों को स्वीकार किया गया है; एक पर विचार किया जा रहा है, और दो सिफारिशों को स्वीकार करना संभव नहीं हो सका है।

†**श्री बोस** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि निकट भविष्य में स्थापित किये जाने वाले लोहे के कारखानों के लिये देश को कोयले की अत्यधिक परिमात्रा की आवश्यकता होगी, मैं जानना चाहता हूं कि भारत से कोयले के निर्यात के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : आन्तरिक आवश्यकताओं का सदैव ही ध्यान रखा जाता है ; परन्तु फिर भी विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिये कुछ मात्रा का निर्यात करना आवश्यक होता है।

†**श्री मात्तन** : माननीय उपमंत्री यह जानते हैं कि कलकत्ते की बन्दरगाह में माल की अधिकता होती जा रही है, इसलिये क्या वह कोयले के निर्यात के लिये हुगली नदी के पश्चिम में एक पृथक् बन्दरगाह बनाने के विश्व बैंक मिशन के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : यह प्रश्न परिवहन मंत्री से पूछा जाना चाहिये।

भारतीय उत्प्रवास अधिनियम

† *१६३५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उत्प्रवास अधिनियम १९२२ के उपबन्धों को १९५५ में सख्ती से लागू किया गया था और १९५६ में भी उन्हें लागू किया जा रहा है;

(ख) क्या प्रवीण श्रमिकों के सम्बन्ध में कोई अपवाद किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को विदेशों को भेजा गया है ?

†**वैदेशिक कार्य-मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) हां।

(ख) इस प्रकार का कोई अपवाद नहीं किया गया है। अधिनियम में यह व्यवस्था है कि प्रवीण श्रमिकों को इसमें निर्धरित कुछ औपचारिकताओं के पूरा किये जाने पर उत्प्रवास की अनुमति दी जा सकती है।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या मैं जान सकता हूं कि मलाया को उत्प्रवास बन्द हो गया है, और यदि हां तो क्या भारतीय दूसरे देशों को जा रहे हैं ?

†**श्री सादत अली खां** : हां, वह अधिकतर मध्यपूर्व के देशों को जाते हैं, जहां वे तेल कम्पनियों में काम करते हैं।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या डाक्टरों और इंजिनियरों को इस अधिनियम से अपवर्जित किया गया है ?

†**श्री सादत अली खां** : डाक्टरों और इंजिनियरों को, जिन्हें अत्यधिक प्रवीण कर्मचारी माना जाता है, साधारणतया भारतीय उत्प्रवास अधिनियम के क्षेत्राधिकार से अपवर्जित किया जाता है।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : प्रवीण कर्मचारियों की भर्ती के सम्बन्ध में स्थिति क्या है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

†**श्री सादत अली खां :** प्रवीण कर्मचारियों की भर्ती भारतीय उत्प्रवास अधिनियम के उपबन्धों को अनुसार की जाती है। जिस व्यक्ति को प्रवीण कर्मचारियों को सेवायुक्त करना होता है उसे या उसके अभिकर्ता को एक निर्धारित प्रश्न पर एक प्रार्थना पत्र जिस बन्दरगाह पर उतरना हो वहां के कार्यालय में देना होता है, और वह यह देख कर कि दी गई शर्तें सन्तोषप्रद हैं अपेक्षित अनुमति देता है ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या मैं जान सकता हूं कि कुछ उन प्रवीण कर्मचारियों को जो कि ईरान की खाड़ीके स्थान कुवैत से वापिस आये हैं वपिस जाने की अनुमति क्यों नहीं दी गयी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह सामान्य बात है अथवा किसी व्यक्तिगत मामलों का उल्लेख है ?

†**श्री ब० स० मूर्त्ति :** सामान्य रूप से यही बात है ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : यदि माननीय सदस्य किसी खास मामलों की ओर ध्यान आकृष्ट करायें तो मैं उसकी जांच करूंगा ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न देशों के लिये कुछ अंश निर्धारित किये गये हैं? क्या गत वर्ष यह समूचे अंश पूरे हो गये थे और क्या यह सच है कि कई लोगों को दूसरे देशों को उत्प्रवास के लिये पासपोर्ट नहीं दिये गये थे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : क्या माननीय सदस्य मलाया अथवा किसी और देश का उल्लेख कर रहे हैं ?

†**सरदार इकबाल सिंह** : मैं मलाया का उल्लेख कर रहा हूं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमारी नीति वास्तव में भारतीयों को मलाया जाने से रोकने की रही है । मलाया की सरकार भारत से भर्ती करने को बहुत इच्छुक थी, परन्तु विभिन्न कारणों से हमने उसे बन्द कर दिया, कुछ प्रवीण कर्मचारियों के अतिरिक्त जिन्हें विशेष हालात में अनुमति प्रदान की गयी उन की भर्ती रोक दी गयी । उनका कोई अभ्यंश निर्धारित करने का कोई प्रश्न नहीं है, यह तो हमको निश्चय करना है कि भारतीय विदेशों में जाये या न जाये ।

राष्ट्रीय निर्माण निगम

† *१६३६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि निर्माण कार्य में मितव्ययता करने और निर्माण कार्यक्रमों में शीघ्रता करने के लिये एक राष्ट्रीय निर्माण निगम की स्थापना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय निर्माण निगम स्थापित करने के प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है । इस समय योजना के ब्योरों, जैसे प्रस्तावित निगम के संस्था अन्तर्नियमों और संस्था के ज्ञापन को तैयार किया जा रहा है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या इसके लिये नियुक्ति की गयी तदर्थ समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ?

†**श्री हाथी** : जी हां ।

†**डा० रामा राव** : क्या इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया है कि यह निगम एक स्वायत्त-शासी निकाय होगा ।

†**श्री हाथी** : जी हां, वह एक स्वायत्त-शासी निगम होगा और उसमें भाग लेने वाले राज्यों तथा श्रमिकों के कुछ प्रतिनिधि होंगे । वही निकाय नदी घाटी परियोजनाओं के निष्पादन का कार्य करेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**डा० रामा राव** : क्या सरकार इस निगम को परीक्षण के तौर पर कुछ ठेके यथाशीघ्र देने का विचार करती है ?

†**श्री हाथी** : वास्तव में हमारा यही विचार है । हमें कुछ राज्यों की सहमति और स्वीकृति प्राप्त होते ही सरकार का विचार इस निर्माण निगम को कुछ काय दे कर इसके कार्य-करण को देखने का है ।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** : क्या यह निगम कर्मचारियों को स्थायी तौर पर सेवायुक्त करेगा, और यदि हां तो केवल प्रवीण कर्मचारियों को, या अप्रवीण कर्मचारियों को भी ?

†**श्री हाथी** : इस निगम में प्रविधिक कार्य करने वाले कर्मचारी रहेंगे और वे स्थायी कर्मचारी होंगे । जहां तक अप्रवीण श्रमिकों का सम्बन्ध है, वह तो उस स्थान विशेष पर ही निर्भर होगा । वे स्थायी नहीं होंगे, क्योंकि उसे स्थान स्थान पर अपने कार्य की शक्ल को परिवर्तित करना पड़ेगा ।

†**श्री अ० म० थामस** : कुछ परियोजनाओं में तो फालतू कर्मचारी हैं, और कुछ परियोजनाओं में कर्मचारियों का अभाव है । कुछ अन्य परियोजनाओं में छंटनी की जाने वाली है । क्या यह निगम ऐसे प्रश्नों के सम्बन्ध में भी कार्यवाही करेगा ?

†**श्री हाथी** : वास्तव में इस निगम की स्थापना के विचार के पीछे यह भी एक उद्देश्य था । यह निगम तो निरन्तर ही निर्माण-कार्यों को निष्पादित करता रहेगा, और यह शायद कुछ हद तक फालतू कर्मचारियों की समस्या को भी सुलझा सकता है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : इस तदर्थ समिति के प्रतिवेदन की मुख्य मुख्य विशेषतायें क्या हैं ? क्या सरकार ने इस प्रतिवेदन की सभी बातों को स्वीकार कर लिया है, या उसकी कुछ ही बातें को स्वीकार किया है ?

†**श्री हाथी** : सरकार ने उसकी सभी बातों को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है । समिति को केवल कुछ ही विषय सौंपे गये थे, अर्थात् यह कि क्या यह एक समवाय होना चाहिये, या एक निगम, उसकी रचना क्या होनी चाहिये, कार्य किस प्रकार का होना चाहिये, और यह भी कि निगम को किस प्रकार से कार्य दिया जाना चाहिये, इत्यादि । ये सभी प्रश्न इस तदर्थ समिति को सौंपे गये थे ।

सजगता अधिकारी

†*१६३७. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सजगता अधिकारी की नियुक्ति के बाद से मंत्रालय, उससे संलग्न कार्यालयों और अधीनस्थ कार्यालयों के कार्य-करण में कोई सुधार हुआ है; और

(ख) भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं के लिये कितने अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री के सभा-सचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) जी हां । अनुशासन सम्बन्धी मामले और शिकायतों को शीघ्रता से निबटाने में काफी सुधार हुआ है । साथ ही भ्रष्टाचार के अवसर न मिलने देने के उद्देश्य से, मंत्रालय में विभिन्न संगठनों की कार्य प्रणाली को अधिक कड़ा बनाया गया है ।

(ख) सजगता संगठन ने अपनी स्थापना से अब तक भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं के ३५२ मामलों के सम्बन्ध में कार्यवाही की है । इन मामलों में १५ अधिकारी भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या इन सभी मामलों की सूचना कुछ व्यक्तियों द्वारा दी गयी थी, उनकी शिकायतों को देखकर इनका पता चलाया गया था, या सजगता अधिकारियों न स्वयं ही इनका पता चलाया था ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : कुछ मामलों का पता तो शिकायतों को देखकर लगाया गया था, और कुछ का पता तो सजगता अधिकारियों द्वारा किये गये कार्य के परिणामस्वरूप ही लगा था ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : सजगता अधिकारियों द्वारा कितने मामलों का पता लगाया गया ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : मैं बिना देखे अभी आंकड़ नहीं बता सकता । इस प्रश्न के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या किन्हीं अधिकारियों के विरुद्ध फौजदारी मामले भी चलाये गये हैं ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : मैं अधिकारियों के विरुद्ध चलाये गये फौजदारी मामलों की ठीक ठीक संख्या नहीं बता सकता। लेकिन हमने विभागीय अनुशासनीय कार्यवाही के रूप में पर्याप्त दंड दिया है। कुछ मामलों में फौजदारी की कार्यवाही भी की गई है, लेकिन मैं उनकी ठीक-ठीक संख्या नहीं बता सकता ।

भारत साध-समाज

***१६३८. श्री वीरस्वामी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत साधु-समाज देश के किन-किन भागों में देश की योजनाओं को पूरा करने में अपना सहयोग प्रदान कर रहा है; और

(ख) उसका सहयोग प्राप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). "भारत साधु-समाज" एक गैर सरकारी संस्था है जो संपूर्ण देश में विकास तथा निर्माण कार्यों के लिये साधुओं को संगठित करने में दिलचस्पी रखती है। ज्ञात होता है कि यह समाज, जो भारत सरकार के लिये जिम्मेवारि नहीं है इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये स्कीम (योजना) तैयार कर रहा है। इस बारे में जब प्रस्ताव प्राप्त होंगे तो साधुओं का सहयोग प्राप्त करने के ध्येय से सरकार उन पर उचित विचार करेगी ।

†**श्री वीरस्वामी** : वे साधु जो जानते ही नहीं कि काम करना क्या होता है और जो पूर्ण रूप से समाज पर आश्रित हैं, वे किस प्रकार से पंच वर्षीय योजना की कार्यान्वित में सहायता दे सकते है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : यह एक बड़ी विचित्र सी धारणा है कि वे कोई काम करना ही नहीं जानते हैं ।

†**श्री वीरस्वामी** : हमारे देश की प्रगति के लिये वे किन योजनाओं को कार्यान्वित करने जा रहे हैं ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : मैं उनके कार्यक्रम के कुछ विषयों को एक मोटे तौर पर बता सकता हूं। उस कार्यक्रम में भ्रष्टाचार-विरोधी आन्दोलन, मिलावट विरोधी आन्दोलन, पशु विकास, नैतिक उत्थान और इसके बाद भजन, कीर्तन आदि भी सम्मिलित हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** इस साधु-समाज की सहायता कितनी है और यह संख्या हमारे देश के साधुओं की कुल संख्या की कितनी प्रतिशत है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** उनकी ठीक-ठीक संख्या तो मैं नहीं बता सकता लेकिन मेरी अपनी धारणा यह है कि उनकी संख्या कोई छैः या सात लाख है; लेकिन इस बात को तो भविष्य ही बता सकेगा कि उनमें स कितने इस संगठन में सम्मिलित होंगे।

†**श्रीमती अ० काले :** इस समाज पर कितना धन खर्च किया जा रहा है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** सरकार द्वारा इस समाज पर कोई भी धन राशि खर्च नहीं की जा रही है।

†**श्री पुन्नूस :** क्या यह सच है कि उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि बिना श्रम किये वे भोजन नहीं किया करेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय :** बिना श्रम किये भोजन नहीं करेंगे ? अगला प्रश्न।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** बिना श्रम कोई मजूरी नहीं। सिद्धांत यह है।

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** मुझे इस प्रतिज्ञा के बारे में कोई जानकारी नहीं है.....

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

†**श्री वीरस्वामी :** सरकार से उन्होंने कितनी धन राशि मांगी है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने अगले प्रश्न के लिये कहा है।

†**श्री वीरस्वामी :** उन्होंने ३० करोड़ रुपये की मांग की है। समाचार पत्रों में तो यही समाचार छपा है।

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति। मैंने अगले प्रश्न के लिये कहा है।

अधिकारियों द्वारा सड़क निर्माण

†*१६३९. **श्री गिडवानी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के सभी भागों के लगभग ८९ अधिकारियों ने कुरुक्षेत्र (पूर्वी पंजाब) के निकट दो सप्ताह तक कार्य करके मूरथला गांव को ग्रांड ट्रंक रोड से मिलाने वाली चार फर्लांग की सड़क को बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके ठहराने और भोजन की व्यवस्था पर कुल कितना व्यय हुआ है ; और

(ग) उनके यात्रा भत्ते और महंगाई भत्ते पर कितना व्यय हुआ ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र):** (क) अक्टूबर, १९५५ में, नीलोखेड़ी में स्थित दो प्रशिक्षण केन्द्रों के निदेशकों ने संयुक्त रूप से सामाजिक शिक्षा संगठन कर्त्ताओं और खंड विकास अधिकारियों के प्रशिक्षार्थियों को ग्रामोद्धार के कार्य में व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिये एक प्रशिक्षण शिविर संगठित किया था। यह शिविर थानेश्वर के सामुदायिक विकास खंड में कुरुक्षेत्र के निकट मूरथला गांव में संगठित किया गया था, और लगभग १८ दिनों तक चला था। अन्य कार्य-वाहियों के अतिरिक्त, प्रशिक्षार्थियों ने ग्रामवासियों के साथ-साथ मूरथला गांव तक पहुंचने वाली ४ सड़कों के निर्माण कार्य में मिट्टी की खुदाई आदि का कार्य भी किया था। ये चारों सड़के लंबाई में कुल मिलाकर लगभग तीन मील की हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

(ख) प्रशिक्षार्थियों ने अपने खाने का खर्च स्वयं ही उठाया था। प्रशिक्षार्थियों के लिये खैमे आदि की व्यवस्था करने में २८८ रुपये व्यय हुये थे।

(ग) प्रशिक्षण केन्द्रों की ओर से प्रशिक्षार्थियों को कोई भी यात्रा या महंगाई भत्ता नहीं दिया गया था।

राज्य सहायता-प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना

†*१६४३. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री २३ दिसम्बर, १९५५ के पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११८६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कुल्टी इण्डियन आइरन एण्ड स्टील वर्क्स के श्रमिकों के लिये औद्योगिक गृह-निर्माण के लिये किसी ऋण की मांग की है ;

(ख) क्या सरकार ने इसकी जांच की है कि पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार या निजी मालिकों द्वारा औद्योगिक गृह-निर्माण ऋणों की सुविधा से क्यों लाभ नहीं उठाया गया है ; और

(ग) इस क्षेत्र में श्रमिकों के लिये मकानों की अत्यंत तंगी को देखते हुये, द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत उनके लिये मकानों की व्यवस्था करने के संबंध में सरकार की क्या योजनायें हैं ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री के सभा-सचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) राज्य सरकार और निजी मालिकों को पश्चिम बंगाल में औद्योगिक गृह-निर्माण के लिये अभी तक क्रमशः कुल २२·५४ लाख और ३६·३९ लाख रुपयों के ऋणों और राज्य-सहायता की मंजूरी दी जा चुकी है।

(ग) राज्य सरकार कुल्टी क्षेत्र में उपयुक्त भूमि खंडों की तलाश कर रही है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस तथ्य के विचार से कि मार्टिन बर्न एक बहुत बड़ा इस्पात समवाय है तथा १९५४–५५ में इसे ७०० प्रतिशत का विस्मयकारी नफा हुआ था, सरकार कोटे के बारेमें दिये गये वचनो के अतिरिक्त मालिकों को इस विषय में विवश करने के लिये क्या उपाय करने का विचार करती है कि श्रमिको के निवास स्थानों को गुफाओं मात्र से अच्छे मकानों में परिवर्तित करें ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : यह एक बड़ा मामला है तथा इस समस्या से कई मंत्रालयों का संबंध है। हम इस बारे में कुछ कहने के असमर्थ हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस मंत्रालय के सबंध में आयव्ययक के अवसर पर औद्योगिक आवास के विषय पर चर्चा के दौरान में, मंत्री महोदय ने कहा था कि मालिकों तथा राज्य सरकारों का रवैया संतोषजनक नहीं है। क्या केन्द्रीय सरकार निजी मालिकों से, विशेषतः उनसे जो काफी समृद्ध हैं, तथा उन उद्योगों के संबंध में, उदाहरणार्थ इस्पात, जो राष्ट्र के लिये महत्वपूर्ण है, श्रमिकों के लिये आवास स्थानों के महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करने के लिये कोई त्रिपक्षीय सम्मेलन बुलाने का विचार कर रही है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : इस क्षण तो कोई ऐसी प्रस्थापना नहीं है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव**: मकानों की व्यवस्था के बारे में सरकार का उपकर लगाने का विचार था। यह प्रस्थापना किस क्रम पर है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : यह प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है। मूल प्रश्न कुल्टी क्षेत्र में औद्योगिक आवास-व्यवस्था के संबंध में है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** : क्या यह सच है कि मालिक लोग देश भर में मकानों के बनाने का विरोध करते रहे हैं ; यदि ऐसा है तो क्या सरकार मकानों के बनाने की मद के अन्तर्गत लाभांश को सीमित करने का विचार कर रही है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : हमें कोई ऐसी सूचना नहीं है कि मालिक लोग किसी योजना या इसी प्रकार की किसी बात का विरोध कर रहे हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : सरकार ने औद्योगिक आवास व्यवस्था के लिये प्रतिवर्ष जो राशि मंजूर की है, उसका एक बड़ा भाग प्रत्येक वर्ष व्यपगत हो रहा है। साथ ही सरकार का यह कथन है कि वह औद्योगिक आवास व्यवस्था को द्वितीय पंच वर्षीय योजना में एक महत्वपूर्ण योजना समझेगी। इस प्रयोजन से प्रत्येक वर्ष आयव्ययक में उपबन्धित इस अत्यन्त महत्वपूर्ण राशि का राज्य सरकारों तथा मालिकों द्वारा प्रयोग न कर सकने के विचार से मैं पूछना चाहती हूं कि सरकार सारे मामले की जांच करने, राज्य सरकारों तथा मालिकों से विचार विमर्श करने और इस धनराशि का प्रयोग करने के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : माननीय महिला सदस्य ने विभिन्न रुप में उसी प्रश्न को पूछा है जो उन्होंने अभी कुछ देर पहले पूछा था और मेरा उत्तर यह है कि इस समय हमारे सामने ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है।

†**श्री नम्बियार** : सरकार के सामने दूसरा वास्तविक विकल्प क्या है ?

भारतीय नदियों को मिलाना

†*१६४४. **श्री टे० सुब्रह्मण्यम्** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग विकास-कार्य के लिये भारत की विभिन्न नदियों को जलमार्गों इत्यादि से मिलाने के प्रश्न पर कोई जांच कर रहा है ;

(ख) क्या उस जांच कार्य में कुछ प्रगति हुई है ; और

(ग) जांच पूरी होने में लगभग कितना समय लगेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** (क) जी हां। केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग जलमार्गों के विकास के लिये भारतीय नदियों को जलमार्गों द्वारा मिलाने के प्रश्न का अध्ययन कर रहा है।

(ख) पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर बहने वाली कुछेक नदियों को मिलाने की प्रस्थापनाओं का अध्ययन किया गया है और इन योजनाओं की प्रारम्भिक जांचों के लिये एक प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है।

(ग) प्रारम्भिक जांचों पर लगभग तीन वर्ष लगेंगे।

†**श्री टे० सुब्रह्मण्यम्** : क्या यह सच है कि सर आर्थर कॉटन ने सन्, १८७५ में तीन नदियों के संपर्क के बारे में ठोस सुझाव दिये थे और गंगा से लेकर कन्या कुमारी तक की सभी नहरों के बारे में भारत का एक सिंचाई संबंधी मानचित्र तैयार किया था ?

†**श्री हाथी** : यह सच है कि सर आर्थर कॉटन ने इस प्रकार का एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, परन्तु हम यह नहीं कह सकते है कि उन्होंने कोई ठोस सुझाव दिये है। देश के जल मार्गों को विकसित करने का संभावनाओं के संबंध में कई सुझाव थे।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

†**श्री टे० सुब्रह्मण्यम्** : क्या यह सच है कि नहरों के नौवहन का वस्तु भाड़ा रेलों की अपेक्षा सस्ता रहेगा ?

†**श्री हाथी** : संभव है।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : पिछले सप्ताह आन्ध्र के उप-मुख्य-मंत्री ने यह कहा था कि गोदावरी और कृष्णा में संपर्क करने और कृष्णा के पानी को मद्रास राज्य के लिये संभरित करने के बारे में योजना आयोग अच्छी प्रकार से विचार कर रहा है। अब उसकी क्या स्थिति है ?

†**श्री हाथी** : आप के प्रश्न का संबंध तो नौवहन से है। संभवतः....

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जी, नहीं, यह नदियों के मिलाने के बारे में है।

†**श्री हाथी** : इस संबंध में एक प्रस्थापना थी जिस पर विचार किया जा रहा है, परन्तु वह संभवतः सिंचाई के संबंध में है, न कि नौवहन के लिये।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि अब गोदावरी, कृष्णा और पेन्नार ये तीनों नदियां नौवहन के लिये आपस में मिला दी गयी है, क्या उस परियोजना को कम से कम महानदी तक ले जाया जायेगा ?

†**श्री हाथी** : हम महानदी को नर्मदा से मिलाने के प्रश्न पर भी विचार कर रहे हैं।

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग

†*१६४६. **श्री नम्बियार** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भोपाल, ललितपुर और जयपुर हवाई अड्डों के काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कुछेक कर्मचारियों को काम के साथ ही राज्य लोक-निर्माण विभागों से केन्द्रीय लोक निर्माण-विभाग में स्थानान्तरित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य लोक निर्माण विभागों में उनकी सेवाओं को वरिष्ठता के लिये गिना जाता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री के सभा-सचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) जी हां। वे कर्मचारी भूतपूर्व भारतीय रियासतों से ले लिये गये हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न अभी विचाराधीन है।

†**श्री नम्बियार** : इससे कितने कर्मचारी प्रभावित होते हैं और इस स्थानान्तर के कारण उन्हें कितने सेवा-काल को खोना पड़ता है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण तथा वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : वास्तव में उन्होंने कोई सेवाकाल नहीं खोया है। मामला विचाराधीन है। और हम उन्हें उस अवधि का भी लाभ देना चाहते हैं जिसमें उन्होंने राज्य सरकार की सेवा की थी।

चाय बागान

†*१६४७. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय आसाम में चाय के बागों के कुल कितने क्षेत्र पर यूरोपियनों का स्वामित्व है और कितने क्षेत्र पर भारतीयों का स्वामित्व हैं ; और

(ख) कितने क्षेत्र में चाय की वास्तविक खेती होती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). आसाम में चाय की खेती का कुल वास्तविक क्षेत्र लगभग ३८७,२०० एकड़ है। इसमें से लगभग २२१,००० एकड़ क्षेत्र अभारतीय संम्पदाओं के रूप में है और १६६,२०० भारतीय संपदायें हैं।

†**श्री रिशांग किशिंग** : इस समय के चाय बागान का वास्तविक क्षेत्र १९४७ से पहले अर्थात् स्वतंत्रता से पहले के क्षेत्र की तुलना में कितना है? मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि बागान के नये क्षेत्र से आसाम में चाय का उत्पादन कितना बढ़ गया है ?

†**श्री कानूनगो** : मेरे पास इस समय ठीक ठीक आंकड़े नहीं है। परन्तु मैं अनुमानतः यही कह सकता हूं कि चाय बागान के क्षेत्र में कोई अधिक वृद्धि नहीं हुई है।

†**श्री रिशांग किशिंग** : इसका कारण क्या है ?

†**श्री कानूनगो** : इसका एक कारण तो आन्तर्राष्ट्रीय चाय करार के अधीन चाय के क्षेत्र की एकड़-संख्या के विस्तार पर प्रतिबन्ध है। इसके अतिरिक्त मार्केट में उतार चढ़ाव होता रहता है जिसके कारण नये क्षेत्र के लिये प्रोत्साहन नहीं मिलता।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** : क्या यह सच है कि बाग स्वामियों द्वारा जो क्षेत्राधिकार हुआ है वह वास्तविक चाय क्षेत्र की अपेक्षा चौगुना है ?

†**श्री कानूनगो** : इस संबंध में हमारे पास ठीक ठीक आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि इस प्रकार के आंकड़े राज्य सरकारों द्वारा रखे जाते हैं। परन्तु बागान जांच आयोग ने इस संबंध में कुछ निर्णय दिया है।

†**श्री रिशांग किशिंग** : क्या आसाम के चाय उद्योग का राष्ट्रीय-करण करने के बारे में सरकार का कोई विचार है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य कुल क्षेत्र के प्रश्न को छोड़ कर राष्ट्रीयकरण के प्रश्न की ओर जा रहे हैं।

†**श्री सु० चं० देव** : ऐसा कितना क्षेत्र है जहां पर उत्पादन करना महंगा पड़ता है और इस प्रकार का क्षेत्र कहां पर स्थित है ?

†**श्री कानूनगो** : मैं बागान जांच आयोग के प्रतिवेदन की ओर निर्देश करना चाहता हूं जो कि सभा पटल पर रखा जा चुका है।

†**श्री सु० चं० देव** : वह सभा पटल पर नहीं रखा गया है।

†**श्री कानूनगो** : वह पुस्तकालय में रखा गया है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : उसकी प्रतियां उपलब्ध नहीं हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वह सभा पटल पर रखा गया था अथवा पुस्तकालय में ?

†**श्री कानूनगो** : वह सभा-पटल पर रखा गया था। वह अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। यह पहले भी कहा जा चुका है कि ज्योंही वह प्रकाशित हुआ उसकी प्रतियां सदस्यों में बांटी जायेंगी।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : कितने महीनों के बाद ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वास्तव में सभा-पटल पर जो कुछ भी रखा जाता है वह पुस्तकालय में रख दिया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

पिछडे क्षेत्रों में परिवहन सम्बन्धीं सुविधायें

*१६४८. **श्री विभति मिश्र** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिद्धांततः यह स्वीकार किया है कि पिछड़े क्षेत्रों को परिवहन संबंधी सुविधायें प्रदान करने के लिये सरकार रेलवे-परिवहन के स्थान पर सड़क-परिवहन को प्रोत्साहन देगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस विषय में पिछड़े क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराया है कि तत्काल कितने मील सड़क बनाने की आवश्यकता है ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) यातायात के सभी साधनों में जिनमें सड़कें तथा रेलवे शामिल हैं सरकार की नीति समन्वित विकास प्राप्त करना है और जिन क्षेत्रों में रेलें नहीं हैं उनमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सड़कों तथा सड़क-यातायात के विकास के लिये अच्छी रकमें रखी गई हैं।

(ख) जी नहीं, परन्तु देश के देहाती क्षेत्रों में सड़कों की समस्या के बारे में एक जांच की जा रही है।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी को कभी मौका मिला है कि रेलवे स्टेशन से २० मील दर के इलाके में या ३० मील दूर इलाके में जायें और देखें कि वहां पर सड़कों की क्या हालत है और कितनी आवश्यकता वहां पर सड़कें बनाये जाने की है ?

श्री श्या० नं० मिश्र : जी मैं तो देहात का रहने वाला हूं और मैं जानता हूं कि वहां क्या हालत है। २० या ३० मील तक नहीं बल्कि उससे भी दूर जाने का मौका मुझे मिला है और मुझे मालूम है कि बहुत से क्षेत्रों में सड़कें नहीं हैं।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार वहां पर सड़कें बनाये जाने को प्रथम प्राथमिकता देगी और स्टेशनों के आसपास ही सड़कें बनाने पर अपना ध्यान केन्द्रित नहीं करेगी ? जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उनको उन्नत करने के लिये क्या प्रथम प्राथमिकता सरकार देगी ?

श्री श्या० नं० मिश्र : राज्य सरकारें उन बातों की तरफ काफी ध्यान देती हैं। इसकी एक मिसाल पिछली बार जब द्वितीय पंच वर्षीय योजना बनाई जा रही थी, देखने को मिली। उस समय हमें पता चला कि इन सड़कों के विकास के लिये कई योजनायें उन्होंने बना रखी हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या मंत्री जी ने यह निश्चित करने का प्रयत्न किया है कि परिवहन की दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र किसे कहते हैं, और यदि हां, तो किसे कहते हैं ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : यह हमारा काम नहीं है कि हम यह निर्धारित करते रहें कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र किसे कहते है परन्तु संविधान के अनुच्छेद २७५(१) के अधीन गृह कार्य मंत्रालय पिछड़े हुए वर्गों तथा अनुसूचित जातियों के विकास के लिये कुछ अनुदान देता है, परन्तु वे अनुदान इस प्रकार के पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिये नहीं हैं। और हमारे पास पिछड़े हुए क्षेत्र की परिभाषा उस दृष्टि से नहीं है जिसे कि माननीय सदस्यों ने मांगी है।

श्री भागवत झा आज़ाद : अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि सरकार की नीति यह है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में सड़क तथा रेल यातायात का समन्वित विकास हो। क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि संथाल परगना के पिछड़े भूभाग में न एक सड़क है और न ही कोई रेल की लाइन है ? क्या उस इलाके के लिये भी आपने कोई योजना तैयार की है ?

श्री श्या० नं० मिश्र : जी नहीं, इसकी छानबीन तो उस तरह नहीं की गई है। मगर यह विषय राज्य सरकार से संबंध रखता है और अगर माननीय सदस्य चाहें तो इसकी जानकारी भी उनको मिल सकती है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या मैं जान सकती हूं कि प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत टिहरी-गढ़वाल में कितने मील मोटर की सड़कें बनीं और द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत कितनी मील लम्बी सड़कें वहां बनाने का लक्ष्य रखा गया है ?

श्री श्या० नं० मिश्र : मैं साधारण तौर पर इतना ही कह सकता हूं कि प्रथम पंच वर्षीय योजना में जितनी रकम रखी गई थी उससे कहीं ज्यादा रकम दूसरी पंच वर्षीय योजना में रखी गई है। इस चीज को देखते हुए मैं अंदाजन यह कह सकता हूं कि बहुत से इलाकों की आवश्यकतायें पूरी हो जायेंगी।

मकान बनाने के लिये ऋण

†*१६५०. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने अभी तक मकान बनाने के लिये सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण का कितना उपयोग किया है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री के सभासचिव (श्री पू० शे० नास्कर)**: यह योजना कोई बहुत अधिक समय से नहीं चल रही है जिससे हम उसकी स्थिति का ठीक ठीक मूल्यांकन कर सकें। अभी तक जो ३१ आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं उनमें से २ स्वीकार हुए हैं, १० अस्वीकार हुए हैं और १९ विचारधीन हैं। अभी तक जो ऋण सहायता मंजूर की गयी है उसका कुल जोड़ ४७,८०० रुपये है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : पिछले सत्र में मंत्री जी ने यह बताया था कि अस्थायी तथा स्थायी कर्मचारियों को कुछ सुविधायें दी जायेंगी। क्या उन कर्मचारियों को, जो कि गत दस वर्षों से काम कर रहे हैं, इस प्रकार की सुविधायें दी गयी हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण तथा वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : वास्तव में इस संबंध में सभी संबंधित मंत्रालयों तथा विभागों को सूचित कर दिया गया है। अब आवेदन पत्र भेजना उनका काम है। आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उन पर गुण दोष की दृष्टि से विचार किया जायेगा।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या द्वितीय पंच वर्षीय योजना के लिये आवंटित राशि में से कुछ भाग अस्थायी कर्मचारियों के लिये भी रखा गया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : अस्थायी कर्मचारियों के लिये कोई पृथक् राशि निर्धारित नहीं की गयी है, और न ही वैसा करना आवश्यक है। हम इसे कुछ समय तक चला कर यह देखेंगे कि क्या इसमें परिवर्तन करना आवश्यक है।

†**श्री अच्युतन** : इन ऋणों पर ब्याज किस दर से लिया जाता है, और वह धन कितने वर्षों में वापिस करना पड़ेगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : वास्तव में, जहां तक किस्तों का संबंध है, हमारा आशय यह है कि वे उसी समय के अन्दर ही वापिस कर दें जब तक वे सरकारी नौकरी में हैं। इसलिये किस्तों की वास्तविक संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि उन पदाधिकारी ने अभी और कितने वर्ष काम करना है। ब्याज की दर तथा अन्य सभी ब्योरे विवरण में दिये हुए हैं जिसकी एक प्रति कुछ ही मास पूर्व सभा पटल पर रखी गयी थी।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सामुदायिक विकास खण्ड

†*१६५३. **श्री भीखा भाई** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों तथा सामुदायिक विकास खंडों को राज्य सरकारों में बांटने की कोई नीति निर्धारित की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों को यह परामर्श दिया गया है कि वे पिछड़े हुए वर्गों वाले पिछड़े हुए क्षेत्रों को अधिमान देवें ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) जी, हां।

(ख) खंड स्थापित करने के लिये क्षेत्र चुनने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे खंडों की स्थापना के समय पिछड़े हुए वर्गों तथा अनुसूचित जातियों के क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को अपनी दृष्टि में रखें।

†**श्री श्रीनारायण दास** : प्रश्न (क) के उत्तर में मंत्री जी ने यह कहा है कि इस संबंध में एक निश्चित नीति है। मैं जानता चाहता हूं कि उस नीति का आधार क्या है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों के आवंटन के संबंध में जिस सिद्धांत का अनुसरण किया जाता है वह यह है कि उसमें प्रशिक्षित व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या होनी चाहिये। दूसरी बात यह है कि आवंटन उस कायक्रम के अनुसार आवंटन योग्य कोटा के आधार पर किया जाता है जो कि योजना कालाविधि में लक्ष्य को पूरा करने के लिये निर्धारित किया गया है। फिर सामुदायिक विकास कार्यक्रम के संबंध में, नीति यह है कि उन राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों को सामुदायिक विकास खंडों में बदल दिया जाये जिन्होंने पर्याप्त प्रगति दिखाई है अर्थात् खर्च तथा भौतिक दृष्टि से जिन्होंने पर्याप्त उन्नति की है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या १९५६–५७ के लिए खंडों और सामुदायिक परियोजना के क्षेत्रों की संख्या के बारे में विनिश्चय कर लिया गया है ? यदि हां तो प्रत्येक राज्य के लिए कितनी संख्या निर्धारित की गई है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : अभी मेरे पास राज्यवार आंकड़े नहीं हैं। परन्तु मैं यह बता सकता हूं कि २ अक्तूबर को खोले जाने वाले १९५६–५७ के लिए खंडों की संख्या बांटानुसार २९७ है।

†**श्री थानू पिल्ले** : क्या इस अभिप्राय के अनुदेश दिये गये हैं कि सामुदायिक खंड पिछड़े हुए क्षेत्रों में नहीं अपितु डेल्टा क्षेत्रों में खोले जायं ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उस आधार पर सिफारिश नहीं करते। वास्तव में, हमने बता दिया है कि पिछड़े हुए क्षेत्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए।

†**श्री बंसल** : क्या सरकार को विदित है कि कुछ क्षेत्र उतने ही पिछड़े हुए हैं जितने कि वे क्षेत्र हैं जहां पिछड़ी हुई आदिम जातियों के लोग रहते हैं। यदि हां तो क्या उन क्षेत्रों में राष्ट्रीय विकास सेवा खंडों या सामुदायिक विकास परियोजनाओं को खोलने के लिए कोई प्राथमिकता दी जा रही है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : मैं यही कह सकता हूं कि स्वयं राज्य सरकारें पिछड़े हुए क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिये बहुत इच्छुक हैं तथा हमारे लिये यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि वे उन पर प्राथमिकता के अनुसार अर्थात्, माननीय सदस्य की इच्छानुसार विचार नहीं कर रही हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री थानू पिल्ले** : क्या यह सच नहीं है कि इन सामुदायिक विकास क्षेत्रों में कृषि विकास कार्य आरम्भ किये जाने की आवश्यकता थी, तथा राज्य सरकारों ने उत्तर दिया है कि केवल डेल्टा क्षेत्रों में सामुदायिक परियोजनायें आरम्भ की जानी चाहिये। यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी और दोष निवारण करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने इस सुझाव से आरम्भ किया था कि केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिये थे कि पिछड़े हुए क्षेत्र अपवर्जित हैं। अब वह पूछते हैं कि क्या राज्य सरकारें डेल्टा क्षेत्रों को प्राथमिकता दे रही हैं।

†**श्री थानू पिल्ले** : केन्द्र के अनुदेशों पर।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को चाहिये कि वह अपने प्रश्न को थोड़ा और निश्चित प्रकार का प्रश्न बनायें।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : माननीय मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकारें पिछड़े हुए क्षेत्रों में ऐसे खंड आरम्भ करने के पूर्ण औचित्य का ध्यान रख रही हैं। अपने कथन के समर्थन के लिये क्या उन्हें इस बात की कोई जानकारी है कि पिछड़े हुए क्षेत्रों में ऐसे कितने खंड आरम्भ किये गये हैं ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : अभी प्रश्न काल में अपने कथन का समर्थन करने वाले सारे तथ्यों व आंकड़ों का बताना मेरे लिये कठिन है। माननीय सदस्य जानते हैं कि ये खण्ड सारे देश में होंगे। अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता।

†**श्री बंसल** : क्या यह सच नहीं है कि इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्घाटन के समय अधिक विकसित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई थी ? अब प्रश्न यह है कि क्या अधिक पिछड़े हुए क्षेत्रों में इन राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों और सामुदायिक विकास खंडों को आरम्भ करने के लिए सरकार प्राथमिकता दे रही है या नहीं ? यह एक सीधा प्रश्न है और इसका उत्तर देने में निरन्तर टाल मटोल की जा रही है।

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य ने मेरे मुख्य उत्तर पर ध्यान नहीं दिया है। मैं पहिले ही कह चुका हूं कि राज्य सरकारों को उन क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखने का परामर्श दिया जाता है जहां पिछड़े हुए वर्गों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोग रहते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि उन क्षेत्रों के अतिरिक्त जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोग रहते हैं, पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। क्या इस अभिप्राय के कोई अनुदेश दिये गये हैं कि पहिले इन क्षेत्रों की ओर ध्यान दिया जाय, या क्या उन क्षेत्रों को कोई प्राथमिकता दी जा रही है जहां सिंचाई आदि की अच्छी सुविधायें हैं ? यह प्रश्न है।

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : यदि अभिप्राय यह है कि अन्य क्षेत्रों का भी विकास होना है तो इसका उल्लेख उस मुख्य महत्व में बताया गया है जो हम दे रहे हैं। यहां तक कि जब हम पिछड़े हुए वर्गों और अनुसूचित आदिम जातियों पर जोर देते हैं, तब भी अभिप्राय यही होता है कि उन क्षेत्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाय जो.....

†**श्री बंसल** : नहीं, नहीं। प्रश्न यह नहीं है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

†**अध्यक्ष महोदय** : सारे सदस्य ठीक तरह से अंग्रेजी समझ सकते हैं। बात केवल यह है कि माननीय सदस्य यह निश्चित रूप से जानना चाहते हैं कि क्या इस प्रकार का कोई अलग निदेश है कि उन क्षत्रों के अतिरिक्त, जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोग रहते हैं, अन्य पिछड़े हुए क्षेत्रों को, जो विशेष और अलग हैं और उनके अतिरिक्त हैं जहां अच्छी सुविधायें हैं, प्राथमिकता दी जायेगी।

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : इन क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना राज्यों का कार्य है। परन्तु हमने, विशेष कर इस सम्बन्ध में, कोई निदेश नहीं दिया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : बस इतना ही पूछा गया है।

†**श्री बंसल** : एक प्रश्न और।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं एक भी प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा। मैं पहिले ही बहुत से प्रश्नों की अनुमति दे चुका हूं। माननीय मंत्री निश्चित रूप से कहते हैं कि कोई प्रतिषेध नहीं है। यह मामला पूर्णतया राज्य सरकारों के हाथ में है। माननीय सदस्यों को यह अवश्य जानना चाहिये कि राज्यों के अपने विधान मंडल हैं। अतः यह काम उनका भी उतना ही है जितना कि हमारा है।

†**श्री बंसल** : यदि आप मुझे स्थिति को स्पष्ट करने की अनुमति दें, तो मैं कहना चाहता हूं कि भाग (क) के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है कि कुछ सिद्धान्त बनाये गये हैं। हम जानना चाहते हैं कि वे सिद्धान्त क्या हैं।

†**श्री थानू पिल्ले**: क्या उन अनुदेशों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय मंत्री उन अनुदेशों की एक प्रति रख सकते हैं जो राज्य सरकारों को दिये गये हैं? इससे मामले में सुविधा हो जायेगी। क्या उनके बारे में कोई गुप्त बात है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : बिल्कुल नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो वह अनुदेशों की एक प्रति सभा पटल पर रखने की कृपा करें। माननीय सदस्य उन्हें पढ़कर बाद में प्रश्न पूछेंगे।

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : बहुत अच्छा।

त्रिपुरा में भूमि

† *१६५४. **श्री दशरथ देव** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन अथवा स्वयं लोगों द्वारा राईमा-सर्मा क्षेत्र में अमरपुर (त्रिपुरा) स्थान पर कितनी भूमि कृषि योग्य बनाई गई है;

(ख) कितनी भूमि आदिम जातियों के लोगों को और कितनी भूमि विस्थापित लोगों को दी गई है;

(ग) क्या यह देखने के लिए वहां कोई प्राधिकारी या अधिकारी नियुक्त किया गया है कि आदिम जातियों के लोगों को उस योजना से वंचित नहीं किया जाता; और

(घ) यदि नहीं तो क्या भारत सरकार का विचार राज्य सरकार को यह निदेश देने का है कि वह राईमा-सर्मा का कार्य आदिम जाति कल्याण विभाग और सहायता व पुनर्वास विभाग (आर० आर० डिपार्टमेंट) के सहयोग से करे ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री ज० कृ० भोंसले)** : (क) से (घ). राईमा-सर्मा घाटी में लगभग ८५,००० एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने की योजना विचाराधीन है। अभी तक, कृषि योग्य बनाने का कोई काम वहां आरम्भ नहीं हुआ है। कृष्यकरण होने पर आधी भूमि पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित लोगों को बसाने के लिए प्रयोग की जायेगी और शेष आधी भूमि स्थानीय झुमिया लोगों को बसाने के लिए।

†**श्री दशरथ देव** : क्या यह राईमा-सर्मा का क्षेत्र उस रक्षित क्षेत्र में है जो त्रिपुरा के महाराजा ने १३५३ (त्रिपुरा सम्वत) में केवल आदिम जाति के लोगों के लिए अलग रक्षित कर रखा था? यदि हां, तो क्या त्रिपुरा सरकार ने उस रक्षित क्षेत्र से इस भूमि-खंड को आदिम जाति के लोगों के अतिरिक्त अन्य लोगों के पुनर्वास के लिए मुक्त कर दिया है? यदि उत्तर 'हां' में है, तो यह क्यों किया गया था? फिर, सरकार के विद्यमान आदेश में संशोधन किये बिना या उसे वापस लिये बिना, उस क्षेत्र विशेष में, जो पूर्णरूपेण आदिम जाति के लोगों के लिए रक्षित है, आदिम जाति के लोगों के अतिरिक्त अन्य लोगों को पुनः बसाने के प्रयत्न कैसे किये जा रहे हैं?

†**श्री ज० कृ० भोंसले** : जब तक त्रिपुरा सरकार इस भूमि को मुक्त नहीं करती तब तक पुनर्वास मंत्रालय इसके कृष्यकरण का विचार भी नहीं कर सकता। इस सम्बन्ध में हम त्रिपुरा में मुख्यायुक्त के साथ कई बार मिले हैं। अन्तिम बार वह इस वर्ष मई में मिले थे। उस बैठक में यह विनिश्चय हुआ था कि ५०:५० के आधार पर भूमि का कृष्यकरण किया जा सकता है।

†**श्री बीरेन दत्त** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आगामी पंचवर्षीय योजना में पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित लोगों के बसाने के लिए विभिन्न राज्यों में कृषि योग्य बनाई जाने वाली १५०,००० एकड़ भूमि से ८०,००० एकड़ भूमि त्रिपुरा में मिल गई है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या राईमा-सर्मा क्षेत्रों में इन क्षेत्रों के कृष्यकरण के लिये कोई विशेष कार्यवाही की गई है और कृष्यकरण कब समाप्त होगा?

†**श्री ज० कृ० भोंसले** : अभी तो हम लगभग ८५,००० एकड़ भूमि के कृष्यकरण पर केवल विचार कर रहे हैं। मैं एक दम यह नहीं कह सकता कि यह उस १५०,००० एकड़ में से है जिसका उल्लेख मेरे माननीय मित्र करते हैं। अभी तो इस क्षेत्र को प्राप्त करने की कठिनाई है। और, इसके होने और केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के यह विचार करने से पहिले कि मशीनें, आदि भेजी जायं, ५६ मील लम्बी सड़क बनानी पड़ेगी। वर्षा समाप्त होने पर शीघ्र ही यह कार्य आरम्भ हो जायेगा। त्रिपुरा सरकार का विचार केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग और सेना की सहायता से यह सड़क बनाने और पुलों को शक्तिशाली बनाने का है।

†**श्री बीरेन दत्त** : क्या यह कार्य त्रिपुरा सरकार के अधीन किया जा रहा है या केन्द्रीय सरकार के?

†**श्री ज० कृ० भोंसले** : मैंने यह कहा है कि केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन भूमि का कृष्यकरण करेगा और केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग व सैनिक इंजीनियरिंग यूनिट सड़क बनायेगा।

सीमेंट का बटवारा

†***१६५६. श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून १९५६ में समाप्त होने वाले अर्ध वर्ष में सिंगरेनी कोयला खान कम्पनी ने कितने सीमेन्ट का आदेश दिया है;

(ख) वस्तुतः कितनी सीमेंट का नियतन और सम्भरण किया गया; और

(ग) क्या सरकार को विदित है कि सम्भरण के अभाव के कारण खानों के विकास में रुकावट आ रही है?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) जून १९५६ में समाप्त होने वाले अर्ध वर्ष में कम्पनी से कोई व्यादेश प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या सीमेंट के बटवारे या नियतन में औद्योगिक उपक्रमों को कोई प्राथमिकता दी जाती है ?

†**श्री म० म० शाह** : जी हां। सीमेन्ट का बटवारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है; पहिले सरकारी विकास योजनायें, फिर रेलें, फिर प्रतिरक्षा आवश्यकतायें, फिर राज्य सरकारों की आवश्यकतायें और फिर औद्योगिक आवश्यकतायें।

एशिया तथा सुदूरपूर्व के लिए आर्थिक आयोग

† *१६५७. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को वह सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं जो आवास और भवन-निर्माण सामग्री सम्बन्धी एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग की कार्य संचालन पार्टी के चौथे सत्र में की गई थीं, जो हाल में ही बैंगकाक में हुआ था ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : जी नहीं।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या भारत के प्रतिनिधियों ने, जिन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया था, इस कान्फ्रेंस के बारे में अपने विचारों सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : इस कान्फ्रेंस में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधियों ने कार्यवाही के बारे में औपचारिक रूप से कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया। एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग से अभी कार्यवाही प्राप्त नहीं हुई है, अभी उपलब्ध नहीं है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : इस कान्फ्रेंस में भारत से सम्बन्धित किन विषयों पर चर्चा हुई ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने पहिले सिफारिशों के बारे में पूछा था तथा अब वह कार्यवाही और विषयों के बारे में जानना चाहते हैं।

इस्पात प्रविधिज्ञों का प्रशिक्षण

† *१६६०. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूसी इस्पात कारखाने में भट्ठी पर काम करने वाले, इस्पात बनाने वाले और वेल्लन निर्माणी चलाने वाले भारतीयों को व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के प्रबन्ध हो चुके हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे भारतीयों की पहिली टुकड़ी कब रूस भेजी जायेगी ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) जी हां।

(ख) ४ सितम्बर, १९५६ को।

†**डा० राम सुभग सिंह** : इस व्यवस्था के अन्तर्गत सोवियत स्टील वर्क्स में कितने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिये जाने की संभावना है ?

†**श्री म० म० शाह**: १९५६ में ८०, १९५७ में ४८१ और १९५८ में १२५।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

†**श्री बंसल** : क्या सरकार ने फोरमैन फरनेसमेन जैसे प्रशिक्षित कर्मचारियों के लिये, जिनकी आवश्यकता भविष्य में स्थापित किये जाने वाले विभिन्न इस्पात कारखानों में होगी एक क्रमबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है ?

†**श्री म० म० शाह** : जैसा कि मैंने अपने पहले उत्तर में कहा है, भिलाई कारखाने के लिये यह संख्या ८०,४८१ और १२५ होगी। रूड़केला और दुर्गापुर के लिये भी ऐसी ही क्रमबद्ध व्यवस्था की गई है। स्वयं देश में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का प्रयत्न किया जा रहा है और चालू वर्ष में इन तीन कारखानों के लिये २०० व्यक्ति चुने गये हैं।

†**श्री बंसल** : विभिन्न कारखानों के लिये इन उम्मीदवारों को किस प्रकार चुना जाता है ?

†**श्री म० म० शाह** : संघ लोक सेवा आयोग के जरिये चुनाव करना सामान्य सरकारी तरीका है। हिन्दुस्तान स्टील कंपनी के लिये स्वयं बोर्ड चुनाव करता है।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** : हमारे कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव किन देशों ने किया है ?

†**श्री म० म० शाह** : जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है, यह व्यवस्था पूर्ण रूप से पारस्परिक है और जिस देश ने कारखाना स्थापित करने में हमें सहायता दी है उसने हमारे कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का दायित्व हर मामले में स्वीकार किया है।

रबड़ के वृक्षों का रोपण

†*१६६१. **श्री मात्तन** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को देखते हुए कि हमारे रबड़ उद्योग के विकास के लिये प्राकृतिक रबड़ का अभाव है, क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में रबड़ के वृक्षों की खेती को बढ़ाने के लिये सरकार के पास कोई योजना है;

(ख) क्या रबड़ बोर्ड ने इस सम्बन्ध में कोई सिफारिशें की हैं; और

(ग) यदि हां, तो मुख्य प्रस्ताव क्या हैं और उनके बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). ७०,००० एकड़ भूमि से रबड़ के वृक्ष हटाकर, १० वर्षों में अधिक पैदावार देने वाले वृक्ष लगाने की एक योजना पहले ही मंजूर की गई है जिस पर २२६ लाख रुपये व्यय होंगे। अधिक भूमि में रबड़ के और वृक्ष लगाने की एक और योजना इस समय विचाराधीन है। यह योजना रबड़ बोर्ड ने हाल ही में प्रस्तुत की थी और इसके अन्तर्गत, दस वर्षों की अवधि में एक लाख एकड़ भूमि में रबड़ के वृक्ष लगाकर खेती को बढ़ाया जायेगा। बोर्ड ने इस योजना में यह प्रस्ताव भी किया है कि सरकार द्वारा प्रति एकड़ ७५० रुपये की दर से एक दीर्घकालीन ऋण दिया जाये।

†**श्री अ० म० थामस** : क्या यह सच है कि फिर से वृक्ष लगाने की योजना सफल नहीं होगी क्योंकि उत्पादक अपनी मौजूदा आय खोने के लिये तैयार नहीं होंगे और यदि हां, तो क्या सरकार फिर से वृक्ष लगाने के बजाय खेती को बढ़ाने पर अधिक ध्यान देगी ?

†**श्री कानूनगो** : इस सुझाव पर विचार किया जायेगा।

†**श्री मात्तन** : नये बागानों सम्बन्धी रबड़ बोर्ड की जो योजना है, मैं उसका उल्लेख कर रहा हूं। माननीय मंत्री कब तक आदेश जारी करने की आशा करते हैं ? बोने के मौसम से पहले आदेश जारी करना अत्यन्त आवश्यक है। क्या माननीय मंत्री शीघ्र आदेश देंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री कानूनगो** : मैं यह तो नहीं कह सकता कि योजना इसी रूप में अनुमोदित कर दी जायेगी किन्तु इस सम्बन्ध में निर्णय शीघ्र किया जायेगा ।

†**श्री मात्तन** : इस बात को देखते हुए कि रबड़ उद्योग का पर्याप्त विकास होना चाहिये, क्या माननीय मंत्री यह महसूस करते हैं कि शीघ्रातिशीघ्र अधिक से अधिक भूमि में रबड़ के वृक्षों की खेती की जानी चाहिये ?

†**श्री कानूनगो** : इसीलिये ये योजनाएं तैय्यार की गई हैं । वास्तव में नये वृक्ष लगाने की अपेक्षा पुराने वृक्षों को उखाड़कर उन्हें फिर से लगाना हम अधिक पसंद करते हैं ।

†**श्री थानू पिल्ले** : क्या रबड़ के वृक्षों की सहकारी खेती प्रारम्भ करने के बारे में कोई प्रस्थापना है ?

†**श्री कानूनगो** : रबड़ के वृक्षों की सहकारी खेती को प्रोत्साहन देने की कोई प्रस्थापना तो नहीं है किन्तु उसे रोकने की भी कोई प्रस्थापना नहीं है ।

†**श्री पुन्नूस** : क्या यह सच नहीं है कि नये वृक्षों को लगाने के बारे में रबड़ बोर्ड की सिफारिशों को स्वीकार कर लेने के बाद भी भारत में रबड़ की कमी रहेगी ?

†**श्री कानूनगो** : दस वर्षों के बाद तो नहीं रहेगी ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाना

† *१६६२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर में तीसरा इस्पात कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में है; और

(ख) क्या ब्रिटिश फर्म के साथ अन्तिम करार कर लिया गया है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) और (ख). अन्य बातों के साथ-साथ ब्रिटिश फर्म के साथ होने वाले करार को अन्तिम रूप देने के लिये एक प्रतिनिधि मंडल इस समय यूरोप में है । बातचीत अभी समाप्त नहीं हुई है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : सरकारी प्रतिनिधिमंडल लगभग कब तक इस करार को पूरा कर लेगा और क्या करार की विशिष्ट शर्तों के बारे में कोई निर्णय किये गये हैं ?

†**श्री म० म० शाह** : १५ सितम्बर से पहले करार के अन्तिम रूप से निश्चित किये जाने की संभावना है और करार पूरा होने पर ही अन्तिम शर्तें मालूम हो सकती हैं ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : मूल करार के अनुसार, मई के महीने में विश्व के सब देशों से टेंडर मांगे जाने थे । इस विलम्ब के लिये क्या कारण हैं ?

†**श्री म० म० शाह** : वास्तव में हमारे टेकनीकल सलाहकार ने इस्पात निर्माण में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का सुझाव दिया है जिसके कारण कुछ विलम्ब हुआ है । अब सभी प्रौद्योगिकीय तरीकों को अन्तिम रूप से निश्चित किया जा चुका है । और इस मास के मध्य से पहले करार पूरा कर लिया जायेगा ।

†**श्री बंसल** : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार का किसी समय यह विचार था कि ऐसे सभी बड़े करारों के बारे में बातचीत करने और विशेष कर उन्हें अन्तिम रूप से निश्चित करने और उन पर हस्ताक्षर करने का काम इस देश में किया जाये और उस देश में नहीं जिसके साथ हम करार कर रहे हैं ? क्या इस करार पर इस देश में हस्ताक्षर होंगे या इग्लैंड में ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में ।

†**श्री कानूनगो** : हस्ताक्षर चाहे इस देश में किये जायें या नहीं, सिद्धान्त की दृष्टि से यह मामला इतना महत्वपूर्ण नहीं है। किन्तु हमने प्रतिनिधि मंडल से बराबर सम्पर्क बनाये रखा है और उसे विस्तृत हिदायतें दी गई हैं। यद्यपि करार पर हस्ताक्षर वहां होंगे तथापि उस करार के विस्तार हमें पूरी तरह ज्ञात होंगे।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : कुछ महीने पहले दुर्गापुर इस्पात कारखाने के बारे में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री ने यह कहा था कि विश्व के सब देशों से टेन्डर मंगाने का प्रश्न अब भी विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार और ब्रिटिश सरकार का क्या रुख है; क्या वह ऐसे टेन्डर मांगने के मामले में सहमत हैं?

†**श्री म० म० शाह** : इस विशिष्ट मामले से ब्रिटिश सरकार का सम्बन्ध नहीं है किन्तु ब्रिटिश स्टील फेडरेशन ने जो इन्डियन स्टील कंपनी बनाई है उसने कोई निश्चित राय कायम नहीं की। जब कोई विशिष्ट तकनीक हमें संयंत्र देनेवाले विशिष्ट देश से खरीदना है, तो विश्व के सब देशों से टेन्डर मंगाने के बावजूद, उसी देश से अधिक से अधिक सामग्री खरीदना सदा अधिक वांछनीय होगा।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : श्रीमान्, मैं एक और प्रश्न पूछना चाहती हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल समाप्त हो गया है। श्री ल० ना० मिश्र के नाम से एक अल्प सूचना प्रश्न है। क्या वह यहां पर हैं? वह यहां दिखाई नहीं देते। उत्तर सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

गांवों में बिजली लगाने का कार्यक्रम

†*१६४०. **श्री मोहन राव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों से गांवों में बिजली लगाने के कार्यक्रमों सम्बन्धी उनकी आवश्यकताओं के जो आंकड़े मांगे गये थे, क्या वे प्राप्त हो गये हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में आवंटन किये हैं; और

(ग) आन्ध्र और हैदराबाद सरकारों की आवश्यकतायें कितनी हैं और केन्द्र ने उनके लिये कितना आवंटन किया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग). माननीय सदस्य संभवतः द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में क्रियान्वित की जाने वाली गांवों में बिजली लगाने की योजनाओं सम्बन्धी राज्यों की आवश्यकताओं का निर्देश कर रहे हैं। यदि हां, तो अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या १८**]

कपड़े की मिलें

†*१६४१. **श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़ा मिलों की कुल कितनी क्षमता, इस समय काम में नहीं लाई जा रही; और

(ख) कपड़ा मिलों को इस क्षमता को काम में लाने योग्य बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री काननगो)** : (क) और (ख). सभी कपड़ा मिलों की बढ़ी हुई क्षमता का ठीक ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है। किन्तु यह कहा जा सकता है कि काम में लाने योग्य क्षमता को पूर्ण रूप से काम में लाया जाता है। मरम्मत के कारण कुछ तकलियों और करघों को काम में नहीं लाया जा सकता और अनुमान है कि ५ से ७ १/२ प्रतिशत तकलियां और करघे बेकार पड़े रहते हैं। आंकड़ों के हिसाब से, इस समय १८ लाख तकलियां और १८,३०० करघे काम में नहीं लाये जा रहे हैं। दोषपूर्ण मशीनों और उनके अलाभप्रद कार्यकरण के कारण जो काम बन्द हो जाते हैं, उनके बारे में सरकार कुछ नहीं कर सकती।

कोयला खनन

†***१६४२. श्री रा० प्र० गर्ग** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खानों में मजदूरों की अधिकतम सुरक्षितता के लिये और खानों में होने वाले विस्फोटों को कम करने के लिये, खानों में नवीनतम उपकरण लगाकर कोयला निकालने के तरीकों को सुधारने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल कितनी राशि आवंटित की गई है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : सरकारी क्षेत्र में कोयले के विकास के लिये आवंटित ४० करोड़ रुपये की कुल राशि में, सरकारी कोयला खानों में आधुनिक मशीनरी और उपकरण लगाने के लिये ९७ लाख रुपये की राशि सम्मिलित है। किसी खान के कार्यकरण की प्रारम्भिक योजना और कार्य की सभी अवस्थाओं में विभिन्न संविहित उपबन्धों को लागू करने से मजदूरों की सुरक्षितता को समुचित व्यवस्था होती है और विस्फोट होने का खतरा कम हो जाता है। कोयला बोर्ड अपनी निधि में से कोयला खानों को सुरक्षितता उपायों के लिए वित्तीय सहायता भी देता है।

माचेरला का सीमेंट का कारखाना

†***१६४५. श्री च० रा० चौधरी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माचेरला के सीमेन्ट के कारखाने के लिये लाइसेंस देते समय जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया था क्या उसके अनुसार उसमें उत्पादन प्रारम्भ हो गया है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : जी, नहीं; किन्तु जनवरी १९५७ तक कारखाने में उत्पादन प्रारम्भ होने की संभावना है।

सामुदायिक परियोजनाओं में तकावी का वितरण

†***१६४९. श्री नि० बि० चौधरी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामुदायिक परियोजनाओं में तकावी वितरण सम्बन्धी सरकारी नियमों में रूपभेद करने की कोई प्रस्थापना है; और

(ख) यदि हां, तो मामला किस अवस्था में है ?

†**योजन उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). मई, १९५६ में नैनीताल में हुए विकास आयुक्तों के सम्मेलन ने अन्य बातों के साथ यह भी सिफारिश की थी कि सब प्रकार के कृषकों को यथासंभव पर्याप्त ऋण देने की व्यवस्था करने के लिये तकावी सम्बन्धी नियमों और विनियमों को उदार बनाया जाये। सम्मेलन की सिफारिशें क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

ब्रह्मपुत्र के बाढ़ जलविज्ञान का अध्ययन

†*१६५१. **श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ जलविज्ञान का अध्ययन पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें कितना समय लगेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) ब्रह्मपुत्र की बाढ़ जलविज्ञान का अध्ययन अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है । ऐसे अध्ययन के लिये आवश्यक टेकनीकल सामग्री एकत्रित की जा रही है ।

(ख) इस अवस्था में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रोलिंग मिलें

*१६५२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कुल कितनी रोलिंग मिलें हैं;

(ख) इस समय उनमें से कितनी काम कर रही हैं और कितनी बन्द पड़ी हैं;

(ग) ऐसी मिलों की संख्या कितनी है, जो कुछ भी आय-कर नहीं देतीं, परन्तु उनको फिर भी लोहे का कोटा दिया जाता है;

(घ) कितनी बन्द मिलों को अब भी लोहे का कोटा दिया जाता है; और

(ङ) क्या बन्द मिलों को लोहे का अपना कोटा दूसरों को हस्तान्तरित कर देने का अधिकार दिया गया है ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह) : (क) १४४ मिलें ।

(ख) इस समय १३४ मिले काम कर रही हैं और १० मिलें बन्द पड़ी हैं ।

(ग) इसका प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि इस प्रकार की मिलों को आयकर आदि देश की आयकर विधि के अन्तर्गत देना होता है ।

(घ) ऐसी ६ मिलें हैं, जो अभी तक चालू नहीं हुई हैं और उनको कोटे दिये जाते हैं । इनमें से दो मिलों को तो शरणार्थी-ढलाई-मिल योजना के अन्तर्गत कोटे दिये जाते हैं और चार मिलें स्थानान्तरित हो रही हैं । इन मिलों को अपने कोटे दूसरी मिलों से तब तक मिलाने की अनुमति दी गयी है, जब तक वे फिर से अपना काम चालू नहीं कर देतीं ।

(ङ) जी हां, जैसा कि ऊपर के भाग (घ) में बताया गया है ।

संयंत्र तथा मशीनरी समिति

†*१६५५. **श्री ल० ना० मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १८ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयंत्र और मशीनरी समिति की उपपत्तियों और सिफारिशों के आधार पर, नदी घाटी परियोजनाओं में काम में लाये जाने वाले संयंत्रों और मशीनरी के प्रयोग में क्या मित-व्ययिता और सुधार किये गये हैं; और

(ख) किन-किन मुख्य सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) राज्य सरकारों और सम्बन्धित परियोजना अधिकारियों से अद्यतन जानकारी एकत्रित की जा रही है और शीघ्रातिशीघ्र सभा पटल पर रखी जायेगी ।

(ख) अपेक्षित जानकारी देनेवाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या १९**]

अलुमीनियम के कारखाने

†*१६५८. **श्री सें० वें० रामस्वामी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत; सरकारी क्षेत्र में कितने अलुमीनियम के कारखाने स्थापित करने का विचार है; और

(ख) उनकी क्षमता क्या है तथा उन्हें कहां स्थापित करने का विचार है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)**: (क) और (ख). अब तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किये गये हैं ।

तुंगभद्रा परियोजना केन्द्रीय बोर्ड

†*१६५९. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्न विषयों के बारे में मैसूर और आन्ध्र के राज्यों ने आपस में क्या समझौता किया है:—

(१) तुंगभद्रा के पानी को काम में लाना;

(२) परियोजना का विकास और अधीक्षण; और

(३) समझौतों को लागू करने के लिये केन्द्रीय सरकार की शक्तियां ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (१) से (३) अपेक्षित जानकारी देनेवाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २०**]

बन्दरों का निर्यात

†*१६६३. **श्री डाभी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री १४–५–१९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २१५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीरफाड़ के लिये विदेशों को निर्यात किये गये बन्दरों के साथ जो निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया गया है, क्या तद्विषयक जानकारी अब एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसे सभा पटल पर रखा जायेगा ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). पशु निर्दयता निर्वारण समिति का जानकारी एकत्र करने का प्रयास कर रही है । ज्ञात हुआ है कि उक्त समिति ने विदेशी सरकारों से जो पूछताछ की है उसके उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं ।

हिंदुस्तान एंटी-बायोटिक्स एंड हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइडस् लिमिटेड के उत्पाद

†*१६६४. **श्री झूलन सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दुस्तान एन्टी-बयोटिक्स लिमिटेड एन्ड हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइडस् लिमिटेड के उत्पाद के विक्रय और वितरण के लिये इस समय क्या व्यवस्था है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : सभी सरकारी और राज्य सहायता प्राप्त संस्थाओं को इस उत्पाद का सीधा वितरण करने के लिये हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड की अपनी व्यवस्था है। कंपनी ने व्यापारियों के जरिये विक्रय करने के लिये दो वितरक अधिकर्ता, अर्थात् मेसर्स पेरी एन्ड कंपनी; और मेसर्स केम्प एन्ड कंपनी, नियुक्त किये हैं। इस काम को करने की इच्छा रखने वाली फर्मों से नये आवेदन पत्र मांगे गये हैं और प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच निदेशकों के बोर्ड द्वारा की जा रही है।

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स का डी० डी० टी०के समस्त उत्पादन का वितरण स्वास्थ्य मंत्रालय पर छोड़ दिया गया है और उक्त मंत्रालय की ओर से मलेरिया इन्स्टीट्यूट से प्राप्त हिदायतों के अनुसार डी० डी० टी० कारखाने से भेजा जाता है।

केन्द्रीय उद्योग मंत्रणा परिषद्

†*१६६५. **श्री रामकृष्ण** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय उद्योग मंत्रणा परिषद् की सातवीं बैठक की, जो २० जून १९५६ को नई दिल्ली में हुई थी रिपोर्ट मिल गई, है और;

(ख) यदि हां, तो उस के मुख्य निर्णय क्या हैं?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) यह परिषद् पूर्णरूपेण एक मंत्रणा निकाय है और सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं देती।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

श्रीलंका में भारतीय

†*१६६६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका स्थित भारतीय उच्च आयोग के ो अधिकारियों ने वहां के उन सब स्थानों का दौरा किया है जहां हाल ही में भाषा के सम्बन्ध में दंगे हुये थे;

(ख) उन्होंने वहां क्या क्या देखा; और

(ग) उन के द्वारा दी गई जानकारी के बाद क्या कार्यवाही की गई?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) भारतीय उच्च आयोग के दो पदाधिकारियों ने कोलम्बो में गड़बड़ वाले क्षेत्रों का दौरा किया था।

(ख) उन्होंने देखा कि पत्थर फेंकने और लूटने के कारण चार व्यापारिक स्थानों को बहुत नुकसान पहुंचा और उनमें से एक का, जो रेस्टोरां था बहुत सा सामान नष्ट हो गया।

(ग) उच्च आयोग ने इस नुकसान के बारे में प्राप्त शिकायतों और दंगों से सम्बन्धित याचिकाओं को लंका सरकार के वैदेशिक कार्य मंत्रालय के पास भेज दिया है और यह प्रार्थना की है कि इस विषय की पूरी जांच की जाये और याचिका देने वालों की सहायता की जाये।

सीमेन्ट की कमी

†*१६६७. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **निर्माण आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५५–५६ में दिल्ली में अनेक निर्माण कार्य सीमेन्ट की कमी के कारण रोक दिये गये थे;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) १९५४–५५ और १९५५–५६ में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सीमेन्ट की कितनी खपत हुई; और

(ग) क्या कोई ऐसी वस्तु बताई गई है, जो सीमेंट के स्थान पर अच्छी तरह काम दे सके ?

†**निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री के सभा सचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) सीमेन्ट की कमी के कारण कुछ इमारतों का निर्माण कार्य रोकना पड़ा था।

(ख) क्रमशः १,५८,४३० और २,००,१३८ टन।

(ग) कुछ प्रयोजनों के लिये चुने को सीमेन्ट के स्थान पर या सीमेन्ट के साथ मिला कर काम में लाया जा सकता है किन्तु यह एक स्थानापन्न वस्तु का काम नहीं दे सकता।

सीमान्त घटनाएं

†*१६६८. **श्री गिडवानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गारो पहाड़ियों के सीमान्त पर रहने वाले लोगों को सम्बन्धित आसाम के मुख्य मंत्री के इस कथन की ओर आकर्षित हुआ है, कि उन लोगों को मिलकर हमारे सीमान्तों पर किये गये पाकिस्तान के हमलों और हस्तक्षेप का सामना करना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तानी हमलों और हस्तक्षेप के बारे में स्थिति क्या है और सरकार द्वारा इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी हां।

(ख) फरवरी और मई १९५६ में पाकिस्तानी सैनिकों ने किसी प्रकोपन के बिना ही कछार-सिलहट सीमा पर गोली चलाई। इन घटनाओं के बारे में, आयुक्तों के स्तर पर एक संयुक्त जांच किये जाने का प्रश्न विचाराधीन है। १९५६ में गारो पहाड़ियों और पूर्वी पाकिस्तान सीमान्त पर तीन घटनायें हुई थीं। प्रत्येक बार आसाम सरकार द्वारा पूर्वी पाकिस्तान सरकार के पास विरोध पत्र भेजे गये थे।

तेल की मिलें

†*१६६९. **श्री रा० प्र० गर्ग** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि उत्तर-प्रदेश की २५८ तेल की मिलों में से केवल १०० काम कर रही हैं, जिन में से ३० मिलें अपनी संस्थापित क्षमता का ५० प्रतिशत या उससे अधिक, १६ मिलें २५ प्रतिशत से अधिक किन्तु ५० प्रतिशत से कम और ८ मिलें २५ प्रतिशत से भी कम क्षमता का उपयोग कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस का क्या कारण है और मिलों को पूरी क्षमता के साथ चलाने के विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). ठीक-ठीक और सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है। केन्द्र का सम्बन्ध केवल उन तेल की मिलों से है जो उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन पंजीकृत हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसी ३९ मिलें हैं। ३ मिलें बन्द पड़ी हैं। अन्य मिलों के काम के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं है। फिर भी यह कहना सुसंगत होगा कि देश में कुछ तेल की मिलें अनेक कारणों से पूर्ण क्षमता के साथ काम नहीं कर रही हैं और वे कारण ये हैं तिलहन की अपर्याप्त संभरण, तिलहन और तेलों के मूल्यों में असमानता, परिवहन की कठिनाइयां आदि।

---

†मूल अंग्रेजी में।

उर्वरक उत्पादन समिति

†*१६७०. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरक उत्पादन समिति की सिफारिशों पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) और (ख). सरकार ने अतिरिक्त उर्वरक कारखानों के स्थानों और प्रत्येक कारखाने में पैदा किये जाने वाले उर्वरक की किस्मों और परिमाणों के सम्बन्ध में समिति की सिफारिशों की जांच की है और निर्णय किये हैं। उत्पादन मंत्रालय की १९५५–५६ की वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ ३ के पैरा ३ में निर्णयों का विवरण मिल सकता है।

समिति की अन्य सिफारिशें अधिकांश गौण रूप में हैं और उर्वरक के अतिरिक्त कारखाने स्थापित करने की मुख्य सिफारिशों को सरकार द्वारा क्रियान्वित किये जाने के बारे में है। इन सिफारिशों की जांच की जा रही है।

थामस किस्म का इस्पात

†*१६७१. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में थामस किस्म के इस्पात का प्रयोग किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस्म और मूल्य की दृष्टि से यह खुली भट्टी में तैयार किये गये इस्पात की तुलना में कैसा है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) हां श्रीमान्।

(ख) अभी इतना समय नहीं गुजरा कि कोई राय कायम की जा सके। खुली भट्टी के इस्पात की आम किस्में थामस किस्म के इस्पात की अपेक्षा प्रति टन १० डालर महंगी बताई जाती हैं।

छोटे उद्योगों का विकास

†*१६७२. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे उद्योगों के विकास के कुछ अमेरिकी विशेषज्ञ भारत आये हैं ;

(ख) यदि हां, तो यहां उनके मुख्य कार्य क्या है ; और

(ग) भारत में छोटे उद्योगों के विकास में उन के परामर्श से किस हद तक सहायता मिली है ?

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) हां श्रीमान्।

(ख) और (ग) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ठ १०, अनुबन्ध संख्या २१]**

भारत में विदेशी समवाय

†*१६७३. **श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि युरोपीय समवायों में और विशेषतया उत्तर भारत के चाय बागान में समान उत्तर-दायित्व के पदों पर काम करने वाले युरोपीय और भारतीय असिस्टेन्टों के वेतनों और प्रत्याशंसाओं में अब भी असमानता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : देश में स्थित विदेशी समवायों की नियोजन विवरणियों के अध्ययन से पता चलता है कि समान उत्तरदायित्व के पदों के लिये भारतीय और विदेशी कर्मचारियों को आम तौर पर समान वेतनक्रम, महंगाई भत्ता, मकान का किराया, कार का भत्ता, बोनस छुट्टी और अन्य विशेषाधिकार दिये जाते हैं और इस विषय में प्रायः कोई असमानता नहीं है। तथापि कुछ मामलों में विदेशी कर्मचारियों को समुद्रपार भत्ता और समुद्रपार छुट्टी दी जाती है।

उत्तर भारत के चाय बागान में स्थिति भिन्न नहीं है। उत्तर भारत के चाय बागान द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणियों से पता चलता है कि समान उत्तरदायित्व के पदों पर काम करने वाले भारतीय और विदेशी कर्मचारियों को समान वेतनक्रम दिये जाते हैं।

ग्राम सेवकों का प्रशिक्षण

†*१६७४. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समस्त भारत में अब तक प्रशिक्षित ग्राम सेवकों, समाज शिक्षा प्रबन्धकों और खण्ड पदाधिकारियों की संख्या राज्य वार कितनी हैं?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २२**]

गोआ

†*१६७५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कराची के एक समाचारपत्र की इस खबर की ओर दिलाया गया है कि गोआ में मैट्रिक की परीक्षा पाकिस्तानी प्राधिकारियों द्वारा आयोजित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो भारत स्थित गोआनी विद्यार्थियों को ऐसी ही सुविधायें देने के लिये क्या सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी हां।

(ख) गोआ के विद्यार्थियों को भारत में शिक्षा सम्बन्धी तथा अन्य सुविधायें उदारता से दी गई हैं। उन सुविधायें में ये सम्मिलित हैं :

(१) एस. एस. सी., शिक्षा बोर्ड, बम्बई की परीक्षाओं में बैठने की अनुमति;

(२) उच्च शिक्षा के लिये भारत में प्रवेश करने की सुविधायें;

(३) गर्मी की छुट्टियों में घर जाने की अनुमति;

(४) भारत में उनकी शिक्षा के लिये आवश्यक मुद्रा के विनिमय की सुविधायें।

संसद सदस्यों के लिये फ्लैट

†*१६७६. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नार्थ एवेन्यू में संसद् सदस्यों के लिये कुछ नये फ्लैट बनाये जायेंगे ;

(ख) क्या ये ए, बी, सी और डी श्रेणियों के होंगे या केवल विशेष प्रकार के ;

(ग) सत्र के समय साउथ एवेन्यु में कितने फ्लैट खाली रहते हैं ; और

(घ) क्या नार्थ और साउथ एवेन्यू में संसद् सदस्यों के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी फ्लैट दिये जाते हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**निर्माण आवास और संभरण मंत्री के सभा सचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** :(क) हां श्रीमान्।

(ख) ४ (बी) श्रेणी के

१६ (सी) विशेष श्रेणी के

४ (डी) कॉर्नर श्रेणी के

(ग) ४।

(घ) जी हां। यदि संसद् सदस्यों को जरूरत न हो।

लन्दन में भारतीय उच्च आयोग की इमारतें

†*१६७७. **श्री झूलन सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लन्दन स्थित भारतीय उच्च आयोग द्वारा वाणिज्यक प्रचार के लिये पट्टे पर ली गई इमारत के किराये और उपयोग के बारे में इस समय क्या स्थिति है ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : इस इमारत को काम में लाया जा रहा है और उसका किराया लन्दन स्थित भारतीय पर्यटक सूचना कार्यालय और लन्दन स्थित मैसूर व्यापार एजेन्ट कार्यालय द्वारा दिया जाता है।

अणुशक्ति सम्मेलन

†*१६७८. **श्री गिडवानी** :
डा० सत्यवादी :
श्री रामकृष्ण :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २४ और २५ जुलाई, १९५६ को बम्बई में भारत, बर्मा, लंका मिस्र और हिन्देशिया के प्रतिनिधियों की एक बैठक अणुशक्ति के शान्ति पूर्ण प्रयोग के तरीकों पर चर्चा करने के लिये हुई थी; और

(ख) इस सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये थे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) जी हां।

(ख) एक विवरण, जिस में वे विषय दिये गये हैं, जिन के बारे में भाग लेने वाले देशों ने अपनी सरकारों से सिफारिश करने का निर्णय किया था, सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २३**]

सामुदायिक श्रवण योजना

†*१६७९. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामुदायिक श्रवण योजना के लिये बिहार सरकार को अब तक कितने अनुदान की मंजूरी दी गई है ;

(ख) क्या मंजूर किया गया अनुदान इस योजना को चलाने के लिये पर्याप्त पाई गई है ; और

(ग) इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) से (ग). सामुदायिक श्रवण योजना के लिये किसी सरकार को कई अनुदान नहीं दिया जाता। जैसी योजना अभी चल रही, है उस के अनुसार रेडियो सेटों और उन के पुर्जों के मूल्य का ५० प्रतिशत, अनुसहाय्य के रूप में दिये जाने का उपबन्ध है। ये सेट १००० या इस से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में जो आकाशवाणी के क्षेत्र में आते हैं, लगाये जायेंगे। इस आधार पर गांवों का संवरण और उनकी संख्या का निश्चय राज्यों द्वारा किया जायेगा। इस वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार ने अभी तक कोई सेट नहीं मांगे हैं।

उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेन्सी

†*१६८०. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिक्षा के माध्यम के बारे में उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेन्सी में अपनी शिक्षा नीति का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). कि सरकार को इस नीति के अनुसार आदिम जातीय संस्कृति को प्रोत्साहन दिया जाये, यह निश्चय किया गया है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम स्थानीय बोली होनी चाहिये। माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर धीरे-धीरे उस बोली का स्थान हिन्दी ले लेगी।

हिंदुस्तान नावांगण

†*१६८१. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान नावांगण में जहाज बनाने के लिये सलाना कितनी इमारती लकड़ी लगती है ;

(ख) उसमें से कितनी इस समय आयात की जाती है ;

(ग) इमारती लकड़ी की ऐसी कौनसी खास खास किस्में हैं जिनकी जगह काम आने वाली दूसरी लकड़ी भारत में नहीं पायी जाती ; और

(घ) क्या इस प्रयोजन के लिये अन्दमान और मध्य प्रदेश के जंगलों का परीक्षण किया गया है ?

†**उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री रा० गि० दुबे)** : (क) लगभग ६५० टन।

(ख) लगभग ३५० टन।

(ग) विदेशी इमारती लकड़ी की खास किस्म जिसके लिये भारत में स्थानापन्न उपयुक्त लकड़ी नहीं मिलती, ओरोगन पाईन है।

(घ) आयात की गयी इमारती लकड़ी के स्थान पर काम आने वाली उपयुक्त दूसरी लकड़ी ढूंढने के लिये, बन गवेषणा संस्था देहरादून के परामर्श के साथ मध्य प्रदेश और अन्दमान के तथा सभी भारतीय जंगलों का परीक्षण किया गया है।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

भारत-पाकिस्तान बाढ़ नियंत्रण सम्मेलन

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७. श्री ल० ना० मिश्र : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी हाल में दिल्ली में हुए भारत-पाकिस्तान बाढ़ नियंत्रण सम्मेलन में किन किन विषयों पर चर्चा की गयी, और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) उक्त सम्मेलन में क्या अंतिम निर्णय हुए ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) सम्मेलन में चर्चा निम्न विषयों पर की गयी : भारत और पाकिस्तान के पूर्वी क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण के लिये दोनों सरकारों के बीच सहयोग कतिपय प्रक्रिया संबंधी विषयों को और दोनों पूर्वी क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण उपायों की आवश्यक जानकारी के परस्पर आदान प्रदान का तरीका अंतिम रूप से तय करना।

(ख) भारत और पाकिस्तान के मंत्रियों ने ब्रम्हपुत्र नदी आयोग (भारत) और पूर्वी पाकिस्तान बाढ़ आयोग (पाकिस्तान) के अध्यक्षों को टेक्नीकल विषयों पर प्रत्यक्ष परस्पर पत्र-व्यवहार करने और दोनों क्षेत्रों की बाढ़ समस्याएं हल करने में सहायक जानकारी मांगने का अधिकार दिया है।

सम्मेलन ने दोनों आयोगों के अध्यक्षों द्वारा की गयी निम्न सिफारिशों का अनुमोदन किया है :

(१) भारत में दिब्रूगढ़, गौहाटी, पटना, सिलचर, गोमती, खावई और धोलाल से पाकिस्तान को बाढ़ चेतावनी देना,

(२) पाकिस्तान में अनराई से भारत को बाढ़ चेतावनी देना,

(३) भारी वर्षा के आंकड़े शिलांग से पाकिस्तान भेजना,

(४) पाकिस्तान में सिलहट और हबीगंज से भारत को भारी वर्षा के आंकड़े भेजना,

(५) ब्रम्हपुत्र घाटी या अन्य सहायता के संबंध में ऐसी कोई जानकारी जो पूर्वी पाकिस्तान में बाढ़ नियंत्रण योजनाएं बनाने के लिये दोनों अध्यक्ष आवश्यक समझें, भारत देने का प्रयत्न करेगा।

वायदा बाजार आयोग

†१२१२. **श्री रामकृष्ण** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मान्यता के लिये अभी तक वायदा बाजार आयोग को संथाओं से राज्यवार कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं ; और

(ख) कौन-कौन सी संथाओं को मान्यता दी गयी हैं ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २४]**

छोटे पैमाने के निर्माताओं का प्रतिनिधि मंडल

†१२१३. **श्री रामकृष्ण** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार छोटे पैमाने के निर्माताओं के एक प्रतिनिधि मंडल को आधुनिक मशीनरी का ज्ञान प्राप्त करने के लिये शीघ्र ही विदेश भेजेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिनिधिमंडल के सदस्य चुन लिये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार उन के नाम क्या हैं ;

(घ) वे किन-किन देशों में जायेंगे ?

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (घ). छोटे पैमाने के उद्योगों में काम करने वाले व्यक्तियों को इस बात का अध्ययन करने के लिये कि स्वीडन में छोटे पैमाने के उद्योगों में किस प्रकार काम होता ह, वहां भेजने की एक प्रस्थापना विचाराधीन है। योजना के विस्तारों के संबंध में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड

†१२१४. **श्री नि० बि० चौधरी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २ अक्टूबर १९५६ को पश्चिम बंगाल में कौन-कौन से राष्ट्रीय विस्तार खंड चालू करने का विचार है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

काजू

†१२१५. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में भारत के कारखानों में (राज्यवार) कुल कितने कच्चा काजू की खपत हुई ;

(ख) उस अवधि में कुल कितना उत्पादन (राज्यवार) हुआ ; और

(ग) उस अवधि में कुल कितना और कितने मूल्य के कच्चे काजू का आयात किया गया ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (ग) भारत में कच्चे काजू के उत्पादन और खपत के ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। १९५५-५६ में हमने ४,८३,७२,००५ रुपये का ६२,१५९ टन कच्चा काजू आयात किया और अनुमान है कि १९५५-५६ की फसल से केवल ४८,००० टन देशी उत्पादन हुआ है। देश में हमारा औसत उत्पादन ५०,००० से ६०,००० टन तक रहा है। भारत में काजू कारखानें पूरी पूरी मात्रा काम में लाते है। राज्यवार अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

पटसन की मिलें

†१२१६. **श्री रामकृष्ण** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी कितनी पटसन की मिलें हैं जिन्होंने अब तक अपनी मशीनरी का आधुनिकीकरण किया है ;

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना में पटसन की मिलों के आधुनिकीकरण पर कितना रूपया खर्च करने का विचार है ; और

(ग) किस हद तक इस आधुनिकीकरण से उत्पादन मूल्य में कमी और उत्पाद की किस्म में सुधार हो सका है ?

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) उन पटसन की मिलों की संख्या जिन की मशीनरी का आधुनिकीकरण पूर्णतया या आंशिक रूप से हो चुका है या हो रहा है, ६४ है।

(ख) यदि आधुनिकीकरण वर्तमान गति से होता रहा तो आशा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिये उद्योग द्वारा १५-२० करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।

(ग) ठीक-ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि लागत की वास्तविक बचत या उत्पाद-की किस्म में सुधार प्रत्येक मिलके लिये अलग अलग होता है। फिर भी ज्ञात हुआ है कि एक आधुनिक कताई फ्रेम का उत्पादन लगभग २५ प्रतिशत अधिक है।

यूरेनियम

†१२१७. **श्री रामकृष्ण** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेप्सू के महिन्दरगढ़ जिले में जहां यह समझा जाता है कि बहुत अधिक परिणाम में यूरेनियम उपलब्ध है कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो उसके क्या विस्तार हैं?

†**प्रधान मंत्री और वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). पेप्सू के महिन्दरगढ़ जिले में "बहुत अधिक परिमाण में यूरेनियम" मिलने के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है और न तो उस क्षेत्र की भूतत्वीय बनावट ही उसके अनुकूल समझी जाती है।

कपड़े की मिलें

†१२१८. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पंजाब और पेप्सू में कपड़ा मिलें स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां तो कहां और प्रत्येक मिल में कितने करघे और तकुएं लगायें जायेंगे; और

(ग) प्रत्येक मिल में कितने व्यक्तियों को काम दिया जाएगा?

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २५**]

रोड रोलर्स

†१२१९. **श्री रामकृष्ण** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में डिजेल रोलर्स की आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त तीन आदमियों की एक समिति ने क्या अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन के मुख्य पहलू क्या हैं?

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड

†१२२०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड ने कितनी प्रदर्शनियां आयोजित कीं, और

(ख) इस वर्ष कौन-कौन सी प्रदर्शनियां आयोजित करने का विचार है?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) चालू वित्तीय वर्ष में अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड ने शिमला, श्रीनगर और बंबई में भारतीय धातु के बर्तनों की एक प्रदर्शनी आयोजित की थी।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में निम्न प्रदर्शनियां करने का विचार है :

(१) चलते-फिरते प्रदर्शनी एकक के जरिये भावनगर, अहमदाबाद, हैदराबाद, बंगलौर, मद्रास, कलकत्ता, लखनऊ और भोपाल में धातु के बर्तनों की प्रदर्शनी;

(२) नवम्बर, १९५६ में नयी दिल्ली में यूनेस्को सामान्य सभा के समय दस्तकारी प्रदर्शनी ;

(३) फरवरी, १९५७ में नयी दिल्ली में बांस, लाख की मीनाकारी और आसाम दस्तकारी प्रदर्शनी।

(४) दिसम्बर, १९५६ में दस्तकारी सप्ताह के उपलक्ष्य में विभिन्न राज्यों में दस्तकारी प्रदर्शनी।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

सूरत का कमख्वाव उद्योग

†१२२१. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूरत कमख्वाव उद्योग का पुनरुत्थान करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) उद्योग की पुनरुत्थान के लिये अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड ने सूरत में एक अग्रिम केन्द्र स्थापित किया है।

(ख) ३१ जुलाई, १९५६ तक ४०,०१३ रुपये खर्च किये गये है।

पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

†१२२२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को पश्चिम बंगाल में बसाने के लिये अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री ज० कृ० भोंसले)** : ऋण के अधीन ३४४१·५४ लाख रूपये पुनर्वास अनुदानों के अधीन ७८६·३५ लाख रुपये सहायता पर २४३३·१७ लाख रुपये, इस प्रकार ३०-६-५६ तक कुल ६६६१·०६ लाख रुपये।

संश्लेषित कपड़ा

†१२२३. **श्री झूलन सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेंडी का तेल, कोयला और पेट्रोल से संश्लेषित कपड़े तैयार करने के लिये जापान में जो तरीका निकाला गया है, उसकी ओर क्या उनका ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कपड़े के लिये आवश्यक कपास और अन्य कच्चे माल में बचत करने के लिये यह तरीका इस देश में उपयुक्त सिद्ध होगा ?

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विदेशों में भारतीय सूचना कार्यालय

†१२२४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारतीय सूचना कार्यालयों में कुल कितने वाचनालय और पुस्तकालय हैं, और

(ख) क्या विदेश में भारतीय मामलों के बारे में जानकारी की मांग है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) विदेशों में भारत सरकार के ३९ सूचना कार्यालयों में पुस्तकालय हैं जिनमें से २० में सार्वजनिक वाचनालय भी हैं।

(ख) जी, हां।

---

†मूल अंग्रजी में।

द्वितीय पंच वर्षीय योजना

†१२२५. **श्री दी० चं० शर्मा:**
श्री हेमराज :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संघ सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये पंजाब सरकार की कौन-कौन सी योजनाएं स्वीकार की हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : विस्तृत जानकारी दूसरी पंचवर्षीय योजना की विकास योजनाओं संबंधी पुस्तक में जो शीघ्र ही प्रकाशित की जायगी, दी जायगी ।

उद्यान विभाग

†१२२६. **श्री भीखा भाई** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्यान विभाग के चौधरी और सहायक चौधरी निरीक्षक कर्मचारी वर्ग की श्रेणी में आते हैं ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय वेतन आयोग ने किस वेतन क्रम की सिफारिश की है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय वेतन आयोग ने जिस वेतनक्रम की सिफारिश की है वह स्वीकार कर लिया गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभा सचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) जी हां। वे अर्ध-प्रवीण अधीक्षक कर्मचारी हैं।

(ख) केन्द्रीय वेतन आयोग ने अर्ध प्रवीण श्रेणी के लिये (अर्धकुशल निरीक्षक को सम्मिलित कर) ३५–५० रुपये और ४०–६० रूपये के वेतनक्रमों की सिफारिश की है।

(ग) जी हां।

नागार्जुन सागर बांध

†१२२७. **श्री च० रा० चौधरी:**
श्री श० व० ल० नरसिंहम् :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागार्जुन सागर परियोजना पर काम करने वाले कर्मचारियों को कितना परियोजना भत्ता दिया जाता है और केन्द्रीय नियंत्रण के अधीन अन्य राज्यों में इसी प्रकार की परियोजनां पर काम करने वाले कर्मचारियों को दिये जाने वाले भत्ते की तुलना में वह कितना है ; और

(ख) नागार्जुन सागर परियोजना के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने पर अब तक कितना खर्च किया जा चुका है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ठ १०, अनुबंध संख्या २६**]

(ख) ३,९४,१४४ रुपये।

सागवान की लकड़ी का आयात

†१२२८. **श्री च० रा० चौधरी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी लेखे पर तथा अन्य लेखे पर बर्मा और दूसरे पड़ोसी देशों से कितने रुपये की सागवान लकड़ी सालाना आयात की जाती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : सरकारी लेखे पर सागवान लकड़ी के आयात के आंकड़े अलग अलग नहीं रखे जाते। पिछले तीन वर्ष में प्रत्येक देश से सागवान लकड़ी के आयात का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २७]**

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में काम करने के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारी

†१२२९. **श्री नम्बियार** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में काम के लिये स्थायी रूप से रख गये कर्मचारी न्यूनतम मजूरी अधिनियम १९४८ के अन्तर्गत आते हैं और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के वर्कशाप में काम करने वाले कर्मचारी कारखाना अधिनियम, १९४८ के भी अन्तर्गत आते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें अधिक समय तक काम करने के लिये संसद् के उक्त अधिनियमों के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभा सचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों में से कुछ कर्मचारी न्यूनतम मजूरी अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत आते हैं। वर्कशाप में काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारी कारखाना अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत आते हैं।

(ख) जहां तक वर्कशाप में काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों का सम्बन्ध है, उन्हें अब तक विभागीय नियमों के अन्तर्गत पारिश्रमिक दिया गया है। किन्तु अब ये आदेश दिये गये हैं कि उन्हें कारखाना अधिनियम के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाये।

न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत आनेवाले कर्मचारियों के बारे में यह आदेश दिया गया है कि अधिक समय तक काम करने के लिये भत्ता प्राप्त करने का अधिकार जिन कर्मचारियों को है, उनका पारिश्रमिक यदि भूलवश या अन्यथा रोक लिया गया है तो उन्हें उस अधिनियम के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाये।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

†१२३०. **श्री नम्बियार** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के 'जी' डिवीजन के तथा लोक-निर्माण विभाग के दूसरे सर्कित के अन्य डिवीजनों के कर्मचारियों ने हिज एक्सेलेंसी मार्शल बुल्गानिन तथा श्री खुश्चेव के भारत पर्यटन के समय, ओवर-टाइम काम किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या ओवर-टाइम काम के लिये कर्मचारियों को पैसा दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो किस दर पर; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

†**निर्माण आवास और संभरण मंत्री के सभा सचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) कुछ कर्मचारियों को ओवर-टाइम काम करना पड़ा था।

(ख) से (घ). कुछ कर्मचारियों को प्रतिकरात्मक विश्राम दिया गया था। नियमों के अनुसार, जो ओवर-टाइम काम के लिये पैसा पाने के अधिकारी थे, उनको पैसा देने के आदेश दिये जा चुके है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

†१२३१. **श्री नम्बियार** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय औद्योगिक मेले में केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के दूसरे सर्किल के कर्मचारियों ने ओवर-टाइम काम किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या ओवरटाइम काम के लिये उन्हें पैसा दिया गया था ;

(ग) यदि हां, तो किस दर पर; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभा सचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) मेले में कुछ कर्मचारियों ने ओवर-टाइम काम किया था।

(ख) से (घ). कुछ कर्मचारियों को प्रतिकरात्मक विश्राम दिया गया था। नियमों के अनुसार, जो लोग ओवर-टाइम काम के लिये पैसा पाने के अधिकारी थे उनको पैसा देने के आदेश दिये जा चुके हैं।

अपहृत स्त्रियों की प्राप्ति

†१२३२. { **श्री गिडवानी** :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २७ तथा २८ जुलाई, १९५६ को, कराची में अपहृत स्त्रियों की प्राप्ति के सम्बन्ध में भारत-पाकिस्तान सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये ?

†**निर्माण, आवास और संभरण तथा वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां ; २८ जुलाई, १९५६ को कराची में सम्मेलन हुआ था।

(ख) सम्मेलन में किये गये निर्णयों की विज्ञप्ति की एक प्रति जो भारत तथा पाकिस्तान द्वारा २९ जुलाई, १९५६ को जारी की गयी थी, सभा पटल पर रख दी गयी है। [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबंध संख्या २८**]

उत्तर-पूर्वी सीमान्त एजेन्सी

†१२३३. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेन्सी में कितने प्राथमिक स्कूलों में आसामी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती है ;

(ख) क्या विद्यार्थियों अथवा उनके अभिभावकों से, आसामी माध्यम रखने के विरूद्ध कोई शिकायतें आई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (ग). प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। इसको एकत्रित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

चाय उद्योग का भारतीयकरण

†१२३४. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में चाय उद्योग में (सेवा के उच्च पदों पर) किस सीमा तक भारतीयकरण हुआ है; और

(ख) आसाम में योरोपियनों के प्रबन्ध के अधीन, मैनेजर, उप-मैनेजर आदि के पदों पर, इस समय चाय बागानों में कितने योरोपीय और कितने भारतीय नियुक्त हैं ?

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) केवल आसाम के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है। उत्तर-पूर्व में चाय उद्योग में १००० रुपये तथा उससे अधिक वेतनों पर नियुक्त भारतीय १९४७ से १९५६ में ०.१ से १३.४ प्रतिशत बढ़ गये हैं जब कि इसी अवधि में योरोपीय ९९·९ से २६·६ प्रतिशत कम हो गये हैं।

(ख) उत्तर-पूर्व के चाय समवायों से प्राप्त विवरणों के अनुसार १ जनवरी १९५६ को सेवा की उच्च पदों पर ७४२ योरोपियन तथा ११५ भारतीय नियुक्त थे।

इस्पात प्रतिनिधि मंडल

†१२३५. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात संयंत्र के लिये संविदे[1] तय करने के लिये एक सरकारी प्रतिनिधि मंडल योरोपियन देशों को गया था ;

(ख) यदि हां तो यह शिष्ट मंडल अपनी उद्देश्य पूर्ति में कहां तक सफल रहा, और

(ग) तय किये गये संविदा के क्या ब्यौरे हैं ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह):** (क) जी हां।

(ख) और (ग) प्रतिनिधि मंडल अब भी योरोप में है तथा बातचीत अभी समाप्त नहीं हुई है।

पंजाब तथा पेप्सू में सिंचाई तथा विद्युत् परियोजनायें

†१२३६. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में पंजाब तथा पेप्सू की सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिये कितना कितना धन स्वीकार किया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी):** प्रत्येक योजना की धन राशि पर राज्य सरकारों से पत्र-व्यवहार हो रहा है तथा उनको अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में। [1]Contract.

अदन में भारतीय कर्मचारी

†१२३७. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अदन की विभिन्न पेट्रोलियम तथा अन्य सम्बद्ध संस्थाओं में कितन भारतीय काम कर रहे हैं ; और

(ख) क्या सरकार को उनकी सेवा के समझौते की शर्तों के ब्यौरों की जानकारी है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) भरती करने वाले एजेन्ट से आवश्यक जानकारी मंगाई गई है तथा जैसे ही आंकड़े उपलब्ध होंगे, विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ख) जी हां, सेवा समझौते भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किये गये थे ।

आकाशवाणी

†१२३८. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें विदेशों में रहने वाले भारतीयों से आकाशवाणी के विदेशी प्रसारणों में प्रादेशिक भाषाओं के प्रसारण के संबंध में कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुआ है ; और

(ख) वह देश तथा भाषायें कौन सी हैं जिनके लिये प्रार्थनाएं प्राप्त हुई थीं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी हां ।

(ख) दक्षिणी अफ्रीका, मॉरीशस, तथा बर्मा से तेलगू कार्यक्रम की पूर्वी अफ्रीका से पंजाबी कार्यक्रम की तथा दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से मलयालम कार्यक्रमों के लिये प्रार्थना की गई है । २६ मई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २५६७ के उत्तर में स्पष्ट कर दिया गया था कि विदेशी प्रसारणों में अलग प्रादेशिक भाषा प्रारम्भ करने का प्रश्न वित्तीय है तथा इस प्रकार की सेवायें बड़ी मंहगी होती हैं । यह निर्णय किया गया है कि जिस भाषा के विदेशों में श्रोता अधिक हों उसीका प्रसारण हो ।

संश्लेषित तेल का कारखाना

†१२३९. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संश्लेषित तेल का कारखाना स्थापित करने की 'विशेषज्ञ समिति' के प्रतिवेदन की जांच पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो देर के क्या कारण हैं ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) अन्य संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से प्रतिवेदन की विस्तार रुप से जांच हो रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

मोटर गाड़ी उद्योग

†१२४०. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री २६ मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २५५१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन के एसोशियेटेड कार्मशियल वहिकल्स के डायरेक्टर श्री ए०जे० रोमर ने किन स्थानों तथा कारखानों को देखा था;

(ख) क्या उन्होंने अपना परामर्श अथवा राय दी है ; और

(ग) यदि हां, तो वह किस प्रकार की है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २९]**

(ख) और (ग). श्री रोमर ने अपना प्रतिवेदन प्रशुल्क आयोग को प्रस्तुत किया है। मोटर गाड़ी उद्योग के बारे में प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों की सरकार जांच कर रही है।

भारतीय आप्रवासी

†१२४१. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आप्रवासी के रूप में, प्रत्येक वर्ष न्यूजीलैंड जाने के लिये भारतीयों के लिये कितना कोटा स्वीकृत है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: आप्रवासी के रूप में न्यूजीलैंड जाने का भारतीयों का कोई कोटा नहीं है।

केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड

†१२४२. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६ में अब तक केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड ने अलग अलग कितने भारतीय तथा विदेशी फिल्मों को प्रमाण पत्र दिये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :

	३५ एम० एम० में २००० फीट तथा १६ एम० एम० में ८०० फीट से अधिक की फिल्में	३५ एम० एम० में २००० फीट तथा १६ एम०एम० में ८०० फीट से कम की फिल्में	जोड़
भारतीय	१९२	३२४	५१६
विदेशी	३६२	९७४	१,३३६

†मूल अंग्रेजी में।

विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती

†१२४३. **श्री संगण्णा** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में कोरापुट जिले के मलकनगिरी तालुक में पुर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के लिये एक बड़ी पुनर्वास बस्ती बनायी जा रही है ;

(ख) बस्ती का प्रक्कलित व्यय क्या है ; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति की गई है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री ज० कृ० भोंसले)** : (क) जी नहीं। तालुक का केवल एक क्षेत्र का सुझाव दिया गया है तथा प्रारंभिक सर्वेक्षण कर लिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मांस का निर्यात

†१२४४. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३, १९५४ तथा १९५५ में भारत से कितने मांस का निर्यात हुआ है तथा उसका मूल्य क्या है ; और

(ख) आयात करने वाले मुख्य देश कौन से हैं ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख) भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में मांस के निर्यात के लेखे अलग नहीं लिखे जाते हैं।

चाय पर उपकर

†१२४५. **श्री का० प्र० त्रिपाठी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय उपकर, केवल निर्यात की जाने वाली चाय पर ही लगाया जाता है ; और

(ख) क्या यह उपकर, निर्यात केटलौग के द्वारा बेची जाने वाली सभी चायों पर, बिना इस बात के कि इसका अन्त में निर्यात होगा अथवा नहीं, लगाया जाता है ?

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी नहीं।

(ख) कलकत्ते के बाजार में, दलालों के 'निर्यात केटलौग' में दिखाये गये चाय के मूल्य में कर की धन राशि भी शामिल है। चाय खरीदने के पश्चात् जब दलाल लाई गई चाय की मात्रा का बिल बनाता है, तब चाय की मात्रा पर कर की राशि को निकाल देता है। जब चाय जहाज में भरी जाती है तब जहाज वाले कर की अपेक्षित राशि सीमा शुल्क पदाधिकारियों को देते हैं, क्योंकि कर किसी भी सीमा शुल्क बन्दरगाह से भारतीय संघ की सीमा के बाहर किसी बन्दरगाह के लिये निर्यात की जाने वाली चाय पर लगाया जाता है केवल डाक द्वारा निर्यात की गयी चाय पर कर नहीं लगाया जाता है।

भारतीय व्यापार प्रदर्शनियां

†१२४६. **श्री काजरोल्कर** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९५६ से अब तक दक्षिणी तथा पूर्वी योरोप में किन स्थानों पर भारतीय व्यापार प्रदर्शनियां हुई हैं ; और

(ख) इन प्रदर्शनियों में प्रदर्शित वस्तुओं की मुख्य श्रेणियां क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ३०]**

प्रशिक्षण के लिए प्रविधिक संस्था

†१२४७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला की प्रस्तावित प्रविधिक संस्था ने प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां तो इस समय कितने प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

हाथ से चावल कूटने का उद्योग

†१२४८. { **ठाकुर युगल किशोर सिंह** :
श्री देवगम :

क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाथ से चावल कूटने के उद्योग के विकास के लिये भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड ने विभिन्न राज्यों की सहकारी समितियों को कितना धन दिया है;

(ख) बिहार में हाथ से चावल कूटने के उद्योग के विकास कार्यक्रम के लिये कितनी संस्थायें पंजीबद्ध हुई हैं ; और

(ग) ये संस्थायें किन शर्तों पर पंजीबद्ध हुई हैं ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अम्बर चर्खा

†१२४९. { **श्री सें० वें० रामस्वामी** :
श्री तिम्मय्या :

क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीन वस्त्र नीति के अधीन राज्य वार अम्बर चर्खों का किस प्रकार आवंटन किया गया है ; और

(ख) विद्युत करघों की स्तावित राज्यवार बढ़ोत्तरी क्या है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) और (ख). अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

मूंगफली, अलसी और खाने के अन्य तेलों का निर्यात

१२५०. **श्री खूं० चं० सोधियां** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५६ से ३१ जुलाई, १९५६ तक

(१) मूंगफली,

(२) अलसी, और

(३) खाने के अन्य तेलों का निर्यात सन् १९५५ के इन्हीं महीनों के बीच हुए इन तेलों के निर्यात की अपेक्षा कितना कम अथवा कितना अधिक है ;

(ख) देश की मुख्य तेल मंडियों में इन्हीं तेलों के भाव पिछले वर्ष की पहली छमाही की अपेक्षा कितने घटे अथवा बढ़े हुए हैं ; और

(ग) पिछले वर्ष की पहली छमाही में और इस वष की पहली छमाही में इन तेलों के निर्यात शुल्क की दरें क्रमशः कितनी कितनी थीं ।

व्यापार मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग). तीन विवरण-पत्र सभा पटल पर रखे जाते हैं । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ३१]**

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१६३०	सीमान्त हमले	१५८९–१६००
१६३१	खाने के काम आने वाले तेल	१६००–०१
१६३२	शरणार्थी कैम्पों का बस्तियों में बदला जाना	१६०१–०२
१६३३	बुनियादी उष्मरोधक	१६०२
१६३४	कोयले का निर्यात	१६०२–०३
१६३५	भारतीय उत्प्रवास अधिनियम	१६०३–०४
१६३६	राष्ट्रीय निर्माण निगम	१६०४–०५
१६३७	सजगता अधिकारी	१६०५–०६
१६३८	भारत साधु समाज	१६०६–०७
१६३९	अधिकारियों द्वारा सड़क निर्माण	१६०७–०८
१६४३	राज्य-सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना	१६०८–०९
१६४४	भारतीय नदियों को मिलाना	१६०९–१०
१६४६	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	१६१०
१६४७	चाय बागान	१६१०–११
१६४८	पिछड़े क्षेत्रों में परिवहन संबंधी सुविधायें	१६१२–१३
१६५०	मकान बनाने के लिये ऋण	१६१३
१६५३	राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सामुदायिक विकास खंड	१६१४–१६
१६५४	त्रिपुरा में भूमि	१६१६–१७
१६५६	सीमेन्ट का बंटवारा	१६१७–१८
१६५७	एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग	१६१८
१६६०	इस्पात प्रविधिज्ञों का प्रशिक्षण	१६१८–१९
१६६१	रबड़ के वृक्षों का रोपण	१६१९–२०
१६६२	दुर्गापुर इस्पात कारखाना	१६२०–२१
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१६२१–४३
तारांकित प्रश्न संख्या		
१६४०	गांवों में बिजली लगाने का कार्यक्रम	१६२१
१६४१	कपड़े की मिलें	१६२१–२२
१६४२	कोयला खनन	१६२२
१६४५	माचेरला का सीमेंट का कारखाना	१६२२

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१६४९	सामुदायिक परियोजनाओं में तकावी का वितरण . .	१६२२
१६५१	ब्रह्मपुत्र के बाढ़ जल विज्ञान का अध्ययन . .	१६२३
१६५२	रोलिंग मिलें	१६२३
१६५५	संयंत्र और मशीनरी समिति	१६२३–२४
१६५८	अलूमीनियम के कारखाने	१६२४
१६५९	तुंगभद्रा परियोजना केन्द्रीय बोर्ड . . .	१६२४
१६६३	बन्दरों का निर्यात	१६२४
१६६४	हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स एण्ड हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइट्स लिमिटेड के उत्पाद	१६२४–२५
१६६५	केन्द्रीय उद्योग मंत्रणा परिषद	१६२५
१६६६	श्रीलंका में भारतीय	१६२५
१६६७	सीमट की कमी	१६२५–२६
१६६८	सीमान्त घटनायें . . .	१६२६
१६६९	तेल की मिलें . . .	१६२६
१६७०	उर्वरक उत्पादन समिति	१६२७
१६७१	थामास किस्म का इस्पात	१६२७
१६७२	छोटे उद्योगों का विकास	१६२७
१६७३	भारत में विदेशी समवाय	१६२७–२८
१६७४	ग्राम सेवाओं का प्रशिक्षण	१६२८
१६७५	गोआ	१६२८
१६७६	संसद् सदस्यों के लिये फ्लैट	१६२८–२९
१६७७	लन्दन में भारतीय उच्च आयोग की इमारतें . .	१६२९
१६७८	अणु शक्ति सम्मेलन	१६२९
१६७९	सामुदायिक श्रवण योजना	१६२९–३०
१६८०	उत्तर-पूर्वी सीमान्त एजेंसी . . .	१६३०
१६८१	हिन्दुस्तान नावांगन . . .	१६३०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
१७	भारत-पाकिस्तान बाढ़-नियंत्रण सम्मेलन . .	१६३०–३१
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१२१२	वायदा बाजार आयोग	१६३१
१२१३	छोटे पैमाने के निर्माताओं का प्रतिनिधि मंडल . .	१६३१
१२१४	पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड . .	१६३२
१२१५	काजू	१६३२
१२१६	पटसन की मिलें . . .	१६३२
१२१७	यूरेनियम	१६३२–३३

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१२१८	कपड़े की मिलें	१६३३
१२१९	रोड रोलर्स	१६३३
१२२०	अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड	१६३३
१२२१	सूरत का कमख्वाव उद्योग	१६३४
१२२२	पश्चिमी बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	१६३४
१२२३	संश्लेषित कपड़ा	१६३४
१२२४	विदेशों में भारतीय सूचना कार्यालय	१६३४
१२२५	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	१६३५
१२२६	उद्यान विभाग	१६३५
१२२७	नागार्जुन सागर बांध	१६३५
१२२८	सागवान की लकड़ी का आयात	१६३५–३६
१२२९	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में काम करने के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारी	१६३६
१२३०	केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग	१६३६
१२३१	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	१६३७
१२३२	अपहृत स्त्रियों की प्राप्ति	१६३७
१२३३	उत्तर-पूर्वी सीमान्त एजेंसी	१६३७
१२३४	चाय उद्योग का भारतीयकरण	१६३८
१२३५	इस्पात प्रतिनिधि मंडल	१६३८
१२३६	पंजाब तथा पेप्सू में सिंचाई तथा विद्युत् परियोजनायें	१६३८
१२३७	अदन में भारतीय कर्मचारी	१६३९
१२३८	आकाशवाणी	१६३९
१२३९	संश्लेषित तेल का कारखाना	१६३९
१२४०	मोटर गाड़ी उद्योग	१६४०
१२४१	भारतीय आप्रवासी	१६४०
१२४२	केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड	१६४०
१२४३	विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती	१६४१
१२४४	मांस का निर्यात	१६४१
१२४५	चाय पर उपकर	१६४१
१२४६	भारतीय व्यापार प्रदर्शनियां	१६४१–४२
१२४७	प्रशिक्षण के लिये प्रविधिक संस्था	१६४२
१२४८	हाथ से चावल कूटने का उद्योग	१६४२
१२४९	अम्बर चरखा	१६४२
१२५०	मूंगफली, अलसी और खाने के तेलों का निर्यात	१६४३

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ८, १९५६

(२७ अगस्त से १३ सितम्बर १९५६ तक)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

तेरहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ८ में अंक ३१ से ४५ तक है)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

6—257 L.S. 57.

विषय-सूची

[भाग २—वाद-विवाद खंण्ड ८—२७ अगस्त से १३ सितम्बर, १९५६]

अंक ३१—सोमवार, २७ अगस्त, १९५६ — पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र १४८५

समिति के लिये निर्वाचन—

लोक लेखा समिति १४८६

भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक . . . १४८६

लोक ऋण (संशोधन) विधेयक १४८६

अनुपूरक अनुदानों की मांगें—(त्रावनकोर-कोचीन), १९५६–५७ . १४८७–१५०९

तोल और माप मानदन्ड विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव १५०८–२८

मनीपुर के लिये विकास अनुदानों की बारे में आधे घंटे की चर्चा . १५२८–३३

दैनिक संक्षेपिका १५३४–३५

अंक ३२—मंगलवार, २८ अगस्त १९५६

विशेषाधिकार का प्रश्न . . . १५३६–३८

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५३८

राज्य-सभा से सन्देश १५३८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

साठवाँ प्रतिवेदन. १५३८

सभा का कार्य १५३८–४०

कार्य मंत्रणा समिति—

चालीसवां प्रतिवेदन १५४०

हैदराबाद राज्य बैंक विधेयक १५४०

त्रावनकोर कोचीन विनियोग (संख्या २) विधेयक . . . १५४०–४१

तौल और माप मानदन्ड विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव १६४१–४५

पृष्ठ

राष्ट्रीय स्वंय सेवक बल विधयक—

विचार करने का प्रस्ताव १५४५–७२

खंड २ से ११ और १ . . . . . १५५९–६८

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव. . . . १५६८

समाचार पत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . १५७२–९२

जिप्सम के बारे में आधे घंटे की चर्चा १५९२–९४

दैनिक संक्षेपिका . १५९५–९६

अंक ३३—गुरुवार, ३० अगस्त, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . १५९७

बीमे के राष्ट्रीयकरण के बारे में वक्तव्य . . १५९८–१६०२

सभा का कार्य . . . १६०२–०३

राज्य-सभा से सन्देश १६०३–०४

समाचार पत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में १६०४–१२

खण्ड २ से ४ और १ . . १६०४–१२

पारित करने का प्रस्ताव . . . १६१२

राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . १६१४–३८

खण्ड २ से २५ और १ . . . . . १६१४–३८

संशोधत रूप में पारित करने का प्रस्ताव १६३५

खान पट्टों के प्रारूप (शर्तों का रूपभेद) नियमों के बारे में संकल्प . १६३८–४८

सरकारी रिहाई १६४८

कोयला खानें भविष्य निधि के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . १६४८–५४

दैनिक संक्षेपिका १६५५–५६

अंक ३४—शुक्रवार, ३१ अगस्त, १९५६

सभा पटल पर रखा गया पत्र १६५७

कार्य मंत्रणा समिति—

इकतालीसवां प्रतिवेदन १६५७

राज्य-सभा से संदेश . . १६५७

पृष्ठ

प्राचीन एवं एतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) संशोधन विधेयक . १६५८

सभा का कार्य १६५८, १६९२

खान पट्टों के प्रारूप (शर्तों का रूपभेद) नियम त्रावणकोर-कोचीन के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा से सम्बन्धित संकल्प १६५८–८०

गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों तथा विधेयकों सम्बन्धी समिति—

साठवां प्रतिवेदन. १६८०–८१

राज्यनीति के विदेशक तत्वों के कार्य-संचालन के बारे में समिति की नियुक्ति सबन्धी संकल्प . . . १६८०–८१, १६९३–१७००

आणविक तथा तापीय आणविक परीक्षकों सम्बन्धी संकल्प १७००–०१

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक . १६९१–९२

दैनिक संक्षेपिका १७०२–०३

अंक ३५—शनिवार, १ सितम्बर १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

दिल्ली में बम विस्फोट . १७०५–०७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . १७०७

राज्य-सभा से सन्देश . १७०७–०८

सभा का कार्य . . . १७०८–१०

कार्य मंत्रणा समिति—

इकतालीसवां प्रतिवेदन . . १७०९

जन प्रतिनिधान (तीसरा संशोधन) विधेयक . . . १७१०

त्रावनकोर-कोचीन के बारे में राष्ट्रपति की उदघोषणा से सम्बन्धित संकल्प . १७११–१८

लोक ऋण (संशोधन) विधेयक १७१८–१९

विचार करने का प्रस्ताव . . . १७१८

खण्ड १ से १५ . . १७१८–१९

पारित करने का प्रस्ताव . . १७१९

पृष्ठ

भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . १७१६–२६

खण्ड ८, १ और २ . . . १७१६–२६

पारित करने का प्रस्ताव . . . १७२६

अखिल भारत खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग विधेयक . १७२६–६०

विचार करने का प्रस्ताव . . १७२६

खण्ड २ से २६ और १ . . . १७५६–५६

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १७६०

दैनिक संक्षेपिका . . १७६१–६२

अंक ३६—सोमवार, ३ सितम्बर, १६५६

स्थगन प्रस्ताव—

जड़चरला और महबूबनगर के बीच रेल दुर्घटना . . १७६३–६६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . १७६६

राज्य-सभा से संदेश . . १७६७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति १७६७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

इंडियन ऐल्युमीनियम कं०लिमिटेड अल्वाई में हड़ताल . १७६७

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक— . .

विचार करने का प्रस्ताव १७६८–१८०६

खण्ड २ और १ . . . . १८०६

पारित करने का प्रस्ताव १८०६

दैनिक संक्षेपिका १८१०–११

अंक ३७—मंगलवार, ४ सितम्बर, १६५६

राज्य-सभा से सन्देश १८१३–१४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकसठवां प्रतिवेदन . . . १८१४

सभा पटल पर रखा गया पत्र १८२०–२४

संविधान (७वां संशोधन) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव . १८१४–२०, १८२४–६३

पृष्ठ

दैनिक संक्षेपिका १८६४

अंक ३८—बुधवार, ५ सितम्बर, १९५६

राज्य-सभा से संदेश. १८६५

गैरे-न्यायिक तथा न्यायालय शुल्क मुद्रांक पत्रों के बारे में याचिका . १८६५

सभा का कार्य . . . १८६६

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक . . . १८६६–१९०६
. . . १९११–१४

खंड २ से १० . . १८८४–१०

खंड ११ से १६, २० क और २५ . . . . १८८४–१९०६
. . . . १९११–१४

जड़चरला और महबूबनगर के बीच रेल दुर्घटना सम्बन्धी वक्तव्य . १९०६–१०

दैनिक संक्षेपिका . . १८१५

अंक ३९—गुरुवार, ६ सितम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र १९१७

शिशू सन्यास दीक्षा निरोध विधेयक सम्बन्धी याचिका . १९१७

समिति का निर्वाचन—

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद १९१७

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक १९१८

संविधान (नवा संशोधन) विधेयक १९१८–९१

खण्ड १७ से २९, और अनुसूची. . १९१८–९१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . १९८९

दैनिक संक्षेपिका . १९९२

अंक ४०—शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९५६

राज्य-सभा से सन्देश . १९९३

लोक लेखा समिति—

बीसवां प्रतिवेदन १९९३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

साईप्रस में राष्ट्र मण्डल की ओर अन्य सेनाओं का रखा जाना १९९३–९४

पृष्ठ

समिति के लिये निर्वाचन—

विश्व भारती की संसद १९९४

सभा का कार्य . . १९९४–९७

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आदेश (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . १९९७–२०१५

लोक प्रतिनिधित्व (तीसरा संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . २०१५–२४

खंडों पर विचार . २०१५–२४

पारित करने का प्रस्ताव २०२४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकासठवां प्रतिवेदन २०२५

मजूरी का भुगतान (संशोधन) विधेयक २०२५–२६

निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक . . . २०२६

भारतीय लाइट रेलवेज राष्ट्रीयकरण विधेयक . . . २०२६

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक और . २०२६–२७

संविधान (संशोधन) विधेयक २०२७

लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नामावलियां तैयार करना) नियम, १९५६ के

बारे में प्रस्ताव . . २०२७–४४

दैनिक संक्षेपिका . २०४५–४६

अंक ४१—शनिवार, ८ सितम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

कलकत्ता पत्तन की स्थिति . . २०४७–५०

सभा पटल पर रखा गया पत्र २०५०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

दामोदर घाटी निगम परियोजना में सार्वजनिक निधि का कथित अपव्यय २०५०–५२

सभा का कार्य २०५२–५३

द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी संकल्प . . २०५३–९८

दैनिक संक्षेपिका . २०९९

पृष्ठ

अंक ४२—सोमवार, १० सितम्बर, १९५६

सभा पटल पर रखे गये पत्र २१०१–०२

अतिरिक्त अनुदानों की मांग (रेलवे), १९५३-५४ . . २१०२

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक के बारे में याचिका २१०२

सभा का कार्य २१०२

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव २१०२–०५

खण्ड २ से ७, अनुसूचित १ से ४ और खण्ड १ . . . २१०५–५०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . २१५०

भारत की शासन प्रणाली के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में एप्पलबी प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . . २१५१–६८

सदस्यों की रिहाई २१६८

दैनिक संक्षेपिका २१६९–७०

अंक ४३—मंगलवार, ११ सितम्बर, १९५६

नेताजी जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य . . . २१७१–७२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २१७३

राज्य-सभा से संदेश २१७३

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति २१७४

सभा की बैठक से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

१७वां प्रतिवेदन २१७४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

आसाम में बाढ़ और दी गई सहायता २१७४–७५

दूसरी पंच-वर्षीय योजना के बारे में संकल्प . . . २१७६–२२२१

दैनिक संक्षेपिका २२२२–२४

अंक ४४—बुधवार, १२ सितम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

प्रतिरक्षा कर्मचारियों की आसन्न छंटनी . . . २२२५–२७

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २२२७–२८,२२२९

विशेषाधिकार का प्रश्न २२२८–२९

लोक लेखा समिति—

उनीसवां प्रतिवेदन २२३०

पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों का आगमन . . . २२३०
द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी संकल्प . . . २२३०–७९
दैनिक संक्षेपिका २२८०–८१

अंक ४५—गुरुवार, १३ सितम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
स्वेज के मामले पर ब्रिटेन के प्रधान मंत्री का वक्तव्य . . २२८३–८६
जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के वेतन क्रम और सेवा की शर्तें . २२८६–८७
उत्तर प्रदेश में बाढ़ . . . २२८७–८९
सभा पटल पर रखे गये पत्र २२८९–९०
राज्य सभा से संदेश २२९०
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . २२९०
याचिका समिति—
दसवां प्रतिवेदन २२९०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
टिहरी गढ़वाल में बाढ़ २२९०–९२
अनुपस्थिति की अनुमति . . २२९२
रेलवे यात्रियों पर सीमा कर विधेयक २२९२
उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक . . . २२९३
जडचरला और महबूबनगर के बीच रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . २२९३–९५
विशेषाधिकार प्रश्न २२९५–९९
द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी संकल्प . . . २२९५, २२९९–२३५५
आगामी सत्र की तिथि . . . २३५५
दैनिक संक्षेपिका २३५६–५८
१३ व सत्रकी संक्षेपिका २३५९–६१

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २--प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

शनिवार, १ सितम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२-०२ म. प.

स्थगन प्रस्ताव

दिल्ली में बमों के विस्फोट

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे श्री ही० ना० मुकर्जी से स्थगन प्रस्ताव की एक सूचना प्राप्त हुई है और नियम २१६ के अन्तर्गत श्री राधारमण और श्री सै० वें० रामस्वामी से भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इससे पहले दिन मुझे दिल्ली में हुए विस्फोट के बारे में भी एक प्रश्न प्राप्त हुआ है और उसे ११ सितम्बर, १९५६ के लिये स्वीकार किया गया है। मैं स्थगन प्रस्ताव को पढ़ देता हूं—

दिल्ली में होने वाले विस्फोटों के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति इनमें से अन्तिम विस्फोट कल हुआ था, और इसके फलस्वरूप कई व्यक्ति मरे और कई लोगों को चोटें पहुंचीं और जनता में घबड़ाहट और असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई है।

क्या श्री मुकर्जी को कुछ कहना है?

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व): मेरा ख्याल है कि प्रस्ताव में जिन घटनाओं का उल्लेख है वे ऐसी हैं कि उन पर सदन में चर्चा होनी चाहिये। मेरा निवेदन है कि यह मामला अत्यन्त जरूरी है और मैं आशा करता हूं कि आप सरकार से इस घटना के बारे में सदन को जानकारी देने के लिये कहेंगे और बाद में प्राप्त जानकारी के आधार पर चर्चा की अनुमति देंगे।

†**गृह-कार्य और भारी उद्योग मंत्री (पंडित गो० व० पन्त)** : प्रस्तावक की भावनाओं से मैं सहमत हूं और निर्दोष लोगों को जो चोटें पहुंची हैं उनके लिये मुझे वास्तव में बहुत खेद है। कुछ व्यक्ति मरे भी हैं और मेरा ख्याल है कि इस पर हमें सब से अधिक खेद और चिंता है। हमने पुलिस से भरसक कोशिश करने के लिये कहा है।

†मूल अंग्रेजी में

1—247 L.S.—56

[पंडित गो० व० पन्त]

पहले दो विस्फोट हुए थे किन्तु उन्हें पटाखों के विस्फोट से अधिक भयकर नहीं पाया गया था। हाल ही में दो विस्फोट हुए ह, पहला एक सप्ताह पूर्व हुआ था और दूसरा कल शाम को हुआ है। २४ अगस्त को जो विस्फोट हुआ था उसके फलस्वरूप कई व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कल पुन: कई निर्दोष व्यक्तियों को चोटें पहुंची हैं। मुझे खेद है कि अब तक हम किसी को न्यायालय के सामने पेश नहीं कर सके और न असली अपराधी को गिरफ्तार ही कर सके हैं जिसके बारे में हम निश्चित रूप से यह कह सकें कि वह अपराधी है। किन्तु हम यह महसूस करते हैं कि अपराधियों का पता लगा कर उन्हें न्यायालय द्वारा उचित सजा दी जानी चाहिये, और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये यह भी आवश्यक है।

पुलिस भरसक कोशिश कर रही है। खेद की बात है कि उसे अब तक सफलता नहीं मिली है। वे अपने प्रयास और अधिक जोश के साथ जारी रखेगी। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने और ऐसे तरीके अपनाने वाले लोगों को गिरफ्तार करने और यदि इसके पीछे कोई गिरोह या षडयंत्र है तो ऐसे षडयंत्र को रोकने के लिये उचित उपाय करने में वह कोई कसर न उठा रखेगी।

मुझे खेद है कि चूंकि इस समय जांच जारी है इसलिये मैं अधिक कुछ कहने में असमर्थ हूं। जिन लोगों को चोटें आइ हैं अथवा जिनकी मृत्यु हुई उनके सम्बन्धियों के प्रति मैं सहानुभूति व्यक्त करता हूं और मैं इतना ही कह सकता हूं कि वास्तव में हमें खेद है और जब तक हम अपराधियों को पकड़ नहीं लेंगे और अन्यत्र या कम से कम दिल्ली में अथवा दिल्ली के आसपास ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक हमें चिन्ता बनी रहेगी। इस, अवस्था में मुझे केवल इतना ही कहना है।

†**श्री राघवाचारी** (पेनुकोन्डा) : क्या यह सच है कि पुलिस को यह मालूम था कि ऐसी घटना कल होगी और पुलिस के २०० से अधिक सिपाहियों की उपस्थिति में विस्फोट हुआ और वास्तविक अपराधी पकड़े नहीं गये।

†**पंडित गो० व० पन्त** : पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी या नहीं यह तो मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता किन्तु मुझे ज्ञात हुआ है कि किसी दुर्घटना को रोकने के लिये मौके पर काफी पुलिस तैनात थी। प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं ह।

†**श्री राधा रमण** (दिल्ली नगर) : बम विस्फोट की लगातार घटनाओं को और माननीय मत्री ने अभी जो कहा उसे देखते हुए क्या यह संभव नहीं होगा कि उस क्षेत्र के और क्षेत्र में रहने वाले लोगों की रक्षा के लिये जो कार्यवाही की गई है उसके बारे में माननीय मंत्री हमें एक अधिक विस्तृत वक्तव्य दें ?

†**पंडित गो० व० पन्त** : यह कहा नहीं जा सकता कि कोई विशेष क्षेत्र ही खतरे में है या यदि फिर ऐसी दुर्घटनाएं हुईं तो इसी क्षेत्र में होंगी। किन्तु इस क्षेत्र की रक्षा करने के लिये हरचन्द कोशिश की जायेगी। मुझे ज्ञात हुआ है कि उस क्षेत्र के कुछ निवासियों का सहयोग पहले प्राप्त किया जा चुका है और जो भी कार्यवाही हो सकती है, वह अवश्य की जायेगी।

मुल्ला अब्दुल्लाभाई (चांदा) : क्या मैं मंत्री महोदय से मालूम कर सकता हूं कि पिछली रात दिल्ली की एक पार्टिकुलर लोकैलिटी (विशेष बस्ती) में जो यह तीसरी बार बम फटा है उससे वहां के रहने वालों में बहुत परेशानी और घबडाहट फैल गई है और चूंकि अभी तक जिम्मेदार एथारिटीज अधिकारियों ने इस बारे में जरूरी कदम नहीं उठाये हैं, उससे वहां के रहने वालों के दिल में और भी घबडाहट फैली हुई है और उनको आयन्दा भी इसी तरह का हादसा पेश आ सकता है, ऐसा अन्देशा ह और मैं जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट (सरकार) क्या कार्यवाही करने वाली है ताकि वहां के रहने वालों को इस बात का इतमीनान (विश्वास) हो जाय कि अब इस तरह के और बम वहां पर फटने वाले नहीं हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

पंडित गो० व० पन्त : क्या सवाल करीब करीब वही है जो कि श्री राधारमण ने अभी पूछा था और जैसा कि मैंने अर्ज किया वहां पुलिस के जरिये जितना एहतियात बर्ता जा सकता ह उतना बर्तने की कोशिश की जायेगी। वहां के लोगों का सहयोग भी जितना मिल सकता है उसे भी हासिल करने का प्रयत्न किया जायेगा और कोई अगर और बात किसी की समझ में आवे तो वह बतलाये और उसका भी फायदा उठाया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : स्थगन प्रस्ताव की इस सूचना के अनुसार कल एक विस्फोट हुआ था। श्री कृष्णाचाय जोशी तथा इस सभा के अन्य तीन माननीय सदस्यों ने जामा मस्जिद के पास हुए विस्फोट के बारे में २६ अगस्त को एक प्रश्न प्रस्तुत किया है। यह प्रश्न ११ सितम्बर के लिये स्वीकार किया गया है। नियम २१६ के अन्तर्गत श्री राधारमण और श्री सै० वें० रामस्वामी ने जो सूचना दी है उसमें शिलांग में हुए किसी विस्फोट का भी उल्लेख ह। माननीय मंत्री के पास जो कुछ जानकारी थी उसे उन्होंने सदन को दे दी है और उन्होंने यह भी बताया कि क्या कार्यवाही की गई है। मंत्रालय और पुलिस दोनों सतर्क हैं और अपराधी को ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। ११ तारीख को एक प्रश्न का उत्तर दिया जाना है। इसलिये नियम २१६ के अन्तर्गत प्राप्त इस सूचना को मैं उस तारीख तक निलम्बित रखूंगा। जो भी जानकारी प्राप्त होगी वह उस दिन सदन में प्रस्तुत की जायेगी। चूंकि प्रश्न को स्वीकार किया गया ह और उस दिन के लिये निर्धारित किया गया है इसलिये माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने का अवसर भी प्राप्त होगा। इन सब बातों को और उपलब्ध जानकारी देने वाला जो वक्तव्य दिया गया है उसे देखते हुए मेरा ख्याल है कि इस कार्य स्थगन प्रस्ताव को अनुमति देने की आवश्यकता नहीं है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा नियम

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : श्रीमान्, श्री जवाहरलाल नेहरू की ओर से म अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १८७१, तारीख ११ अगस्त, १९५६ में प्रकाशित भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा नियम, १९५६ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस—३६४/५६]**

बाढ़ स्थिति सम्बन्धी वक्तव्य

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: ीमान्, श्री गुलजारी लाल नंदा की ओर से मैं देश में बाढ़ स्थिति सम्बन्धी वक्तव्य की एक प्रति पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस—३६५/५६]**

राज्य सभा से सन्देश

†**सचिव**: श्रीमान्, मुझे राज्य-सभा के सचिव से प्राप्त निम्न दो संदेशों की सूचना देनी है :

(१) 'कि राज्य-सभा अपनी ३० अगस्त, १९५६ की बैठक में लोक-सभा द्वारा १३ अगस्त, १९५६ को पारित किये गये राष्ट्रीय राजपथ विधेयक, १९५६ से बिना किसी संशोधन से सहमत हो गई।'

(२) 'कि राज्य-सभा ने गुरुवार ३० अगस्त, १९५६ को हुई अपनी बैठक में लोक-सभा की इस सिफारिश से, कि राज्य-सभा मोटर गाड़ी अधिनियम, १९५६ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सदनों की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो, सहमति प्रगट करते हुए संलग्न प्रस्ताव पारित किया। राज्य-सभा ने जिन सदस्यों को मनोनीत किया है, उनके नाम प्रस्ताव में दिये हुए हैं।'

---

†मूल अंग्रेजी में

[सचिव]

प्रस्ताव

"कि यह सभा लोक-सभा की इस सिफारिश से कि राज्य-सभा मोटर गाड़ी अधिनियम, १९५६ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी सदनों की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो, सहमत है और यह संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिये राज्य-सभा के निम्नलिखित सदस्यों को मनोनीत किया जाये :—

(१) श्री टी० जे० एम० विल्सन

(२) श्री के० एस० हेगड़े

(३) श्री एच० पी० सक्सेना

(४) श्री पी० डी० हिम्मत सिंहका

(५) सरदार रघबीर सिंह पंजहजारी

(६) श्री देवकीनन्दन नारायण

(७) श्री अमरनाथ अग्रवाल

(८) डा० पूर्णचन्द्र मित्र

(९) डा० आर० पी० दुबे

(१०) श्री के० पी० माधवन नायर

(११) श्री आर० पी० सिन्हा

(१२) श्री एस० एन० मजूमदार

(१३) डा० राधाकुमुद मुकर्जी

(१४) श्री टी० भास्कर राव

(१५) श्री लाल बहादुर शास्त्री

सभा का कार्य

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं यह घोषणा करता हूं कि ३ सितम्बर, १९५६ को प्रारम्भ होने वाले सप्ताह में सरकारी कार्य का क्रम इस प्रकार होगा :—

विचार तथा पारित करने के लिये विधेयक

(१) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक, १९५६ ।

(२) संविधान (नवां संशोधन) विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ।

(३) अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक ।

---

†मूल अंग्रेजी

(४) जन प्रतिनिधान (तीसरा संशोधन) विधेयक ।

अन्य कार्य

(५) द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर और आगे विचार जो कि ८ सितम्बर को शुरू होगा ।

(६) यदि समय हुआ तो, जन प्रतिनिधान (निर्वाचक नामावलियों को तैयार करना) नियमों में रूपभेद करने वाले प्रस्तावों पर विचार ।

कार्य मंत्रणा समिति

इकतालीसवां प्रतिवेदन

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के इकतालीसवें प्रतिवेदन से, जो कि सभा में ३१ अगस्त, १९५६ को प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के इकतालीसवें प्रतिवेदन से, जो कि सभा में ३१ अगस्त, १९५६ को प्रस्तुत किया गया था, सहमत ह ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभा का कार्य

†**गृह-कार्य तथा भारी उद्योग मंत्री (पंडित गो० व० पन्त)** : श्रीमान्, कल मैंने यह आशा प्रगट की थी कि पिछड़े वर्ग आयोग का प्रतिवेदन आज पटल पर रख सकूंगा । मैं यह देखता हूं कि आपके सचिवालय के साथ यह व्यवस्था की गई है कि प्रतिवेदन ३ तारीख को रखा और परिचालित किया जायेगा । इसलिये यदि आप अनुमति दें तो मैं इसे ३ तारीख को रखूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है ।

†**श्री जांगड़े** (बिलासपुर—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : श्रीमान्, आगे कोई कार्यवाही प्रारम्भ करने से पहले, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । संसद्-कार्य मंत्री की घोषणा के अनुसार हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक पर ६ और ७ तारीख को चर्चा करेंगे और इसके पहले पिछड़े वर्ग आयुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा की जानी चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने कहा है कि प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जायेगा ।

†**श्री जांगड़े** : किन्तु उस पर चर्चा करने के लिये इस सत्र में हमारे पास समय नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जहां तक उसका सम्बन्ध है, विधेयक पर चर्चा के समय माननीय सदस्य उस पर भी चर्चा कर सकते हैं ।

†**श्री वेलायुधन** (क्विलोन व मावेलिक्करा रक्षित—अनुसूचित जातियां) : प्रतिवेदन को पढ़ने के लिये हमें समय दिया जाये । (अन्तर्बाधा)

†**अध्यक्ष महोदय** : पिछड़े वर्ग आयुक्त के प्रतिवेदन पर कुछ चर्चा करने के लिये माननीय सदस्य उत्सुक हैं । सभा में प्रस्तुत विधेयक विशिष्ट मामलों से सम्बन्ध रखता है; उसके अन्तर्गत प्रतिवेदन के सभी विषय नहीं आते । प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद उस पर चर्चा के लिये सामान्यतया कुछ समय दिया जाता है । क्या कुछ समय देना संभव है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : जब तक कि हम इस महीने की १३ तारीख के बाद बठने का निश्चय न करें तब तक यह संभव नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है; हम उस पर विचार करेंगे।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : (कलकत्ता उत्तरपूर्व) : मेरा सुझाव यह है कि प्रतिवेदन केवल सभा पटल पर न रखा जाये किन्तु सदस्यों में परिचालित भी किया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रतिवेदन की प्रतियां सभी सदस्यों को परिचालित की जायेंगी उन्हें या तो सदस्यों के निवास स्थान पर भेजा जायेगा या उन्हें सूचना कार्यालय में रखा जायेगा ताकि जो माननीय सदस्य एक प्रति लना चाहते हैं वे उस कार्यालय से ले लेंगे।

जन प्रतिनिधान (तीसरा संशोधन) विधेयक*

†**विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास)** : श्रीमान्, मै प्रस्ताव करता हूं कि जन प्रतिनिधान, अधिनियम, १९५० में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि जन प्रतिनिधान अधिनियम, १९५० में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री विश्वास** : श्रीमान्, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

सभा का कार्य

†**श्री बंसल** : (झज्जर-रेवाड़ी) : श्रीमान्, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के लिये दो घंटे का समय आवंटित किया गया है। विधेयक को पढ़ने के बाद कुछ माननीय सदस्य यह अनुभव करते हैं कराधान नीति से असंगत कार्यवाही प्रारम्भ की गई है और देश की मुद्रा स्फीति की स्थिति के बारे में एक विशिष्ट तरीके से कार्यवाही की गई है। मेरा अनुरोध है कि दो घंटे का समय अपर्याप्त है और कुछ अधिक समय दिया जाये। वास्तव में मैं तो यहां तक कहता हूं कि यदि योजना आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा का समय कुछ कम भी कर दिया जाये, तो कोई हानि नहीं। इसके लिये अधिक समय मिलना चाहिए।

†**कई माननीय सदस्यः** नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : आप कितना अधिक समय चाहते हैं?

†**श्री बंसल** : कम से कम दो घंटे दिये जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

*भारत सरकार के असाधारण सूचनापत्र भाग २, उपविभाग २ में प्रकाशित। तिथि १-९-५६ पृष्ठ ८०७-९.

†**अध्यक्ष महोदय** : हम विचार करेंगे। जब पहले यह विधेयक इस सभा में पुर:स्थापित किया गया था तो कुछ माननीय सदस्यों ने यह सुझाव किया था कि इस विधेयक के लिये दो घंटे आवंटित किये जायें। अब माननीय सदस्य यह कहते हैं कि उसका सम्बन्ध नीति से है। किन्तु मेरा ख्याल है उस विषय पर बोलने वाले सदस्य अधिक नहीं होंगे बहुत थोड़े सदस्य उसका उल्लेख करेंगे। चार घंटे का समय बहुत दीर्घ होगा; इतना समय हम दे नहीं सकते। दोनों के बीच का मध्यम मार्ग हम अपना सकते हैं और तीन घंटे का समय दे सकते हैं; पहले दो घंटे दिये जायंगे किन्तु यदि अध्यक्ष ने उचित समझा, तो समय एक घंटा और बढ़ा दिया जायेगा।

त्रावणकोर-कोचीन के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प

†**अध्यक्ष महोदय** : अब लोक-सभा ३१ अगस्त, १९५६ की श्री गो० व० पन्त द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प पर अग्रेतर विचार करेगी।

†**श्री कौट्टुकप्पल्ली** (मीनाचिल) : श्री पुन्नूस ने कल अपने भाषण में कहा था कि राज-प्रमुख के सलाहकार श्री राव ने जब त्रावनकोर-कोचीन राज्य में औद्योगिक शांति के लिये अपील की थी तो उन्होंने नियोजकों का पक्ष लिया था। वस्तुत: उन्होंने यह कहा था कि यदि नियोजक श्रमिकों को उनके अधिकार नहीं देते हैं तो सरकार उनका विरोध करती है तो फिर सरकार को यह प्रत्याशा क्यों न हो कि श्रमिकों के नेता भी शांति बनाये रखने का प्रयत्न करेंगे। ऐसा कह कर वह नियोजकों का पक्ष नहीं ले रहे थे। यह तो सभी जानते हैं कि श्रमिकों में फैली अशान्ति का त्रावनकोर-कोचीन राज्य में उद्योगों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने यह ठीक ही कहा है।

†**श्री नीं० श्रीकांन्तन नायर** (क्विलोन व मावेलिक्करा) : क्या माननीय सदस्य को यह विदित है कि १९४७ से १९५५ तक त्रावनकोर-कोचीन राज्य में हड़तालों और तालाबन्दियों की संख्या और कार्य दिवसों की हानि देश के सभी भागों की तुलना में कम रही थी ?

†**श्री कौट्टुकप्पल्ली** : मेरे पास आंकड़े तो नहीं हैं परन्तु भारत और योरुप में सभी यह जानते हैं कि श्रमिकों में सब से अधिक अशान्ति त्रावनकोर-कोचीन राज्य में ही फैली हुई है। देश की और श्रमिकों की भलाई इसी बात में है कि वहां औद्योगिक शांति हो ताकि वहां लोग उद्योग आरम्भ कर सकें। यदि श्रमिकों और नियोजकों में कोई विवाद होता है तो उसका फैसला मध्यस्थ निर्णय और परस्पर बातचीत से किया जाना चाहिये। मुझे विश्वास है कि यदि वामपक्षीय दलों के नेता इस बात की लिखित घोषणा करें कि अगले पांच वर्ष में सभी विवाद मध्यस्थ निर्णय और परस्पर बातचीत से तै किये जायेंगे तो भारत के और कई विदेशी उद्योगपति भी वहां जाकर उद्योगों को स्थापित करेंगे।

देवीकुलम और पीरमेड़ी के पठार पर दुग्धशालायें स्थापित की जा सकती हैं। इन स्थानों पर सभी नस्लों के पशु पाले जा सकते हैं और विदेशों से जो कोई टन सूखे दूध का आयात किया जाता है उसे बन्द किया जा सकता है। इस पठारी के क्षेत्र में दो बस्तियां बसाई गई थीं। अब सरकार उन स्थानों पर एक अस्पताल और सरकारी पदाधिकारियों के क्वार्टर बनाना चाहती है और उन बस्तियों को हटा देना चाहती है। सरकार के पास हजारों एकड़ भूमि है और यह निर्माण कार्य अन्य स्थानों पर किया जा सकता है। उन बस्तियों के लोगों को वहां से हटाने की क्या आवश्यकता है ? उनकी सुख-शांति को क्यों नष्ट किया जा रहा है ?

रेल मार्गों की दृष्टि से केरल राज्य सबसे पीछे है। कई वर्ष से यह राज्य रेल मार्गों को बढ़ाये जाने की मांग कर रहा है। कोचीन और मदुराई के बीच एक बड़ी लाइन बनाये जाने से तामिलनाड के लोग कोचीन जा सकते हैं। इससे तामिलनाड और केरल दोनों के व्यापार में तरक्की होगी। परन्तु इतना कहने पर भी केवल एरणाकुलम और क्विलोन के बीच १२० मील लम्बा रेल मार्ग बनाया गया है। मैं रेलवे मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह कोचीन— क्विलोन और तिरुवल्ला—पुनालूर लाइनों का भी निर्माण किया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कौट्टुकप्पल्ली]

रबड़ की पैदावार और काजू का उत्पादन बढ़ाये जाने के बारे में भी कहा गया। इस संबंध में कार्यवाही की जा रही है, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है क्योंकि क्विलोन और त्रिचूर आदि स्थानों पर काजू के कारखानों को पर्याप्त माल ही नहीं मिलता है और हमें पूर्वी अफरीका से काजू का आयात करना पड़ता है।

सरकार को चाहिये कि वह इलायची की काश्त बढ़ाने की ओर भी ध्यान दे। काश्तकारों को आर्थिक सहायता और वैज्ञानिक जानकारी देकर उनको प्रोत्साहित किया जा सकता है।

त्रावनकोर-कोचीन राज्य की जनता में दलित वर्गों के प्रश्न के कारण भी बड़ी जलन पैदा हो गई है। यदि कोई पुलाया, ईसाई या मुसलमान बन जाता है तो उसे अनुसूचित जातियों को प्राप्त सभी अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, और यदि कोई पुलाया पुनः हिन्दू बन जाता है तो उसे वह सभी लाभ प्राप्त हो जाते हैं। भारत सरकार गृह-कार्य मंत्रालय और त्रावनकोर-कोचीन राज्य की सरकार को यह भेदभाव दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये। हिन्दू पुलाया और मुसलमान अथवा ईसाई पुलाया में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये। यह लोग अधिकतर बहुत निर्धन होते हैं। बिना किसी भेदभाव के उनकी सहायता की जानी चाहिये और उन्हें सुविधायें दी जानी चाहिये।

एक पुस्तिका में यह जानकारी दी गई है कि वहां किस प्रकार के छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं। उस पुस्तिका का अधिक प्रचार किया जाना चाहिये और उस जानकारी के ठीक सिद्ध होने पर सरकार लोगों से उद्योग आरम्भ करने के लिये कह सकती है।

कल श्री अ० म० थामस ने विभिन्न जिला मुख्यालयों में प्रविधिक और प्रौद्योगिक संस्थायें खोले जाने के बारे में कहा। मैं उनसे सहमत हूं।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह केरल राज्य का पूरा ध्यान रखें। यदि समय पर इसके लिये कोई ठोस कार्यवाही न की गई तो हमारे गणराज्य की सुदृढ़ता खतरे में पड़ सकती है।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता–उत्तर-पूर्व) : इस मामले में त्रावनकोर-कोचीन राज्य के सदस्यों को अधिक जानकारी होगी परन्तु मैं तो केवल इसलिये बोल रहा हूं क्योंकि समूचे देश की आंखें इस संकल्प की ओर लगी हुई हैं और फिर इसकी पृष्ठभूमि भी कुछ ऐसी है जिसे प्रयत्न करने पर भी मैं नहीं भूल सकता हूं। लोगों का यह विचार है कि केरल राज्य की जनता को स्वतंत्रता के विशेषाधिकारों से वंचित किया गया है। इसका कारण यह है कि सत्तारूढ़ दल नहीं चाहता कि केरल में कोई अन्य दल सर ऊंचा उठा सकें। परन्तु जनता चाहती है कि सामान्य निर्वाचनों में विभिन्न राज्यों में विभिन्न दलों को शासन करने का अवसर प्राप्त होना चाहिये।

कल गृह-कार्य मंत्री ने सलाहकार के कार्य की सराहना की थी। मुझे त्रावनकोर-कोचीन के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं है परन्तु कांग्रेस दल के सदस्यों के भाषणोंसे ही पता चलता है कि सलाहकार ने बहुत सी शिकायतों की ओर ध्यान नहीं दिया है। सम्भव है कि सलाहकार का कार्य किसी हद तक प्रशंसनीय हो परन्तु यह देखते हुए कि लोगों की स्वायत्त शासन की भावना को दबा कर जो कार्य किया गया है उसकी मैं प्रशंसा नहीं कर सकता। वह शासन चाहे अच्छा ही हो परन्तु वह स्वशासन का मुकाबला तो नहीं कर सकता। इसी कारण इस बारे में शिकायत की गई है और सलाहकार ने अपने प्रथम वक्तव्य में त्रावनकोर-कोचीन की जनता से राजनीति से कुछ समय के लिये अवकाश ग्रहण करने के लिये कहा था परन्तु यह अवकाश जनता को रुचा नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

आल्लप्पी नगर परिषद् और सलाहकार के प्रशासन की बीच कम आय वाले वर्ग को सम्पत्ति के संबंध में राहत देने के बारे में जो विवाद हुआ था मैं उसका उल्लेख करूंगा। आल्लप्पी नगर परिषद् त्रावनकोर-कोचीन जिला नगरपालिका अधिनियम की धारा ८२(५) के अन्तर्गत उस सम्पत्ति को कर से मुक्त कर सकती है जिसका वार्षिक किराया १८ रुपये अथवा इससे कम हो, और धारा १२४ के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति अथवा वर्ग को कर से मुक्त कर सकती है परन्तु इसके लिये सरकार की मंजूरी ली जानी चाहिये।

आल्लप्पी नगर परिषद् यह चाहती थी कि कम आय वाले अधिक से अधिक व्यक्तियों को कर से मुक्त किया जाये परन्तु धारा ८२(५) का पालन करने से २४,००० में से केवल ४,००० व्यक्तियों को कर से मुक्त किया जा सकता था, अतः उसने तत्कालीन सरकार से, प्रजा-सोशलिस्ट पार्टी प्रशासन से, धारा १२४ के अन्तर्गत स्वीकृति ले ली। और इस प्रकार १८,००० व्यक्ति कर से मुक्त कर दिये गये। ऐसा करने से राजस्व में भी कोई कमी नहीं हुई क्योंकि पहले परिषद् गृह कर के रूप में १,३०,००० रुपये वसूल करती थी और अब १,८९,००० रुपये वसूल करती है। इसके तीन वर्ष पश्चात् १९५६ में प्रशासन ने इस पर आपित्त की और कहा कि उक्त वर्ग को कर से मुक्त करना उचित नहीं था। अतः अब इन २४,००० व्यक्तियों को फिर से कर देना होगा। परिषद् ने इस संबंध में सलाहकार से बातचीत की, परन्तु सलाहकार और प्रशासन ने कोई सहानुभूति प्रकट नहीं की है। अपनी नीति और कम आय वाले वर्ग के हित में आल्लप्पी परिषद् इस मामले को न्यायालय तक ले जायेगा। सलाहकार ने कम आय वाले वर्ग के हितों और नगर परिषद् के अधिकारों की उपेक्षा करते हुए यह कार्यवाही की है। नगरपालिका के अधिकार छिन जाने से सारे त्रावनकोर-कोचीन में चिन्ता प्रकट की जा रही है। यह कर नगरपालिका द्वारा लगाया गया था और आवश्यक स्वीकृति सरकार से प्राप्त कर ली गई थी। प्रशासन इसका पुनरीक्षण कर सकता था परन्तु नगरपालिका को उस के वैध अधिकारों से वंचित करने से जनता का क्रुद्ध हो जाना स्वाभाविक ही था।

जो कुछ त्रावनकोर-कोचीन में हुआ है उसको देखते हुए हमें डर है कि सामान्य निर्वाचनों में सत्तारूढ़ दल की नीति हर एक स्थान पर अपनी सत्ता बनाये रखने की होगी और जहां जनता के मताधिकार के ढंग से उसे हानि पहुंचेगी अथवा वह अपनी सत्ता को साधारण रूप से बनाये न रख सकेगा वहां वही हालत होगी जो त्रावनकोर-कोचीन की हुई है। अतः मैं अनुभव करता हूं कि इस उद्घोषणा से हमें अत्यन्त दुःख हुआ है और हम गृह-कार्य मंत्री के संकल्प का समर्थन नहीं कर सकते हैं।

†**श्री अच्युतन** (क्रेंगनूर) : त्रावनकोर-कोचीन कांग्रेस में मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र देने के पश्चात् राजप्रमुख और भारत सरकार ने अन्य दलों को मंत्रिमंडल बनाने के कई अवसर दिये। यदि इतना समय बीत जाने पर भी वे दल सहयोग प्राप्त नहीं कर सके और इकट्ठे नहीं हो सके तो इसमें सरकार अथवा राजप्रमुख का कोई दोष नहीं है। मालाबार और त्रावनकोर-कोचीन की जनता को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि सामान्य निर्वाचनों के पश्चात कोई दृढ़ लोकतन्त्रामक दल सत्तारूढ़ हो। इस बात को सभी मानते हैं। प्रजा-सोशलिस्ट पार्टी एक वर्ष तक सत्तारूढ़ रही। साम्यवादी दल की हालत भी कुछ अच्छी नहीं है। तभी तो वह कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य सभी दलों का सहयोग प्राप्त करना चाहता है। श्री जयप्रकाश नारायण ने, जिन्होंने सर्वोदय को जीवन दान दे दिया है, कहा है कि साम्यवादी दल से गठजोड़ करने में कोई आपत्ति नहीं हैं। परन्तु जनता को सावधान रहना चाहिये कि कोई लोकतन्त्रात्मक दल ही सत्तारूढ़ हो। मैं पोकर साहिब और मालाबार की मुस्लिम लीग से अपील करता हूं कि वे संगठित होकर एक शक्तिशाली लोकतन्त्रात्मक शासन की स्थापना करें। मेरा विचार तो यह है कि श्री अशोक मेहता, आचार्य कृपलानी और अन्य नेताओं को वामपक्षीय दलों के साथ सहयोग करने के प्रश्न पर बहुत अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिये। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले दलों के लिये आवश्यक नहीं है कि उन्होंने सदा ही

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अच्युतन]

उस सिद्धान्त का अनुसरण किया हो। लोकतंत्र के लिये खतरा पैदा होने का नारा लगाना भी ठीक नहीं है। एक वर्ष में ही दो उपचुनाव कैसे हो सकते हैं? इसलिये यह आवश्यक है कि गृह-कार्य मंत्री के कथनानुसार, नवम्बर में एक दूसरी घोषणा कर दी जाये, जिसमें मालाबार और कासरगोड़ भी सम्मिलित किये जायें।

राष्ट्रपति के शासन के पांच महीनों में सलाहकार ने अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से निभाया है। उसके अधीन राज्य के प्रशासन ने प्रगति ही की है। सलाहकार या भारत सरकार राज्य में कोई नई नीति चालू नहीं करना चाहती है। वे प्रशासन को दलगत राजनीति से ऊपर रखना चाहते हैं, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अनुसार राज्य को अधिकाधिक कार्य कुशल बनाना चाहते हैं और वे रोजगारों को सहायता देना चाहते हैं। सलाहकार बहुत अच्छा प्रशासक सिद्ध हुआ है। उसका कार्य तो यही था कि समुची पुरानी व्यवस्था का नवीकरण करे और उसकी त्रुटियों को दूर करके, आगामी सत्ताधारियों को सौंप दे। यह कार्य उसने अच्छी प्रकार से किया है। मैंने उसका प्रतिवेदन देखा है। उसने प्रशासन के सूक्ष्मतम ब्यौरों की जांच की है।

सलाहकार ने अपने प्रतिवेदन में विकेन्द्रीकरण की सिफारिश की है वह सचिवों जिलाधीशों आदि को अधिक शक्तियां दिये जाने के पक्ष में हैं। उसने साम्प्रदायिक न्याय किये जाने की भी सिफारिश की है। उसने बताया है कि सामुदायिक साम्प्रदायिकता ही राज्य की कार्य-कुशलता के आड़े आती है। वहां पिछड़े और दलित वर्गों की दशा बहुत ही बुरी है। वहां ईसाई समुदाय कुल जन संख्या का ३२ प्रतिशत ही है, लेकिन वह अधिक संगठित है और इस सभा में उसे १०० प्रतिशत से अधिक प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अन्य समुदाय आर्थिक और शैक्षणिक रूप से अधिक पिछड़े हुए हैं। मैं यह नहीं चाहता कि उनके साथ पक्षपात किया जाये। सरकारी पदों के लिये भर्ती सभी सामाजिक स्तरों पर की जानी चाहिये, लेकिन साम्प्रदायिक समस्या को सुलझाने का एक मात्र तरीका यही है कि साम्प्रदायिक न्याय किया जाये। भारत सरकार को इसकी ओर अधिक ध्यान देना चाहिये।

स्वतन्त्रता दिवस के अपने संदेश में औद्योगिक संधि की जो बात सलाहकार ने कही है, वह उसे नहीं कहनी चाहिये थी, क्योंकि उसका कार्य तो केवल प्रशासन को व्यवस्थित बनाये रखना ही है। काज़-उद्योग के श्रमिकों के प्रति उसने चिन्ता प्रकट की है, यह इससे स्पष्ट है कि उसने इसे एक गैर-मौसिमी उद्योग घोषित कर दिया है। श्रमिकों को कोई कठिनाई न होने देने का प्रयास किया ही जाना चाहिये। औद्योगीकरण के द्वारा ही बेरोजगारों को सहायता दी जा सकती है। त्रावनकोर-कोचीन सरकार ने एक शिक्षित बेरोजगार जांच समिति नियुक्त की है और उसने अपना प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर दिया है। बेरोजगारी की स्थिति का एक सर्वेक्षण भी किया जा चुका है। अब कम से कम समय में उन्हें सहायता पहुंचाई जानी चाहिये और सलाहकार को भारत सरकार से आवश्यक विधियों की मांग करनी चाहिये, जिससे कि अधिक से अधिक उद्योग स्थापित किये जा सकें।

भारत सरकार को आवश्यक रूप से त्रावनकोर-कोचीन राज्य में मुद्रणालय स्थापित करने चाहिये।

†**गृहकार्य तथा भारी उद्योग मंत्री (पंडित गो० व० पन्त)** : कल इस विषय पर चर्चा हुई थी। मैं उस समय उपस्थित नहीं था, पर मेरे पास उसके कुछ नोटस् हैं। वह चर्चा मुख्यत: ब्यौरे के विषयों के सम्बन्ध में थी। जहां तक ब्यौरेवार चीजों का सम्बन्ध है, मैं यह दावा नहीं करता कि त्रावणकोर-कोचीन राज्य की पहले की सभी बुराइयों को पिछले पांच महीनों के प्रशासक के शासन में दूर कर दिया गया है। प्रशासक ने बड़ी ईमानदारी से कुछ बुराइयों को दूर करने और राज्य के विकास को अधिक सुगम तथा शीघ्र बनाने का प्रयत्न अवश्य किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं नहीं समझता कि पांच महीनों में उनसे कोई चमत्कार कर दिखाने की आशा हो सकती थी, लेकिन यदि कुल मिलाकर देखा जाये तो उसके प्रतिवेदन से यह परिणाम निकालना ही उचित होगा कि उसने अपना कार्य ठीक ढंग से निभाया है। उस राज्य ही के कुछ वक्ताओं ने प्रशासक की सराहना की है, और उसे अपने कार्यों की सराहना सुन कर अवश्य ही प्रेरणा मिलेगी।

प्रो० ही० ना० मुकर्जी की शिकायत तो यही है, जहां तक मैं समझ सका हूं कि कम्युनिस्टों को सत्ता अपने हाथ में लेने से दूर रखने के लिये ही त्रावनकोर-कोचीन राज्य में राष्ट्रपति का शासन स्थापित किया गया ह। उन्हें भ्रम यह है कि यदि राष्ट्रपति का शासन स्थापित न किया जाता तो कम्युनिस्टों को सत्ता मिल जाती। वे शायद तथ्यों को भूल गये हैं। वहां ११८ के सदन में, कुल २५ कम्युनिस्ट थे। राजप्रमुख ने कम्युनिस्ट दल के नेता को आमंत्रित किया था और पूछा था कि क्या वे राज्य में मंत्रिमंडल बनाने और प्रशासन चलाने के दायित्व को सम्भालने को तैयार थे या नहीं। इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिये जितना भी समय आवश्यक था, वह उन्हें दिया गया था और उसने बड़ी स्पष्टता से इसके लिये आवश्यक शक्ति जुटा पाने में असमर्थता प्रकट की थी। इसे देखते हुए, यह शिकायत कैसे की जा सकती है कि कम्युनिस्ट दल को निकालने या सत्तारूढ़ होने से रोकने के लिये ही वहां राष्ट्रपति का शासन स्थापित किया गया था। वास्तविकता तो इससे बिलकुल ही उल्टी है। इसलिये, इसके सबन्ध में कोई सन्देह नहीं होना चाहिये।

जहां तक कि छः महीनों की अवधि के बढ़ाये जाने का सम्बन्ध है, इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प भी नहीं है और इससे बचा भी नहीं जा सकता है। छः महीने २३ अक्तूबर या उसके आसपास ही पूरे हो जायेंगे और १ नवम्बर को नया केरल राज्य अस्तित्व में आ जायेगा। अभी आप चुनाव नहीं करा सकते। उस राज्य में आपको आम चुनावों के लिये भी आवश्यक तैयारियां करनी है। ऐसी परिस्थितियों में, केवल यही एक मार्ग रह जाता है कि २३ अप्रैल को स्थापित राष्ट्रपति क शासन की छः महीनों की अवधि को और बढ़ा दिया जाये और उसके बाद वहां आवश्यकतानुसार अन्य उपाय भी किये जायें। इसलिये, मैं समझता हूं कि यदि हम एक तर्क संगत दृष्टिकोण से सारी परिस्थिति को देखें तो इसके सबन्ध में कोई भी मतभेद नहीं रह सकता है।

कुछ सदस्य फिर से इस तथ्य का उल्लेख कर रहे हैं कि राज्यों के पुनर्गठन के बाद मालाबार के सदस्यों के पास कोई विधान-मंडल नहीं रह जायेगा और आज मद्रास विधान-मंडल में उन्हें जो अधिकार प्राप्त है, वह भी उनको प्राप्त नहीं रहेगा। मुझे खेद है, लेकिन कोई और रास्ता भी तो नहीं है। इस सभा द्वारा घोषणा स्वीकार की जाने के समय ही, त्रावनकोर-कोचीन विधान-मंडल को भंग किया गया था। इसलिये, इस सभा ने उस घोषणा में विधान-मंडल के भंग किये जाने से सम्बन्धित खण्ड विशेष को स्वीकार किया है, और उस विधान-मंडल के सदस्यों की कालावधि अपने आप ही समाप्त हो जाती है। हम, किसी भी विधि के अन्तर्गत, उन्हें वह प्रतिष्ठा पुनः प्रदान नहीं कर सकते। यदि हम चाहें भी, तो भी उसे फिर से चालू नहीं कर सकते। यदि विधान-मंडल को निलम्बित किया गया होता, तब तो ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार करना सम्भव हो सकता था। लेकिन, तब संसद् ने विधान-मंडल को भंग कर दिया था। ऐसी स्थिति में और क्या किया जा सकता है। मालाबार के सदस्यों से सहानुभूति रखते हुए भी, वास्तविकता को देखते हुए, मुझे यह स्पष्ट तौर पर कहना पड़ता है कि इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प ही नहीं है। हमें आशा करनी चाहिये कि केरल राज्य में नये चुनाव होने पर वहां एक स्थायी बहुमत और एक स्थायी सरकार की स्थापना हो जायेगी।

त्रावनकोर-कोचीन में बहुत ही अधिक समय से अस्थायित्व बना रहा है। इससे उसके हितों को हानि पहुंची है और एक तीव्र दृढ़ तथा स्थायी प्रगति नहीं हो सकी है। इसलिये, हम सबको अपनी शक्ति केरल में एक ऐसी परिस्थिति पैदा करने में लगानी चाहिये जिसमें कि वह एक स्थायी सरकार बन सके। केरल त्रावनकोर-कोचीन राज्य से कई बड़ा है, और वांछनीय यही

[पंडित गो० व० पन्त]

है कि यह खेदपूर्ण और निराशाजनक परिस्थिति अधिक न बनी रहे राष्ट्रपति के शासन का फिर से कोई अवसर न आये और सदन में एकही दल का काफी अधिक बहुमत हो, जिससे कि जनता के प्रतिनिधि ही राज्य-कार्यों का प्रशासन कर सकें। मैं इस बात को बिलकुल मानता हूं कि स्व-सरकार अच्छी सरकार का कोई स्थानापन्न नहीं है, हालांकि मैं समझता हूं कि कभी-कभी अच्छी सरकार जनता को स्व-सरकार के लिये तैयार कर देती है और कभी-कभी अच्छी सरकार की स्थापना कर देना राज्य के हितों के लिये सर्वथा हानिकारक नहीं होता है।

विशेष अधिकारियों की नियुक्तियों आदि के बारे में भी कुछ कहा गया था। कुछ अत्यावश्यक कार्यों को करने के लिये कुछ एक अस्थायी नियुक्तिया की गई हैं। उदाहरणत: एक विशेष उद्योग निदेशक अथवा इसी पद नाम के किसी पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है। एक कृषि निदेशक और एक राज्य परिवहन निदेशक नियुक्त किये गये हैं। बहुत सा बकाया काम जो कि अस्थापित्व की अवस्था में जमा हो गया था, किया जाना था अत: इस बकाया काम को करने के लिये और यह सुनिश्चित करने के लिये कि काम ठीक ढंग से और कार्य कुशलता से किया जाये। प्रशासन ने अनुभव किया कि राज्य की भलाई इसी बात में है कि वास्तव में कुछ योग्य व्यक्तियों को इन कार्यों का भार साधक बनाया जाये, और यह कार्य जनता के लाभ में ही है। यह तो किसी ने नहीं कहा कि यह लोग अपना काम नहीं करते रहे हैं और यदि वे अपना काम करते रहे हैं तो हमें इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है।

यह कहा गया कि उचित मूल्यों पर अनाज बेचने के लिये जो दुकानें खोली गई थी उनकी संख्या १५५ अधिक नहीं थी। मेरे पास जो आंकड़े हैं उनके अनुसार १५५ थोक की दुकाने थीं और २११३ खुदरा की थीं। इस प्रकार इस राज्य के कोने-कोने में दुकानें खोलकर बढ़े हुए मूल्यों से गरीबों को होने वाली कठिनाई को दूर करने का प्रयत्न किया गया है।

श्रम सम्बन्धी मामलों की ओर भी निर्देश किया गया था। मेरे विचार से प्रशासक ने एक महत्वपूर्ण कार्य यह अवश्य किया है कि उसने काजू उद्योग को गर-मौसमी उद्योग घोषित कर दिया है। इससे श्रमिकों को बहुत राहत मिली है, यह एक ऐसा कार्य है जो पहले वर्षों में नहीं किया जा सका था और इससे श्रमिकों को केवल इसी वर्ष नहीं बल्कि आगामी वर्षों में भी बड़ा लाभ होगा।

†**श्री नी० श्रीकान्तन० नायर** : इस घोषणा से श्रमिकों को कोई लाभ नहीं हुआ है क्योंकि मालिकों द्वारा एक पाई भी नहीं दी गई है।

†**पंडित गो० व० पन्त** : प्रश्न यह है कि वह देय है या नहीं। यदि भुगतान नहीं किया गया है तो वह किया जायेगा और उनको उनके दावों का भुगतान मिलेगा। पहले वह देय नहीं थे परन्तु अब देय हो गया ह। इससे बहुत बड़ा अन्तर पड़ गया है। निर्माण की जा रही कुछ इमारतों का भी उल्लेख किया गया था। परन्तु बहुत सी औद्योगिक बस्तियां और गरीबों के लिये मकान भी बनाये जा रहे है। जैसा कि मैंने बताया इन इमारतों के बन जाने से राज्य-कोष तीन लाख रुपये के आवतक दायत्वि से मुक्त हो जायेगा। इस प्रकार वित्तीय दृष्टि से भी यह एक लाभ-दायक उपक्रमण सिद्ध होगा। इस पर आपत्ति नहीं की जानी चाहिये। इससे श्रमिकों को कुछ रोजगार मिला है और किसी हद तक उनकी क्रयशक्ति भी बढ़ी है। इस विषय में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये।

मैंने प्रारम्भ में ही बताया कि बेरोजगारी को दूर करने के लिये कुछ कार्यवाही की गई है। वहां कुछ संस्थायें बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और उन पर काफी खर्च किया जाना है। कृषि कालेज पर नौ लाख रुपये; पशु चिकित्सा कालेज पर आठ लाख रुपये भूमि संरक्षण

---

†मूल अंग्रेजी में

योजना—पांच से अधिक योजनाओं; उपनिवेशन योजना ३९ लाख रुपये; पैरियार घाटी सिंचाई योजना—१५ लाख रुपये; सोलापुर ७० लाख रुपये; नारायणमंगलम—५६ लाख रुपये; औद्योगिक सम्पदायें—३१ लाख रुपये; राज्य परिवहन पुनसंस्थापन योजनायें—२३ लाख रुपये; जल संभरण योजनायें—५१ लाख रुपये; मिट्टी का कटाव रोकने और बाढ़ नियन्त्रण कार्य—३० लाख रुपये। यह सूची बाकी लम्बी है। मैंने उसमें से कुछ एक मदें ही बताई है।

मैं लोक-सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। त्रावनकोर-कोचीन के मामलों पर कई बार चर्चा हो चुकी है। कुछ दिन हुए त्रावनकोर-कोचीन के आय-व्ययक पर चर्चा हुई थी। तब भी यही बातें कही गई थीं और प्रशासन की यही आलोचना की गई थी। कुछ समय बाद हमें पुनः त्रावनकोर-कोचीन के मामले को लेकर लोक-सभा के समक्ष आना पड़ेगा। सभा को त्रावनकोर कोचीन के प्रशासन के ब्यौरे को देखने की सुविधा प्राप्त है और यह उसका दायित्व भी है परन्तु हमें यह अनुभव करना चाहिये कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना हमारा काम नहीं है फिर भी जो बातें कही गई हैं वे प्रशासक के ध्यान में लाई जायेंगी। हम चाहते हैं कि राज्य के मामलों को इस प्रकार निबटाया जाये जिससे कि राज्य की समस्त जनता उससे सन्तुष्ट हो और वहां के संसाधनों का प्रयोग इस ढंग से किया जाये कि अब ही नहीं बल्कि भविष्य में भी उससे लाभ प्राप्त होता रहे और चाहे इस समय कोई विधान मंडल अथवा मंत्री नहीं हैं फिर भी जनता की राय का सम्मान हो और हर काम इस प्रकार से हो जिससे लोग सोचें कि राष्ट्रपति का प्रशासन हमारे हित के लिये है।

†**श्री मात्तन** (तिरुवल्ला) : क्या राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र में किसी बड़े पैमाने के उद्योग के स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

†**पंडित गो० व० पन्त** : मैं चाहता हूं कि त्रावनकोर-कोचीन में कोई बड़े पैमाने का उद्योग स्थापित किया जाये परन्तु माननीय सदस्य जानते ही हैं कि यह काम योजना आयोग का है। उसे ही यह देखना है कि देश के इस भाग में कौन से उद्योग ठीक प्रकार से स्थापित किये जा सकते हैं। त्रावनकोर-कोचीन की जनता से मुझे बहुत सहानुभूति है और हमने इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है कि कोई प्रादेशिक भेदभाव नहीं होना चाहिये, उद्योगों की स्थापना इस प्रकार की जानी चाहिये कि हर एक प्रदेश किसी न किसी उद्योग का लाभ उठा सके। त्रावनकोर-कोचीन की आवश्यकताओं के बारे में भी यही सिद्धान्त अपनाया जायेगा ऐसी मेरी आशा है, और यदि त्रावनकोर-कोचीन में कोई उद्योग स्थापित किये गये तो इस से मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी।

मैं लोक-सभा से प्रार्थना करता हूं कि मेरा संकल्प स्वीकार कर लिया जाये।

†**श्री वेलायुधन** : (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : पृष्ठ १४ पर कहा गया है कि इसके फलस्वरूप श्रमिकों को उद्योग विवाद संशोधन अधिनियन १९५३ के अन्तर्गत अवेक्षित सभी लाभ प्राप्त होंगे परन्तु इस अधिनियम से श्रमिकों को कोई सहायता नहीं मिली है। क्या सरकार इस विधि में ऐसा संशोधन करेगी जिससे कि यह उस उद्योग पर भी लागू हो ?

†**पंडित गो० व० पन्त** : यदि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में मुझे सविस्तार लिख कर दें तो मैं इसे प्रशासक के विचारार्थ भेज दूंगा।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वादिवाश) : राज्य पुनगर्ठन के फलस्वरूप कुछ क्षेत्र त्रावनकोर-कोचीन में सम्मिलित किये जाने वाले हैं। क्या इस विषय में कोई नवीन उदघोषणा की जायगी?

†**पंडित गो० व० पन्त** : आप चाहते हैं तो उद्घोषणा जारी कर दी जाएगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अन्तर्गत त्रावणकोर-कोचीन राज्य के बारे में २३ मार्च, १९५६ को जारी की गयी और लोक-सभा तथा राज्य सभा द्वारा क्रमश: २९ मार्च, १९५६ और २४ अप्रैल, १९५६ को पारित किये गये संकल्पों द्वारा अनुमोदित उद्घोषणा को आगे जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक ऋण (संशोधन) विधेयक

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)**: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक ऋण अधिनियम, १९५४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह बहुत छोटा सा और विवादहीन विधेयक है। यद्यपि इसमें १५ खण्ड हैं, तथापि मुझे विश्वास है कि इस संशोधन विधेयक के बारे में कोई विवाद नहीं होगा। माननीय सदस्यों को विदित है कि लोक ऋण अधिनियम भारत के लोक ऋण का और सरकार द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों का रक्षित बैंक द्वारा प्रशासन किये जाने के लिये १९४४ में अधिनियमित किया गया था। राज्य सरकारों के लोक ऋणों और राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों को रक्षित बक के श्रमाधिकार में सम्मिलित करने के लिये इस अधिनियम में १९४९ में संशोधन किया गया था। उस संशोधक विधेयक के द्वारा भारत सरकार और भाग 'क' में राज्यों के लोक ऋणों का प्रशासन रक्षित बैंक द्वारा किया जाना अपेक्षित था किन्तु यह भाग 'ख' में के राज्यों पर लागू नहीं होता था। कुछ भाग 'ख' में के राज्यों की अपनी विधियां है और वे उन राज्यों के लोक ऋणों का विनियमन करती हैं। कुछ राज्यों में कोई विधियां नहीं थीं और यदि सभी राज्य अपनी अपनी विधियां पारित करते तो बहुत अधिक गड़बड़ी होने की संभावना थी, इसलिये हमने सोचा कि भाग 'ख' में के सभी राज्यों को इसी लोक ऋण अधिनियम के अन्तगत लाया जाना चाहिये। संविधान के अधीन यह आवश्यक था कि इस उद्देश्य के लिये विधान बनाने के हेतु संसद् को शक्ति देने के लिये भाग 'ख' में के राज्यों द्वारा संकल्प पारित किये जायें। जम्मू तथा काश्मीर राज्य को छोड़ कर अन्य सभी राज्य सरकारों ने विधान बनाने के लिये संसद् को शक्ति देने वाले संकल्प पारित कर दिये हैं। इसलिये अब यह संशोधक विधेयक रखा गया है।

मेरे विचार से अधिक व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। मैं आशा करता हूं कि सभा मेरे इस प्रस्ताव से सहमत होगी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

†**श्री क० कु० बसु** (डायमण्ड हारबर) : १ नवम्बर के बाद भाग 'ख' में के अधिकांश राज्य वर्तमान राज्यों या नवीन राज्यों में विलीन हो जायेंगे और उनकी अस्तियां तथा दायितायें या तो वर्तमान राज्यों को या नये बनने वाले राज्यों को हस्तान्तरित कर दी जायेंगी। अत: इस संशोधक विधेयक की क्या आवश्यकता है? केवल जम्मू और काश्मीर राज्य ही बचेगा, शेष सब भाग 'ख' में के राज्य दूसरे राज्यों में विलीन हो जायेंगे।

श्री म० च० शाह : हमने राज्य पुनर्गठन विधेयक के पारित होने से भी पहले इस विधेयक के बारे में सोचा था। क्योंकि इसमें समय लगेगा, अत: हमने इसे पारित कराना ही ठीक समझा। कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम "भाग 'ख' में के राज्य" शब्दों को निकाल कर शब्द "सरकार" जोड़ना चाहते हैं। मुझे इस विषय में कोई कठिनाई प्रतीत नहीं होती है। यदि मैं विभिन्न खण्डों को पढ़ूं तो सभा का समय अनावश्यक रुप से खर्च होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि लोक ऋण अधिनियम, १९४४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १ से १५ अधिनियमन सूत्र प्रस्तावना और शिर्षक विधेयक में जोड दिया गया ।

†**श्री म० च० शाह** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय**: प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

भारतीय डाक-घर (संशोधन) विधेयक

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)**: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय डाक-घर अधिनियम, १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

जैसा कि माननीय सदस्य को विदित होगा, भारत डाक-घर अधिनियम की धारा ७ के अन्तर्गत अन्तर्देशीय डाक द्वारा भेजी जाने वाली डाक वस्तुओं के बारे में ली जाने वाली डाक दरों और अन्य राशियों के बारे में सरकारी राजस्व में अधिसूचना में एक अधिसूचना के द्वारा दर निर्धारित करने के लिये केन्द्रीय सरकार को शक्ति दी गई है। यह भी उपबंध किया गया है कि ये दरें पहली अनुसूची में दी गई डाक वस्तुओं की विभिन्न श्रेणियों के लिये निश्चित की गई दरों से अधिक नहीं होगी। भारतीय टंकण (संशोधन) अधिनियम, १९५५ के पारित होने पर, पहली अनुसूची में जो दरें दी गई हैं, वे स्वयमेव दशमिक सिक्कों के रूप में बदल जाएंगी, और ये दरें १ अप्रैल, १९५७ से लागू होंगी। अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १११९, दिनांक ११ मई, १९५६ द्वारा यह अधिसूचित किया गया था। इन परिवहन के परिणामस्वरूप जैसा कि अच्छी तरह विदित है, अब १६ आने या ६४ पसे या १९२ पाइयां १०० नये पसों के बराबर होंगे। कुछ मामलों में वर्तमान डाक दरों को पूरे अंकों में देना संभव नहीं है। उदाहरणार्थ, डाक टिकटों को समान दरें इस प्रकार होंगी:

वर्तमान दर	नये पैसे
३ पाई	१·५६२५
६ पाई	३१·२५
९ पाई	४·६८७५
१ आना	६·२५
२ आने	१२·५०

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राज बहादुर]

इसलिये स्वभावत: हमें काफी पहले से ही डाक टिकटों के बारे में कुछ करना होगा, ताकि, जब परिवर्तन हो, तब दशमिक टंकण के अनुसार हम डाक टिकट बना सकें, या निश्चित दिन पर चालू किये जाने के लिये तैयार कर सकें।

भारतीय टंकण अधिनियम की धारा १४ (२) के अनुसार जैसा कि उसे भारतीय टंकण (संशोधन) अधिनियम, १९५५ द्वारा संशोधित किया गया है, ०·५ नये पैसे से अधिक के टुकड़ों को अगला बड़ा नया पैसा माना जा सकता है और ०·५ नये पैसे तक के टुकड़ों को छोड़ा जा सकता है। परन्तु केवल एक सौदे में वर्तमान मुद्रा देने के समय ही पूरा पैसा गिना जा सकता है। अत: संभव है कि हम डाक टिकटों के सम्बन्ध में इस का लाभ न उठा सकें। परन्तु भारतीय डाक-घर अधिनियम समेत अन्य नियमों अधिसूचनाओं या अधिनियमों में दी गई दरों में इस प्रकार पूरा पैसा गिनना कदाचित संभव न हो।

इसलिये इस विधेयक में जिस पर विचार किये जाने का मैं ने प्रस्ताव रखा है, एक नवीन प्रशुल्क का विचार किया गया है। इस सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए कि नये पैसे की प्रस्तावित दरों और वर्तमान दरों में लगभग समानता होनी चाहिये, डाक दरों के पूरे अंक निर्धारित करने के लिये वर्तमान दरों को बढ़ाना या घटाना आवश्यक हो गया है।

जैसा कि देखा जाएगा, वर्तमान विधेयक के उपबन्धों को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहले, कुछ वृद्धियां हुई है; दूसरे, डाक की दरों में कुछ कमी की गई हैं; और तीसरे कु बिलकुल समान दरें हैं। परिवर्तन बहुत ही नगण्य से हैं। कुछ मामलों में दशमिक टंकण की नवीन दरें पहली अनुसूची में दी गई दरों से बढ़ गई हैं, इसलिये इस प्रकार के किसी विधान को पुर:स्थापित करना आवश्यक हो गया है।

जिन डाक दरों को बढ़ाने का विचार किया गया है, मैं इनका उल्लेख कर दूं ताकि वृद्धि का स्पष्ट चित्र सामने आ जाए। डाक दरों में इस प्रकार वृद्धि हुई है :

	प्रतिशत वृद्धि	नये पैसों में वृद्धि	पाइयों में वृद्धि
पत्र जो एक तोला से अधिक के न हों . . .	४	०·५	१ (लगभग)
अकेला पोस्टकार्ड . .	६·६	०·३१२५	१/२ ,,
जवाबी पोस्ट कार्ड . .	६·६	०·६२५	१/२ ,,
पंजीबद्ध समाचार-पत्र (अकेली प्रति) १० तोले तक . .	२८	०·४३७५	१ ,,
पंजीबद्ध समाचार-पत्र के पैकेट (दस तोले से अधिक प्रति पांच तोले के लिये) . .	२८	०·४३७५	१ ,,

इसके अतिरिक्त, लेखन-सामग्री का प्रश्न ह। जहां तक अधिनियम की अनुसूची का संबद्ध है, इसमें केवल पोस्टकार्डों की दरें ही दी गई हैं किन्तु इसमें अन्तर्देशीय पत्रों या पंजीबद्ध लिफाफों

की दरें पृथक रूप से नहीं दी गई है। किन्तु दशमिक टंकण को स्वीकार करने के उपरान्त, इन मदों की दरों में भी कुछ परिवर्तन या समायोजन करना पड़ेगा। ये वृद्धियां इस प्रकार होंगी :

	प्रतिशत वृद्धि	नये पैसे और पाइयों में वृद्धि
अन्तदशीय पत्र . . .	६·६	०·६२५ नया पैसा (लगभग १/२ पाई)
पंजीयन लिफाफा *	१·५	१·१२५ नये पैसे (लगभग २ पाइयां)

अब मैं कमियों को लेता हूं और बताऊंगा कि नयी टंकण पद्धति डाक की दरों को कैसे प्रभावित करेगी और उनको कम करेगी। कमी इस प्रकार होगी :

	प्रतिशत वृद्धि	नये पैसे में कमी	पाइयों में कमी
एक तोला से अधिक भारी पत्र (प्रत्येक एक तोला के लिये) . .	४	०·२५	१/२ (लगभग)
पुस्तक, प्रतिरूप और नमूना पैकेट:–			
(१) पहले ५ तोले . .	४	०·२५	१/२ (लगभग)
(२) प्रत्येक अतिरिक्त २–१/२ तोले के लिये .	४	०·१२५	१/४ (लगभग)

पंजीबद्ध समाचार-पत्रों के सम्बन्ध में एक एक करके डाले गये समाचार-पत्रों के बारे में, जो १० तोले से अधिक हो और २० तोले से अधिक न हो, ४ प्रतिशत कमी की गई है जो ०·१२५ नये पैसे या चौथाई पाई के बराबर है; २० तोला से अधिक के लिये प्रति २० तोला के लिये, ४ प्रति प्रतिशत की कमी की गई है जो ०·१२५ नये पैसे या चौथाई पाई के बराबर है।

पंजीबद्ध समाचार-पत्रों के पैकेटों के बारे में, पहले चार तोले के लिये ४ प्रतिशत की कमी की गई है जो ०·१२५ नये पैसे या चौथाई पाई के बराबर है।

कुछ समय तक जैसा कि सर्व विदित है, दोनों प्रकार के सिक्के जारी रहेंगे, इसी प्रकार डाक की टिकटें भी जारी रहेंगी। सिक्कों के संबंध में यह अवधि कोई तीन वष हो सकती है ; किन्तु डाक टिकटों के बारे में कोई तीन महिने। जैसा कि मैं ने पहले बताया, हमें काफी समय पहले ही परिवर्तन का उपबंध करना है, ताकि डाक की टिकटों और लेखन सामग्री को छपवाया जा सके। इसी उद्देश्य से यह विधेयक सभा के समक्ष रखा जा रहा है और मैं इसे स्वीकार करने की सभा से सिफारिश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** (खम्मम) : माननीय मंत्री ने दशमिक प्रणाली लागू करते हुए डाक की दरों को बढ़ाने का अवसर निकाला है। परिवर्तन से २ आने का पत्र १२–१/२ नये पैसे का होता है, परन्तु उन्होंने इसे १३नये पैसे का कर दिया है। इसी प्रकार पोस्टकार्ड की दर में भी कुछ वृद्धि कर दी गई है, यह नवीन टंकण के बराबर नहीं, बल्कि कुछ अधिक है। किन्तु अन्तर्देशीय पत्र का कोई उल्लेख नहीं है। माननीय मंत्री क्या इसका स्पष्टीकरण करने की कृपा करेगें?

†मूल अंग्रेजी में

* वृद्धि का कारण यह है कि मूल डाक दर में ०.५ नये पैसे की वृद्धि की गई हैं, और लेखन सामग्री व्यय में ०·६२५ नये पैसे की वृद्धि की गई ह।

[श्री त० ब० विट्टलराव]

सामान्य अल्पव्ययक सम्बन्धी सामान्य चर्चा में वित्त मंत्री नें बताया था कि एक समिति पुस्तकों के पैकट और पुस्तक पंजीयनों की डाक दरों को निर्धारित करन के प्रश्न पर विचार कर रही थी। उस समय सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया था कि पुस्तकों के पैकटों की डाक दरो में वृद्धि नहीं की जानी चाहिये। इस पर उन्होंने आश्वासन दिया था कि समिति का प्रतिवेदन मिल जाने पर इस बात पर पुनर्विचार किया जायेगा। उस प्रतिवेदन के बारे में जो निर्णय किये गये हैं वे इस विधेयक में सम्मिलित किये जाने चाहियें थे।

†**पंडित सु० चं० मिश्र** : (मूंगेर -उत्तर-पूर्व) : माननीय मंत्री पोस्टकार्ड को पांच नये पैसे के कार्ड में बदलना चाहते हैं। तब अन्तर्देशीय लिफाफा दस पैसे का हो जायेगा।

जब सरकार ने इन दोनों के बारे में अंकों को पूरा करने के लिये दरें बढ़ाई हैं, तो लिफाफे के मामले में कमी की जा सकती थी और लिफाफे की दर १३ नया पैसों के स्थान पर १२ नये पसे रखी जा सकती थी।

अब २ पूरे लिफाफे, ४ अन्तर्देशीय पत्र और ८ पोस्टकार्डों की कीमत १रुपया है, परन्तु नवीन दर से यह क़ीमत १०६ नये पैसे हो जाएगी ? इस प्रकार सरकार कुछ अधिक वसूल कर रही है। डाक विभाग को इन तीनों में से किसी एक में कमी करनी चाहिये थी।

इस दृष्टि से उन्होंने जनता के लिये अच्छा नहीं किया है। अतः मैं उनसे पुनः प्रार्थना करूंगा कि वह इन तीनों चीजों के बारे में, जिनका अधिक उपभोग होता है, कुछ कमी करने का विचार करें। यदि इन में से किसी एक वस्तु की दर में कमी कर दी जाए, तो विभाग को कई हानि नहीं होगी।

†**श्री राज बहादुर** : मैं समझता हूं कि इस विधेयक के बारे में ये आपत्तियां की गई है। प्रथम आपत्ति यह अस्पष्ट सन्देह के कारण है कि हमने डाक की दरें बढ़ाने के लिये तथा कुछ डाक वस्तुओं पर अपनी हानि कम करने के लिये यह अवसर निकाला है। मैं कह सकता हूं कि हमारा यह उद्देश्य नहीं था। हमारा केवल यह उद्देश्य था कि वर्तमान टंकण पद्धति के अनुसार जो दरें इस समय चल रही हैं उनके समान दशमिक टंकण के उपयुक्त और सुविधाजनक समान सिक्के रखे जाएं। निस्सन्देह, हमने संतुलन बनाये रखने का प्रयत्न किया है ताकि हमारी हानि बढ़ने न पाये। जैसा कि मैंने कहा है कि कुछ मामलों में मुझे पुनः आंकड़े दोहराने की आवश्यकता नहीं है—कुछ वृद्धि हुई है और कुछ मामलों में कमी भी हुई है।

इसलिये मोटे तौर पर दोनों एक दूसरे की पूर्ति कर देती है। कुछ भी हो यह नहीं कहा जा सकता कि विभिन्न वस्तुओं के डाक दरों में वृद्धि करने का प्रयत्न हानि को कम करने के लिये किया गया है। उदाहरण के लिये पोस्टकार्डों को लीजिये। अकेले पोस्टकार्ड की दर से २० लाख रुपये से अधिक राजस्व प्राप्त होगा, परन्तु स्थानीय पोस्टकार्ड के कारण एक लाख रुपये की राजस्व में कमी भी होगी। पोस्टकार्डों के यातायात पर, जैसा कि कई बार मैंने सदन में बताया है, हमको लगभग १ करोड़ १५ लाख रुपये से अधिक की हानि होती है। पोस्टकार्ड की दर को कुछ थोड़ा सा बढ़ा देने से इस संबं में हो रही हानि को पूरा नहीं किया जा सकता है। यह कमी तो प्रासंगिक है, क्योंकि सिक्कों में परिवर्तन हो गया है, और उनके टुकड़ों को पूर्ण अंकों में नहीं बदला जा सकता है। हमने जान बूझ कर पोस्टकार्ड जैसी चीजोंपर होने वाली हानि को पूरा करने के लिये पोस्टकार्ड अथवा दूसरी डाक-दरों को नही बढ़ाया है। लिफाफों के संबंध में भी यही कहा जा सकता है।

बुक पोस्ट समिति ने जैसा मैं एक अवसर पर कह चुका हूं, हाल ही में दो-दो मास की दो बार अवधि बढ़ा कर अब सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है और मेरा विचार है कि, इस अवसर पर दरों को इधर उधर करना ठीक नही होगा। क्योंकि विधेयक में हम सदन के समक्ष केवल इस बात को लेकर ही आए हैं कि समय रहते सिक्कों की दशमिक प्रणाली

---

†मूल अंग्रेजी में

के अनुसार नये डाक टिकट छापने के लिए आवश्यक अधिकार दिये जायें। यही उद्देश्य है। समिति की रिपोर्ट पर भी यथासमय विचार किया जायेगा और यदि आवश्यक समझा गया तो उसका परिणाम सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

इन शब्दों से मैं उस ओर बैठे अपने मित्रों को विश्वास दिला सकता हूं कि हमारा प्रयत्न केवल नवीन टंकण प्रणाली के अनुसार डाक दरों का समायोजन करना है और मेरा विचार है कि वे विधेयक का समर्थन करेंगे।

†**श्री ब० स० मूर्ति** (एलुरू): क्या मैं पूछ सकता हूं कि पोस्टकार्ड के लिये ९ पाई और देशीय लिफाफे के लिए भी यही दर क्यों न रखी जाये?

†**श्री राज बहादुर**: जैसा कि मैंने बताया कि हमने इन्हें पूरे अंकों में लाने का प्रयत्न किया है। ऐसा करते समय हमने इस बात का ध्यान रखा है कि हमारी वर्तमान हानि बढ़ न जाये। साथ ही यह भी उचित नहीं होगा कि इस विधेयक के द्वारा हम लोगों पर और अतिरिक्त कर लगा दें। यह हमारी इच्छा भी नहीं कि किसी अप्रत्यक्ष तरीके से लोगों पर कर लगाया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय**: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय डाक-घर अधिनियम, १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ (नई अनुसूचियों आदि का प्रतिस्थापन)

मुल्ला अबदुल्ला भाई (चांदा): मैंने यह दो अमेंडमेंट्स दिये हैं:

मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

(१) पृष्ठ १, पंक्ति १३ में

"१३ नये पैसे" के स्थान पर "१२ नये पैसे" रखा जाये।

(२) पृष्ठ १, पंक्ति १८ में

"१० नये पैसे" के स्थान पर "९ नये पैसे" रखा जाये।

हमारे मंत्री महोदय ने बतलाया है कि जो नये सिक्के सरकार चलाने वाली है उन के अनुसार भी पोस्टल आर्टिकल्स (डाक की वस्तुओं) के दाम लगभग उतने ही रक्खे गये हैं जितने कि आज हैं। मैं इस चीज को मानता हूं कि जिस चीज की कीमत साढ़े बारह पाई होती है वह साढ़े बारह पाई नहीं रखी जा सकती, लेकिन उस को तेरह पाई कर देने से आम जनता का कितना नुकसान हो जाता है जब कि सरकार को बहुत ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगता। खुसूसन रिप्लाई पेड (जवाबी) पोस्टकार्ड की बात को लिया जाय, मालूम होता है कि जहां गवर्नमेंट को कुल ९ पाई का नुकसान होता है, वहां पर जनता को ५० पाई का नुकसान होता है।

मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। डेसिमल क्वायनेज (दशमलव टंकन) जो निकाला गया है, उस के लिये भी उन्होंने बताया कि नये और पुराने सिक्कों का हिसाब क्या होगा। उस में उन्होंने पुराने दो आने की कीमत १२ नये पैसे रखी है। पहले अगर किसी चीज की कीमत अगर १ आना ११ पाई थी तो उस के लिये उन्होंने १२ नये पैसे रखे और जो पुरानी चीज ६ पैसे कीमत की है, उस के लिये उन्होंने ९ पैसे रखे। उस के बाद हिसाब कर के उन्होंने बताया, पेज ३० पढ़ें, कि

---

†मूल अंग्रेजी में

[मुल्ला अब्दुल्ला भाई]

अगर कोई आदमी एक पेंसिल खरीदना चाहे जिसकी कीमत ६ पैसा है, तो १२ पेंसिल खरीदने पर उसको १ रु० २ आना देना पड़ेगा। इस तरह से उसे १ रु० तो पूरा देना पड़ेगा और २ आने की जगह पर १२ नये पैसे देने पड़ेंगे। इसी तरह से अगर कोई ६ पैसे के लिफाफे खरीदना चाहता है तो १२ लिफाफे खरीदने पर उस को तकरीबन ८ नये पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। ऐसी हालत में पब्लिक के पास से बहुत ज्यादा पैसा चला जाता है। इसलिये मैं समझता हूं कि जहां पर १३ नये पैसे है वहां पर १२ नये पैसे और जहांपर १० नये पैसे हैं वहां पर ९ नये पैसे रक्खे जायें तो ज्यादा वाजिब होगा।

मंत्री महोदय ने यह भी फरमाया कि हम नये पोस्टेज रेट्स (टिकटों की दरें) इश्यू (जारी) करेंगे। अगर वह उन को १३ पैसे और १० पैसे के हिसाब से इश्यू करेंगे तो उस से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं मानता हूं कि डबल (जवाबी) पोस्टकार्ड की कीमत अगर ९ नये पैसे रक्खे जाते हैं तो सिंगल पोस्टकार्ड की कीमत को ५ नये पैसे ही रखना होगा क्योंकि ९ पैसे के साढ़े चार पैसे तो किये नहीं जा सकते। माननीय मंत्री जी ने यह भी बतलाया कि सिंगल पोस्टकार्ड से सरकार को फायदा होता है और डबल से नुकसान। लेकिन मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं। जब सिंगल पोस्टकार्ड से थोड़ा फायदा सरकार को होता है तो डबल से नुकसान क्यों होना चाहिये, डबल से तो और ज्यादा फायदा होना चाहिये।

बहरहाल जैसा मैंने बताया कि जहां पर गवर्नमेंट को ९ पैसे का नुकसान होता है कम रेट रखने से वहां ज्यादा रेट रखने से जनता को ५० पैसे का नुकसान होता है, इसलिये गवर्नमेंट को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

साथ ही साथ मुझे एक बात यह पेश करनी है कि फर्ज कीजिये आप ने यह प्रपोर्शन (अनुपात) रक्खा तो इस से पब्लिक में गलतफहमी फैल सकती है कि नये क्वायनेज निकाल कर सरकार हम से ज्यादा पैसा लेना चाहती है क्योंकि हर एक आदमी यह मिसाल पेश करेगा कि सरकार को जितना पैसा हमसे लेना चाहिये उससे ज्यादा ले रही है, कोई यह तो देखेगा नहीं कि यहां की कार्यवाही में क्या है और सरकार क्यों ऐसा कर रही है, वह तो यही समझेगा कि जिस लिफाफे की कीमत दो आने है उस के उस से १३ नये पैसे लिये जा रहे हैं। इसी तरह से बाजार की हर चीज के दाम रक्खे जायेंगे और जनता को नुकसान होगा। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि आप इस बारे में सोचें और जो मुनासिब कारवाई हो वह की जाय ताकि न गवर्नमेंट को नुकसान हो और न जनता के पास से ज्यादा पैसा जाय।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

(१) पृष्ठ १, पंक्ति १३ में

'१३ नये पैसे' के स्थान पर '१२ नये पैसे' रखा जाये।

(२) पृष्ठ १, पंक्ति १८ में

'१० नये पैसे' के स्थान पर '९ नये पैसे' रखा जाये।

श्री राज बहादुर : माननीय सदस्य ने जो दो सुझाव अभी दिये हैं, मैं उन के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। वह कहते हैं कि भले ही एक पोस्टकार्ड की कीमत ५ नये पैसे रखी जाय, लेकिन रिप्लाई पोस्ट कार्ड की कीमत ९ नये पैसे कर दिये जायें। इस में इस बात का काफी अन्देशा है, और यह अक्सर होगा, कि जहां आम तौर से एक पोस्ट कार्ड ५ पैसा का होगा वहां कोई भी आदमी जा कर जवाबी पोस्ट कार्ड खरीद लेगा और दोनों पोस्ट कार्डों के लिये दस नये पैसे देने के बजाय वह ९ पैसे ही देगा और अलग अलग साढ़े चार पैसे के हिसाब से ही इस्तेमाल करेगा। साथ ही साथ यह भी हो सकता है अगर कोई आदमी डाकखाने में पोस्ट कार्ड खरीदने आता है, तो वेन्डर उस को ९ पैसे वाले डबल पोस्टकार्ड में से एक पोस्टकार्ड फाड़ कर दे देगा और उस से पांच पैसे

---

†मूल अंग्रेजी में

ले कर हर पोस्ट कार्ड पर आधा पैसा अपनी जेब में डाल लेगा। लिहाजा यह बिलकुल साफ हो जाता ह कि जब एक पोस्टकार्ड की कीमत पांच पैसा है तो डबल की कीमत दस पैसा ही होनी चाहिये, नहीं तो दोनों तरफ से नुकसान होने की सम्भावना है।

जहां तक पत्र के बारे में इस तरह का सम्बन्ध है कि १३ की जगह पर १२ नये पैसे रक्खे जायें, मैंने निवेदन किया कि हमारी आमदनी पहले ही पोस्टल आर्टिकल्स के उपर काफी कम होती है, अगर उस से और कम हो जाये तो कैसे काम चल सकता है। जहां आप एक ओर यह देखते हैं कि इस इज़ाफे से हम कुछ लाख रुपये कमा लेते हैं, मैं तफसील भी दे दूं, २० लाख रुपया के करीब होता है, वहां आप यह भी सोचें कि हम पोस्ट कार्डस् के उपर १ करोड़ ५८ लाख रु० खो रहे हैं। पोस्ट कार्ड पर घाटे का सही आंकड़ा १ करोड़ ५८ लाख है। १ करोड ५० लाख नहीं जैसा कि मैं भूल से पहले कह गया। पोस्टकार्ड का ट्रैफिक दिन दूना और रात चौगुना बढ़ रहा है। जो हमारे किसान भाई और मजदूर भाई देहात में रहते हैं या मिलों में काम करते हैं, वही नहीं बल्कि नये ज़माने में जो हमारे बड़े बड़े बिजिनेसमेन हैं वह भी पोस्टकार्ड की ही शरण लेने लगे हैं। इस तरह से जितना ही पोस्टकार्डस् का ट्रैफिक बढ़ता है, उतना ही हमको ज्यादा नुकसान होता है। हम तो यह चाहते हैं कि जो पोस्ट कार्ड्स का ट्रैफिक है, वह दूसरी ओर पत्रों और पत्रकार्डों में भी जाय ताकि इस महकमे की जो तरक्की हम चाहते हैं वह हो सके।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : ज्यादा पोस्टकार्डस बिकने से जो नुकसान है वह कम नहीं हो जायेगा ?

श्री राज बहादुर: जी नहीं, वह और भी बढ़ेगा क्योंकि हर पोस्ट कार्ड पर हमारा १३·९ पाई का खर्च पड़ता है जब कि हम उस के ऊपर कुल ९ पाई लेते हैं।

†**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला भटिंडा) : यह अत्यधिक उत्पादन का प्रश्न नहीं है, वरन् अत्यधिक वितरण होना चाहिये।

श्री राज बहादुर : इस तरह से हर पोस्टकार्ड के ऊपर हम चार पाई से कुछ ज्यादा का नुकसान उठाते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो इज़ाफा हम इस में कर रहे हैं, वह केवल उस फ्रैक्शन या भिन्न की वजह से है जो कि पोस्टकार्ड के केस में आती है। अब आप यह ख्याल करें कि हम दूसरी मदों पर काफी खो भी रहे हैं, जिन की तफसील मैं दे चुका हूं।

मैं क्वायनेज सिस्टम (टंकन प्रणाली) में परिवर्तन से जो नुकसान डाक की दरों में होगा वह मैं बता चुका हूं दो बार। इस के बारे में भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन वैसे ही मैंने बहुत समय ले लिया है, और उसे बतलाने में और समय लग जायेगा इसलिये मैं उस को छोड़ता हूं।

इस प्रकार अगर हमारी सारी कमी को मिलाकर देखा जाय तो यह वृद्धि ज्यादा नहीं है। साथ ही हमारे वर्कर्स की यूनियन की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे पोस्टेज का टैरिफ (प्रशुल्क) वास्तविकता के आधार पर नहीं है और वह वर्कर्स (कर्मचारियों) की कास्ट पर पब्लिक को फायदा पहुंचाता है। उन की भावना यह है कि और मुल्कों में पोस्टेज रेट्स कहीं ज्यादा हैं। लेकिन इस मौके पर, जैसा मैंने पहले कहा, हमारा यह इरादा नहीं कि हम कोई इन्डाइरेक्ट टैक्सेशन (अप्रत्यक्ष कराधान) लगा दें। इरादा यह है कि जो तब्दीली हम करने जा रहे हैं उस के लिये वक्त पर आप इन्तजाम कर सकें, और वक्त पर सम्पूर्ण देश में उस को वक्त पर छाप कर लागू कर सकें।

मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्य अपने अमेंडमेंट्स को वापस ले लेंगे।

मुल्ला अबदुल्लाभाई : मैं यह कहना चाहता था कि अगर हम पोस्टकार्ड और अगर लिफाफों की कीमत कम रखेंगे तो वह और ज्यादा बिकेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री राज बहादुर : मैंने कहा कि हर पोस्ट कार्ड पर १३ पाई से ऊपर खर्च पड़ता है, अगर हम को पत्र की कीमत साढ़े बारह नये पैसे की जगह पर १२ नये पैसे कर देंगे तो हमें और ज्यादा नुकसान होगा। हम करीब २५, ३०, ४० लाख रुपये और खोयेंगे इसलिये इस चीज को मानना हमारे लिये सम्भव नहीं होगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या संशोधनों को मतदान के लिये रखने की आवश्यकता है ?

†**श्री मुल्ला अब्दुल्लाभाई :** मुझे अपने संशोधनों को वापस लेने की अनुमति दे दी जाय।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिये गये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री राज बहादुर :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग विधेयक

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** मैं प्रस्ताव* करता हूं :

"कि खादी और ग्रामोद्योगों के विकास और उनसे संबंधित विषयों के लिये एक आयोग की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

इस अवस्था में इस विधेयक को प्रस्तुत करने के औचित्य का स्पष्टीकरण करने में सदन का अधिक समय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में खादी और ग्रामोद्योगों का कितना महत्व है,इसे उन सभी ने स्वीकार किया है जिन्होंने कि इस समस्या पर कुछ विचार किया है। महात्मा गांधी ही थे जिन्होंने १९२१ और इससे भी पूर्व राष्ट्र का ध्यान खादी और ग्रामोद्योगों जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर दिलाया, और उसी समय से आज तक, पिछली ३० वर्ष की अवधि में हम अपनी गतिविधियों के इस क्षेत्र को अपनी विकास योजनाओं में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान देते आये हैं। १९५७ में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व यह प्रयत्न एक प्रकार से गैर-सरकारी स्तर पर ही थे। इस क्षेत्र में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित कई गैर-सरकारी संस्थाएं इस क्षेत्र में कार्य कर रही थीं, और वह संस्थाएं इस कार्य को निष्काम भाव से ही कर रही थीं। वास्तव में वे भविष्य में इस कार्य के काफी विस्तार से राष्ट्रीय स्तर पर किये जाने का मार्ग प्रशस्त कर रही थीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हमने उद्योगों के इस क्षेत्र विशेष में कार्य की गति में वृद्धि कर दी है। इन उद्योगों

---

†मूल अंग्रेजी में

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत ।

को एक सन्तोषजनक आधार पर स्थापित करने के लिये हमने विभिन्न सरकारों अथवा उनके अन्य अभिकरणों के जरिये जो गैर-सरकारी कार्यवाहियां की हैं उन के संबंध में विस्तार से कुछ बताना अभी मेरे लिये आवश्यक नहीं है।

सन् १९४७ से सभी राज्य सरकारें भारत में उन उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये काफी प्रयत्न करती रही हैं, और इस संबंध में यह बता देना चाहता हूं कि इन उद्योगों की प्रमुख जिम्मेदारी भी राज्य सरकारों पर ही है। दूसरे शब्दों में यह विषय ही मुख्यतया राज्य सूची का है और गत दस वर्षों से हमारे देश की सभी राज्य सरकारें, अपने विभागों द्वारा अथवा इन मामलों से संबंधित अनुविहित बोर्डों द्वारा, अथवा मंत्रणा बोर्डों की सहायता से इन उद्योगों के विकास के लिये कार्य करती रही हैं। परन्तु १९५१ में, जबकि हम अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना बना रहे थे,तो उस समय इन उद्योगों के महत्व का सबसे अधिक अनुभव किया गया और हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इन उद्योगों का जो महत्वपूर्ण भाग है उस पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया। उसी समय इस बात को जानने का प्रयत्न किया गया कि राज्य सरकारों के कार्यों के अतिरिक्त इन उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये हम क्या कर सकते थे। विभिन्न स्तरों पर कई बैठके हुईं और अन्त में, मेरे विचार में १९५२ के अन्त में अथवा १९५३ के आरम्भ में यह निर्णय किया गया कि राज्य सरकारों के प्रयत्नों के साथ साथ केन्द्रीय सरकार को भी इस कार्य में सहायता देने के लिये कोई ठोस कार्य करना चाहिये। काफी सोच विचार के पश्चात् यह निर्णय किया गया कि "घरेलू और दस्तकारी उद्योगों" की विभिन्न श्रेणियों से सम्बन्धित कार्यों को करने के लिये अखिल भारतीय बोर्ड स्थापित किये जायें। उस निर्णय के अनुसार अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई ; और ऐसे ही अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड और कई ऐसे ही अन्य बोर्डों की स्थापना हुई। इन बोर्डों द्वारा गत तीन चार वर्षों से केन्द्रीय सरकार इस संबंध में राज्य सरकारों के कार्यों का समर्थन, और उनको प्रोत्साहन देती आ रही है। प्रारम्भ में उन बोर्डों की स्थापना की पीछे भावना यह थी कि यह बोर्ड, अब विशेषत: खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड मुख्यत: परामर्शदाता निकाय ही होंगे, अर्थात् वह नीति और कार्यक्रमों पर विचार करके परामर्श देंगे कि क्या किया जाना चाहिये और एक प्रकार से समग्र रूप से अधिक्षणात्मक कार्य करेंगे। जिन अधिकारियों ने इन बोर्डों की स्थापना का निर्णय किया उन्होंने यह भी सोचा कि उन बोर्डों को कुछ कार्यपालिका कार्य भी सौंपे जायें। उन सभी कार्यपालिका कार्यों अथवा जिस परिसीमा में वे इन कार्यों को करने वाले थे, उसको बताना आवश्यक नहीं है। इतना बता देना मेरे लिए पर्याप्त है कि परामर्श संबंधी सभी कार्यों के अतिरिक्त कार्यपालिका सबंधी कुछ कार्य भी उनको सौंपे गये थे।

†**श्री ब० स० मूर्ति** (एलुरू) : उन्हें भी संक्षेप से बता दिया जाना चाहिये।

†**श्री क० च० रेड्डी** : उदाहरण के लिए, बोर्ड को प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करनी थी। मैं विधेयक पर पांच दस मिनिट में आ जाऊंगा। मैं यह बता रहा हूं कि जब प्रारम्भ में इस बोर्ड की स्थापना हुई थी तो उसे कुछ कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य भी दिये गये थे। उन कार्यों को सन्तोष जनक ढंग से करने के लिए कुछ धनराशि भी उस बोर्ड को दी गयी थी। कुछ आर्थिक नियम तथा विनियम भी निर्धारित किये गये थे।

एक दो वर्षों के कार्यकरण के पश्चात्, यह अनुभव किया गया कि बोर्ड के कार्य को सुचारू और सन्तोषजनक ढंग से चलाने के लिए उसके रास्ते की कुछ रुकावटों को दूर करना ही होगा। मैं उन कुछ समस्याओं का उल्लेख करूंगा जो कि बोर्ड के कार्यकरण के समय सामने आयीं। हमारा ध्यान इन समस्याओं की ओर १९५५ मे गया। उक्त बोर्ड के परामर्शक निकाय होने के कारण और उसकी कोई परिनियत स्थिति न होने से, उस न कुछ कठिनाई का अनुभव किया, क्योंकि वह सम्पत्ति का न अर्जन कर सकता था, न प्राप्त कर सकता था और न उसे बेच ही सकता था। उसे अपनी समस्त योजनाएं स्वीकृति के लिए सरकार के समक्ष प्रस्तुत करनी पड़ती थी,

†मूल अंग्रेजी में

[श्री क० च० रेड्डी]

जिसका अर्थ यह था कि ५,००० अथवा १०,००० रुपये तक की छोटी छोटी योजनाएं भी केन्द्रीय सरकार के पास आती थीं। केन्द्रीय सरकार अपने प्रशासन शासनतंत्र में वित्त, और दूसरे सम्बद्ध मंत्रालयों में उन पर विचार करना होता था। कभी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को काम करना होता था और कभी किसी अन्य मंत्रालय को। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गयी योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त करने में काफी समय लग जाता था। कतिपय प्रक्रिया सम्बन्धी और वित्तीय कठिनाइओं के कारण भी काम रुक जाता था, परिणाम यह होता था कि काफी देरी हो जाती थी और बोर्ड को घरेलू और ग्रामोउद्योगों के विकास के लिये उपलब्ध निधि को पूर्णरूप से काम में लाने में भी कठिनाई होती थी।

इस अवस्था में मैं एक और महत्वपूर्ण पहलू का भी उल्लेख करना चाहता हूं। जब भी कभी किसी व्यक्ति अथवा प्राधिकारी को अधिकार दिया जाता है, तो तत्स्थानी जिम्मेदारी भी उसी प्राधिकारी पर डाली जानी चाहिये। जिम्मेदारी के बिना अधिकार देना तो प्रत्येक क्षेत्र में खतरनाक होता है। खास कर जब ये अधिकार काफी बड़ी मात्रा में नीधियों को खर्च करने का अधिकार होना और उचित ढंग से उसे खर्च करने की जिम्मेदारी न होना बहुत अवांछनीय स्थिति है। हमने अनुभव किया है कि इस सम्बन्ध में अवश्य कुछ किया जाना चाहिए। इसलिए हमने विचार किया कि शीघ्र ही बोर्ड को परिनियत स्थिति प्रदान की जानी चाहिए ताकि अधिक खर्च करने का उत्तरदायित्व भी उन पर ही रखा जाये जिनसे कि उनका सम्बन्ध है। विधेयक में जिस प्रकार के आयोग की स्थापना का प्रस्ताव है, वह प्रस्ताव मूल रुपसे वित्त मंत्रालय और महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा किया गया था। उनका विचार था कि खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जो अधिक धन राशि खर्च की जाती है उसके लिये यह आवश्यक हो जाता है कि उस निकाय को विधिक स्थिति प्रदान की जाये ताकि खर्च करने की जो जिम्मेदारी है उसी निकाय पर डाली जाये जिस पर कि डाली जानी चाहिये अन्य कारणों के अतिरिक्त, इसी महत्वपूर्ण कारण से ही, यह विधेयक सदन में अप्रैल, १९५५ में पुरःस्थापित किया गया था।

इस अवसर पर मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिस विधेयक को अप्रैल, १९५५में पुरःस्थापित किया गया था, उसको इससे पहले क्यों न लिया गया और १५ मास के पश्चात् इस पर विचार किये जाने का प्रस्ताव क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विधेयक को सदन में पुरःस्थापित करने के पश्चात्, योजना आयोग द्वारा खादी और ग्रामोद्योगों, अथवा जिन्हें आजकल विकेन्द्रीकृत उद्योगों का नाम दिया जाता है के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से विचार कर के द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रसंग में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये कर्वे समिति की नियुक्ति की गई। समिति ने इस समस्या का गंभीर अध्ययन किया, और यह सिफारिश की कि जैसे कि हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के इस क्षेत्र की विकास गतिविधियों को तीव्रगति दी थी उसी प्रकार इन योजनाओं और कार्यक्रमों को राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों की विभागीय एजन्सियों द्वारा कार्यान्वित कराया जाना वांछनीय होगा। समिति ने अनुभव किया कि जिस प्रकार की संविहित शक्तियों की कल्पना की गयी थी—विशेष रूप से खादी बोर्ड के सम्बन्ध में—उनसे स्थिति का पूर्णतया सामना नहीं किया जा सकेगा, और इसलिये विभाग में कर्मचारियों की पूरी संख्या को रखना वांछनीय होगा। विचार यह था कि केन्द्र में भी इसी प्रकार के विभागों की स्थापना की जाय। इसलिए जब कर्वे समिति ने यह सिफारिश की तो हमारे सामने एक समस्या खड़ी हो गयी। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग विधेयक अप्रैल में पुरःस्थापित किया गया था; और हमने सोचा कि इस विधेयक के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की अग्रेतर कार्यवाही करने के पूर्व कुछ और विचार करने की आवश्यकता थी। हमने इस पर पुनः विचार किया। हमने योजना आयोग से तथा अन्य स्तरों पर इसके सम्बन्ध में चर्चाएं की। केवल एक अथवा दो मास पूर्व ही हम इस परिणाम पर पहुंचे कि जैसा कि इस विधेयक में अपेक्षित था, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना के कार्य को आरम्भ करना वांछनीय था।

इस निर्णय का मूल कारण यह है कि यदि हमने इस प्रश्न का निपटान करने के लिये किसी सरकारी विभाग की स्थापना किये जाने सम्बन्धी सिफारिश को स्वीकार कर लिया होता, तो इस समस्या को सुलझाने के लिये एक समुचित प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करने में एक, दो, अथवा तीन वर्ष लग जाते।

मैं एक उदाहरण दूंगा। जब खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने खादी तथा ग्रामोद्योगों के विकास का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया, उस समय खादी के सम्बन्ध में काम करने वाली कुछ संस्थाएं पहले से ही इस क्षेत्र में काम कर रही थीं, और वह दस-पन्द्रह वर्षों से इस कार्य को कर रही थीं। इन संस्थाओं की सहायता लेकर वह खादी के विकास और उत्पादन वृद्धि के मामले में प्रगति कर सकती थीं। परन्तु ग्रामोद्योगों के सम्बन्ध में यह स्थिति नहीं थी और इस विशिष्ट प्रयोजन के लिये एक संगठन का निर्माण करने में दो अथवा तीन वर्ष लग गये हैं। परिणामस्वरूप, गत दो तीन वर्षों में ग्रामोद्योगों के लिए हमने जिन निधियों का आवंटन किया था उन का पचास प्रतिशत से अधिक व्यपगत हो गया। स्वयं बोर्ड के पास इस प्रकार के ग्रामोद्योगों का विकास करने के लिए कोई प्रशासनिक संगठन नहीं था। हमारे सामने कोई विकल्प नहीं था। या तो हम वर्तमान अवस्था को स्वीकार करके एक नया विभाग बनाते और उस विभाग में लोगों की भर्ती करके काम शुरू करते अथवा चुप बैठे रहते। एक सन्तोषजनक प्रशासनिक-व्यवस्था को स्थापित करने में दो-तीन वर्ष लग जायेंगे और उक्त दो या तीन वर्ष की अवधि तक एक समुचित प्रशासनिक व्यवस्था न होने के कारण खादी तथा ग्रामोद्योगों के विकास का कार्य रुका रहेगा।

अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमें उद्योगों की उन्नति के लिये अग्रेसर होना है, हमने यह निश्चय किया कि खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड और उससे सम्बद्ध संगठनों को जिन्हें इस विधेयक में कुछ परिवर्तनों के साथ स्थान दिया गया है, अपनाया जाये। हमें ऐसा तरीका अपनाना चाहिये जिससे खादी और ग्रामोद्योग की संतोषप्रद उन्नति हो सके। यही कारण है कि हमने इस विधेयक को पारित करने का निश्चय किया है।

जो बातें मैंने कही हैं उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि हमने विचार प्रस्ताव विधेयक के पुरःस्थापन के एक वर्ष बाद क्यों प्रस्तुत किया है। इससे माननीय सदस्यों को विदित हो जायेगा कि खादी और ग्रामोद्योग के बारे में इस विधेयक पर काफी विचार किया गया है।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : इसे उदासीनता कहिये।

†**श्री क० च० रेड्डी** : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि खादी और ग्रामोद्योग के बारे में केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों ने कोई उदासीनता नहीं दिखाई है।

अब मैं इस विधेयक की सामान्य बातों के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। विधेयक में यह उपबन्ध है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग नाम का एक आयोग बनाया जाये जिसमें तीन से कम और पांच से अधिक सदस्य न होंगे। इस आयोग को, विधेयक में कथित कुछ शक्तियां दी जायेंगी। इस विषय में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान विधेयक के खण्ड १४ की ओर आकर्षित करता हूं जिससे उन्हें यह भलीभांति विदित हो जायेगा कि इस आयोग का क्या काम होगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

आयोग को जो शक्तियां दी गई हैं वे बहुत काफी हैं। उनके अनुसार आयोग खादी और ग्रामोद्योग के बारे में योजना बनाने और उन्हें लागू करने का काम भलीभांति कर सकेगा। यह आयोग एक निगमित निकाय के रूप में होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री क० च० रेड्डी]

दूसरा महत्त्वपूर्ण उपबन्ध इस विधेयक में यह है कि इस आयोग को अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड से सहायता अथवा परामर्श प्राप्त होता रहेगा जिस में एक सभापति और कुछ सदस्य होंगे जैसा कि सरकार उचित समझेगी। मंत्रणा बोर्ड भी काफी बड़ा होगा। इस समय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड में लगभग पन्द्रह सोलह सदस्य हैं। हम उसे और भी बड़ा बनाना चाहते हैं। राज्य सरकारों के मंत्रियों तथा विभिन्न बोर्डों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में इस वर्ष जून में यह निश्चय किया गया था कि राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को इन बोर्डों में स्थान दिया जाये। हम अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड में राज्य सरकारों के प्रतिनिधि रखना चाहते हैं अतः बोर्ड के सदस्यों की संख्या २० या २५ हो सकती है। मैं बोर्ड की सदस्यता के बारे में इस समय ठीक ठीक नहीं कह सकता किन्तु यह तो निश्चित है कि इस आयोग को परामर्श अथवा सहायता देने के लिये एक बोर्ड बनाया जायगा। प्रबन्ध कार्य को मंत्रणा कार्य से पृथक् रखा जायेगा। मंत्रणा के लिये वह बोर्ड उत्तरदायी होगा जिस का इस विधेयक में उपबन्ध है और प्रबन्ध का उत्तरदायित्व आयोग पर होगा।

इस विधेयक की अनुसूची में १३ या १४ उद्योग दिये गये हैं जो इस विधेयक के अधीन आ जायेंगे। यह कहा जा सकता है कि कुछ अन्य उद्योगों को ग्रामोद्योगों की सूची में क्यों नहीं शामिल किया गया है किन्तु इस के लिये सरकार ने इस विधेयक में यह उपबन्ध किया है कि यदि आवश्यक हुआ तो खंड ३(१) के अधीन अन्य उद्योगों को भी शामिल किया जायेगा।

जहां तक आयोग के लिये धन का प्रश्न है, मैं यह बताना चाहता हूं कि वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में सरकार द्वारा उसका उपबन्ध किया जायेगा अर्थात् सरकार के विभागीय कार्यों के लिये जिस प्रकार सभा की अनुमति दी जाती है, उसी प्रकार इस के लिये भी सभा से अनुमति ली जायेगी। यह रकम प्रति वर्ष सभा द्वारा निश्चित की जायेगी।

पिछले तीन वर्षों से बजट में खादी और ग्रामोद्योग के लिये अधिक से अधिक रकम दी जा रही है। लगभग ५ करोड़ रुपया प्रति वर्ष दिया जाता है। तीन वर्ष पहले यह रकम कम थी। फिर भी हमारे रिकार्ड में यह बात मौजूद है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में यह रकम काफी बढ़ जायेगी। हम ने ७५,००० अम्बर चर्खों की योजना की स्वीकृति दी है जिस पर १९५६–५७ में ४ करोड़ रुपया व्यय होगा। जैसी कि हमें आशा है यदि यह योजना सफल हो गई तो द्वितीय योजना के आगामी वर्षों में हम इस के लिये और अधिक रकम देंगे। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड तथा आयोग को जो भी रकम दी जायेगी वह सभा की अनुमति से दी जायेगी और आयोग केवल उतनी ही धनराशि व्यय कर सकेगा।

विधेयक में यह भी उपबन्ध है कि सरकार की अनुमति से आयोग अपने कुछ कार्यों के लिये नियम बनायेगा।

एक महत्वपूर्ण बात मैं और बता दूं और वह यह है कि इस आयोग और बोर्ड के कार्यों पर सरकार का कहां तक नियंत्रण रहेगा। आयोग का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिये विधेयक के अधीन कुछ शक्तियां आयोग को दी गई हैं। किन्तु समूचा नियंत्रण सरकार के हाथ में होगा। उदाहरण के लिये विधेयक का खंड १३ यह उपबन्ध करता है कि आयोग को उसके अधीन पदों के लिये नियुक्तियां करने की शक्ति होगी किन्तु सरकार की पूर्व सम्मति के बगैर आयोग द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जायेगी जिसका मानदेय अथवा न्यूनतम वेतन ५०० रुपये प्रतिमास से अधिक है। कल ही जब कि जीवन बीमा निगम का, जो आज से अस्तित्व में आया है, एक विशिष्ट पहलू की चर्चा की गई थी तो कुछ माननीय सदस्यों ने आशंकायें व्यक्त की थीं कि ये आयोग और निगम अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं और इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं होगा। ऐसी बात न हो सके इसके लिये सरकार ने ५०० रुपये प्रतिमास से अधिक वेतन वाले पदों की नियुक्ति की शक्तियों को इस अर्थ में रक्षित रखा है कि ऐसी नियुक्तियों के लिये सरकार की सम्मति लेना आवश्यक है।

सभा को यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि पिछले चार या पांच वर्षों में बनाये गये विभिन्न समवायों के संथा के अन्तर्नियमों में भी हम ने ऐसा ही किया है। समवाय अधिनियम के अधीन पंजीकृत समवायों के लिये यह उपबन्ध है कि उन के सन्था के अन्तर्नियमों में निश्चित वेतनों से अधिक वेतन वाले पदों पर नियुक्तियों के लिये पहले सरकार की अनुमति प्राप्त की जानी चाहिये।

खंड १८ और १९ के अधीन आयोग को केन्द्रीय सरकार द्वारा बजट में उसके लिये उपबन्ध की गई रकम को व्यय करने का पूरा अधिकार है किन्तु केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना 'ऋण' शीर्ष के अधीन या ग्रामोद्योग के अधीन उपबन्धित रकम को इधर उधर करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण मौजद है। इस आशय का उपबन्ध विधेयक के खंड १५ में भी किया गया है।

इसलिये सरकार ने यह सामान्य शक्ति अपने लिये सुरक्षित रखी है और इसके अन्तर्गत सरकार आयोग को किन्हीं बातों को करने के लिये किसी भी समय आदेश दे सकेगी। इस उपबन्ध का अर्थ यह नहीं है कि सरकार इन शक्तियों का लगातार प्रयोग करेगी और आयोग अथवा बोर्ड के दिन प्रति दिन के काम में हस्तक्षेप करेगी।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (होशियारपुर) : इसका अर्थ यह है कि उसका प्रयोग कभी नहीं किया जायेगा।

†**श्री क० च० रेड्डी** : यह तो मैं नहीं जानता। संभव है कि यदि माननीय सदस्य को यह शक्ति दी जाती तो वे उसका प्रयोग कभी न करते। किन्तु सरकार, जिसे अपने दायित्वों का ज्ञान है, निश्चय ही सतर्क रहेगी और अत्यंत आवश्यक होने पर हस्तक्षेप करने अथवा आदेश देने की इस शक्ति का प्रयोग करेगी। सरकार इस शक्ति का प्रयोग ऐसा कभी नहीं करेगी जिससे लोगों को यह धारणा हो कि विलम्ब कम करने और इस प्रकार आयोगों और निगमों को किसी हद तक स्वतंत्रता देने के लिये लाल फीते को समाप्त करने के उद्देश्य से उसने जिन स्वशासी निकायों का गठन किया है उनके मार्ग में वह सदा बाधक होती है। मेरा ख्याल है कि यदि माननीय सदस्य श्री एपलबी के प्रतिवेदन को पढ़ें तो वे इस बात को समझ जायेंगे। मैं यह आशा करता हूं कि वह उसे पढ़ेंगे किन्तु मेरा निवेदन है कि वे उसे बार बार पढ़ें। श्री एपलबी ने अपने प्रतिवेदन में जो बातें कहीं हैं उनसे यद्यपि माननीय सदस्य पूर्ण रुप से सहमत न हों, किन्तु प्रतिवेदन का आशय यह है कि हमें शक्तियों का प्रत्यायोजन अधिकाधिक करना चाहिये और विभिन्न स्तरों पर इन शक्तियों क प्रयोग की व्यवस्था करनी चाहिये। उन शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के बाद उनका प्रयोग करने वाले अधिकारियों पर अत्यधिक नियंत्रण रखना उचित नहीं होगा। इस प्रकार हम अपनी सभी गतिविधियों में तेज से सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रश्न को हमें इस दृष्टिकोण से हल करना चाहिये।

मैंने यह पहले ही कहा है कि इस संविहित आयोग की स्थापना से संसद् के प्रति सरकार का जो दायित्व है वह पूर्णतः समाप्त नहीं होगा। निश्चय ही कुछ दायित्व आयोग पर पड़ेगा, जिसे कार्यपालिका शक्ति प्राप्त होगी।

इसके बाद मैं इस विधेयक के कुछ पहलू बताता हूं। खंड २२ के अधीन आयोग इस प्रकार लेखे रखेगा जिस प्रकार सरकार निर्धारित करेगी। लेखा-परीक्षा भारतीय लेखा विभाग करेगा और नियंत्रक महालेखा परीक्षक उन्हें प्रमाणित करेगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित लेखे तथा तत्सबंधी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन संसद् के प्रत्येक सदन में पेश किया जायेगा। इसका अर्थ यह है कि प्रतिवर्ष इन प्रतिवेदनों के जरिये आयोग और बोर्ड की गतिविधियों से संसद् को परिचित कराया जायेगा। उनके कार्य के लेखों के कार्य को भी संसद् में पेश किया जायेगा। आयोग अपना

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री क० च० रेड्डी]

प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत करेगा और बोर्ड और आयोग के कार्यकरण का प्रतिवेदन सरकार प्रतिवर्ष संसद् में पेश करेगी। इसका अर्थ यह है कि जिस वर्ष के लिये प्रतिवेदन प्रस्तुत है उसके दौरान इस आयोग ने किस तरीके से काम किया, व्यय किस प्रकार किया, क्या सफलता प्राप्त की और क्या कोई राशि व्यपगत हुई इन बातों को जानने का अवसर इस सदन को प्रतिवर्ष प्राप्त होगा। प्रतिवेदन यह स्पष्ट करेगा कि अपर्याप्त निधियों के कारण किन कार्यों में बाधा उत्पन्न हुई है। मैं आशा करता हूं कि आयोग के लिये राशि मंजूर करने के लिये जिस समय संसद् को कहा जायेगा उस समय प्रत्येक सदन में इन सब पहलूओं और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन को पेश किया जायेगा। इसलिये यह स्पष्ट है कि इस सभा के समूचे नियंत्रण—संसदीय नियंत्रण, की व्यवस्था की जायेगी और उसका प्रयोग किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में मैं एक अन्य महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करना चाहता हूं। माननीय सदस्यों ने यह देखा होगा कि इस विधेयक के बारे में मैंने कुछ संशोधनों की सूचना दी है। उनमें से अधिकांश शाब्दिक हैं जिनके बारे में कहना मेरे लिये आवश्यक नहीं है। किन्तु एक संशोधन महत्वपूर्ण है जिसकी ओर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करता हूं। उसका आशय यह है कि आयोग की गतिविधियों को जानने के लिये और आर्थिक नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार राशि व्यय करने की व्यवस्था करने के लिये एक वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया जाना चाहिये। संशोधन इस प्रकार है :

पृष्ठ २, पंक्ति ३२ के बाद, निम्न जोड़ दिया जाये :

"५. आयोग का वित्तीय सलाहकार—केन्द्रीय सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को आयोग का वित्तीय सलाहकार नियुक्त करेगी जो सदस्य नहीं है"।

यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण संशोधन ह और वित्त मंत्रालय के साथ काफी चर्चा करने के बाद इस संशोधन की सूचना दी गई है। जब यह देखा गया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वर्षों में इस आयोग को करोड़ों रुपये व्यय करना होंगे तो यह अत्यन्त आवश्यक समझा गया कि विधेयक में जो अन्य संरक्षण हमने पहले ही रखे हैं उनके अतिरिक्त एक ऐसा अतिरिक्त संरक्षण होना चाहिये जिसका सुझाव इस संशोधन में दिया गया है। मेरा ख्याल है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के लिये लगभग ७० करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। जिस अम्बर चरखा कार्यक्रम के बारे में हम सोच रहे हैं यदि उसे अन्ततोगत्वा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मंजूर किया गया तो कुल राशि लगभग २०० करोड़ रुपये होगी। इसलिये जिस आयोग का गठन हम करने जा रहे हैं, उसे यदि इतनी राशि के सम्बन्ध में कार्यवाही करना है तो इस निकाय पर अन्तिम नियंत्रण को कायम रखना न केवल संसद् के लिये आवश्यक है वरन् यह भी आवश्यक है कि जो मंत्रालय इस आयोग के उचित कार्यकरण के लिये उत्तरदायी है उसके और स्वयं आयोग के ढांचे में इस बात का समुचित प्रबन्ध करने के लिये वित्तीय प्रतिबन्ध होने चाहिये कि खादी और ग्रामोद्योग के विकास के लिये संसद् द्वारा जो राशियां आवंटित की जाती हैं उनका व्यय सर्वविदित वित्तीय नियमों और विनियमों के अनुसार हो। इसीलिये हमने एक वित्तीय सलाहकार नियुक्त करने का निर्णय किया है जो आयोग की गतिविधियों से परिचित रहेगा और आयोग के कार्यकरण के वित्तीय पहलुओं के बारे में आयोग का मार्गदर्शन करना उसका दायित्व होगा।

मेरा ख्याल है कि इस अवस्था में सदन का और समय लेना मेरे लिये आवश्यक नहीं है। मेरे पास ऐसी कई बातें हैं जिनकी ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना है। चर्चा किस प्रकार होती है तथा माननीय सदस्य किन बातों को उठाते हैं इसका मैं ध्यान रखूंगा। इसके बाद उन बातों को अपने उत्तर के दौरान स्पष्ट करने का मैं प्रयत्न करूंगा। उदाहरण के लिये मैं यह बता सकता था—किन्तु मुझे पूर्वानुमान नहीं करना चाहिये; मैं माननीय सदस्यों की टीकाओं की प्रतीक्षा करूंगा और तत्पश्चात् उन बातों को स्पष्ट करने का प्रयत्न करूंगा। यदि मैं पुर्वानुमान करने लगूं तो संभव है कि मैं जितना समय लेना चाहता हूं उससे अधिक ले लूंगा। इसलिये, मैं ऐसा नहीं करूंगा।

अन्त में मेरा निवेदन यह है कि एक ऐसी संस्था स्थापित करना अत्यन्त आवश्यक है जो खादी और ग्रामोद्योग के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सके। जैसा कि मैं कह चुका हूं, इस विधेयक में जिस संविहित निकाय की कल्पना हमने की है वही एकमात्र उपाय है जिससे हम इन उद्योगों सम्बन्धी विकास कार्यक्रम को प्रोत्साहन दे सकते हैं।

गत कुछ वर्षों के अनुभव से यह स्पष्ट है कि सफलता प्राप्त करने का सर्वोत्कृष्ट तरीका यह है कि बड़ें या छोटे उद्योगों के लिये समवाय अधिनियम के अधीन निगम या समवाय स्थापित किये जायें, या वास्तव में एक ऐसा स्वायत्तशासी आयोग स्थापित किया जाये जो सरकार के नियन्त्रण और निरीक्षण के अधीन और अंत में संसद् के नियंत्रण के अधीन हो। पिछले ४–५ वर्षों में समवाय अधिनियम के अधीन अनेक पंजीकृत समवायों के संचालन के अनुभव से मैं यह निस्संकोच कह सकता हूं कि उत्पादन मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन कारखानों जैसे सिन्दरी उर्वरक या डी० डी० टी० कारखाना या पेन्सिलिन कारखाना या अन्य कारखानों के प्रबन्ध के लिये, समवाय अधिनियम के अधीन समवाय स्थापित करने की पद्धति बहुत सफल रही है और उससे अच्छा परिणाम निकला है। उत्पादन मंत्रालय के अधीन अनेक समवायों के संचालन के पिछले चार पांच वर्षों में शायद ही ऐसे कोई अवसर आये हों जब कि इन समवायों को जान बूझ कर दी गयी स्वायत्तशासिता में बाधा डाली गयी हो। किन्तु साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार इन समवायों की कार्य-प्रणाली की ओर सतर्कता से ध्यान देती रहेगी। मैं यह नहीं बनाना चाहता कि वह किस प्रकार ध्यान देगी, क्योंकि उसमें कुछ समय लगेगा। हमें कार्यावलि की प्रतियां और बोर्ड की बैठकों का विवरण मिलता है। हमारा एक पदाधिकारी बोर्ड में रहता है, सचिव या संयुक्त सचिव अध्यक्ष होता है, प्रबन्ध संचालक सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं और हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समवायों के कार्य का ज्ञान रहता है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि जिन मामलों में उत्पादन नीति या वित्तीय नीति या विपणन या भरती की नीति का सम्बन्ध होता है, सरकार ने संथा के अमुक-अमुक अन्तर्नियम के अधीन आदेश न देकर बल्कि अच्छे दबाव से या राजी कराकर, ठीक समय पर ठीक बात कह कर अपना काम करने में कोई संकोच नहीं किया है। इस प्रकार हम काम कर रहे हैं। इस विधेयक के अन्तर्गत मुख्य सिद्धान्त यह है कि एक मंडली, एक आयोग बनाइये, उसे अधिकतम स्वायत्तशासिता दीजिये और साथ ही सर्वांगीण नियंत्रण की अपनी शक्तियां सुरक्षित रखिये और इस ओर ध्यान दीजिये कि धन वित्तीय नियमों और विनियमों के अनुसार उचित ढंग से खर्च किया जाये। इस विधेयक में हमने यह उपबन्ध बनाया है। सफलता प्राप्त करने के लिये उन्हें अधिकतम स्वायत्तशासिता दे कर स्वतंत्र छोड़ दीजिये।

आशा है कि मैंने माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाया है। यही समय है जब कि हम प्रयोग करें और देखें कि वह किस प्रकार कार्यान्वित होता है। इन विषयों में कोई बात अंतिम नहीं है। यदि इसमें हम सफल होते हैं तो हम अन्य उद्योगों के लिये उसे नमूने के तौर पर अपना सकते हैं। यह एक उपयोगी प्रयोग है। यदि हम सफल नहीं होते तो हम उन दोषों की ओर या उन पहलुओं पर ध्यान देंगे जिन्हें ठीक करने की जरूरत है, और उचित समय पर उचित कार्यवाही करेंगे। मैं सिफारिश करता हूं कि यह विधेयक सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाये। मैं देखता हूं कि माननीय सदस्यों ने किसी संशोधन की सूचना नहीं दी है। यदि कोई ऐसे संशोधन हों जिनसे विधेयक में सुधार होता हो तो मैं उनका स्वागत करूंगा। यदि वे उस प्रकार के न हों तो मैं उचित समय पर यह निवेदन करूंगा कि संशोधन स्वीकार करने योग्य नहीं है। मैं सभा का अधिक समय लेना जरूरी नहीं समझता। मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाये।

†**श्री झुनझुनवाला** (भागलपुर–मध्य) : इस खादी बोर्ड के बारे में महात्मा गांधी का जो भी उद्देश्य था उसके अतिरिक्त, इस आयोग का क्या उद्देश्य है ? क्या इसका उद्देश्य लोगों को रोजगार दिलाना है और यदि हां, तो क्या वह पूरा होगा और क्या ग्रामोद्योग तथा खादी की वस्तुएं मिल

†मूल अंग्रेजी में

[श्री झुनझुनवाला]

उद्योग या हाथकरघा उद्योग या इस प्रकार के किसी उत्पाद से स्पर्धा कर सकेंगी? यदि नहीं, तो इसका क्या उद्देश्य हैं और ये उत्पाद किस प्रकार बेचे जायेंगे ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने पहले ही बताया है कि कुछ बातें उन्होंने बाद में कहने के लिये रख छोड़ी है। यदि माननीय सदस्य अपना तर्क दें तो वे उसका उत्तर देंगे। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। माननीय मंत्री ने इस विधेयक की जो विस्तृत व्यवस्था की है, मैं उसका भी स्वागत करता हूं। किन्तु मैं एक बात यह नहीं समझ पाता कि भारत सरकार को सभी प्रयोजनों के लिये सभी प्रकार के अनेक आयोग और निगम स्थापित करने का शौक कैसे पैदा हुआ है। यह एक नयी सनक है और इसे भी देखना होगा कि वह ठीक तरह से कार्यान्वित होती है या नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि ये आयोग और निगम बनाने के विषय में हम इतनी जी तोड़ जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं। इस मंत्रालय या उस मंत्रालय द्वारा चलाये गये आयोगों और निगमों के बारे में मैं कोई राय नहीं देना चाहता। ग्रामोद्योग या ऐसी चीज के लिये जो सामान्य जनता के उपभोग के लिये बनी हुई हो, सर्वोत्कृष्ट मार्ग विकेन्द्रीकरण का है, न कि कोई निगम या आयोग बनाने का। किन्तु विकेन्द्रीकरण का सिद्धान्त लागू करने के बजाय हम प्रतिशोध के साथ अधिक-केन्द्रीयकरण कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री या हम लोग जिन समस्याओं का हल चाहते हैं, वे इस प्रकार हल नहीं होगी।

फिर मैं सोचता था कि मंत्री महोदय एक ऐसा संगठन स्थापित करेंगे जो ग्राम पंचायत से प्रारंभ होकर, जिला, राज्य और संभव हो तो केन्द्रीय स्तर तक पहुंचता। मेरी तो राय यह है कि इस तरह के मामलों में केन्द्र का कोई हाथ न होना चाहिये और सभी बातें राज्य स्तर पर की जायें। केन्द्र इस प्रकार का कोई आयोग स्थापित न करे। अतः मेरा पहला निवेदन यह है कि खादी उद्योग और ग्रामोद्योगों के विकास के लिये केन्द्र अपनी सारी शक्तियां राज्यों को प्रत्यायोजित कर दे अन्यथा मेरे विचार से ये उद्योग केन्द्र के अधीन रहने पर विकास के वांछनीय स्तर तक न पहुंच पायेंगे।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि कार्यक्षमता, उपभोक्ता और इन उद्योगों से सम्बन्धित जनता के हित में खादी और ग्रामोद्योग के लिये दो अलग अलग संगठन होने चाहिये थे। खादी का अपना अलग महत्व है और वह एक ऐसा महत्व है जिस पर पूरा-पूरा ध्यान देना आवश्यक है। खादी ग्राम पुनर्निर्माण की नींव है, उससे बहुतों को रोजगार मिलेगा और ग्रामोद्योगों में वह आधारभूत उद्योग होगा। इसलिये खादी को दूसरी अन्य चीजों से अलग रखा जाना चाहिये और वह किसी के साथ संबद्ध नहीं की जानी चाहिये। यद्यपि मैं आयोग के पक्ष में नहीं हूं, फिर भी यदि मंत्री निगम या आयोग बनाना चाहते हों तो मैं यह कहूंगा कि खादी और ग्रामोद्योग के लिये दो अलग अलग संस्थायें होनी चाहिये। इस मिले जुले आयोग के कारण दोनों ही उद्योगों की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जा सकेगा और दोनों को हानि होगी तथा दोनों ही अधिक विकास और उन्नति न कर सकेंगे।

आगे मैं अपने मंत्रियों का यह दृष्टिकोण नहीं समझ पाता कि जब कभी कोई विधेयक वे प्रस्तुत करते हैं तब जम्मू और काश्मीर अपवर्जित किया जाता है। ग्रामोद्योग के विषय में जम्मू और काश्मीर ने एक उदाहरण स्थापित किया है और इन्हीं उद्योगों के कारण ही वह फलाफूला है। वह भारत का एक भाग है और जितने ही शीघ्र हम उसे मान लें, हमारे लिये उतना ही अच्छा होगा। ऐसे विधेयक प्रस्तुत करने से क्या लाभ जिनमें यह कहा गया हो कि ये विधियां जम्मु और काश्मीर पर लागू नहीं होनी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री क० च० रेड्डी :** माननीय सदस्य के भाषण में बाधा डालने में मुझे खेद है किन्तु मैं अभी ही बता देना चाहता हूं कि खादी आयोग या इस विधेयक द्वारा राज्य सरकारों को क्षेत्र से बाहर नहीं निकाल दिया जायगा, बल्कि खादी और ग्रामोद्योगों के विकास के क्षेत्र में वे अपना उत्तरदायित्व पूरा करते रहेंगे। उन्हें अपने कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ाने में कोई रुकावट नहीं होगी। यह उनके प्रयत्नों के लिये एक सहायता के रूप में है।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** मैं मानता हूं कि सभी राज्यों को अपना कार्य करना होगा किन्तु मैं यह नहीं समझ पाता कि जम्मू और काश्मीर को अपवर्जित करने में क्या तर्क है। अतः मेरा यह कहना है कि जम्मू और काश्मीर, जो कुटीर उद्योगों का घर है, जहां के लोगों की जीविका कुटीर उद्योगों पर निर्भर है और जहां से हमें कुटीर उद्योगों के नमूने मिलते हैं, इस विधेयक से अपवर्जित नहीं किया जाना चाहिये था। यह एक आर्थिक प्रकार का विधेयक है और मैं इसके लिये कोई कारण नहीं पाता कि उसे क्यों छोड़ दिया जाये।

मंत्री महोदय एक आयोग बनाने जा रहे हैं और वे कहते हैं कि राज्यों को शामिल किया जायेगा। अतः वह एक साधारण आयोग नहीं होगा बल्कि एक महा आयोग होगा जो प्रत्येक को मंत्रणा देगा। वह राष्ट्रीय महत्व का एक विस्तृत विषय होगा और इतने महत्वपूर्ण दायित्व को केवल आयोग के तीन या अधिक से अधिक पांच सदस्य पूरा करेंगे। मैं नहीं जानता कि ऐसे महामानव कहां से ढूंढ कर लाये जायेंगे जो भारत के सभी गावों में और नगरों में इन महत्वपूर्ण समस्याओं का विवेचन कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि यह कुछ ऐसी चीज है जो स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आगे यह कहा गया है कि अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड इस आयोग की सहायता करेगा। यहां भी हम वही बात पाते ह, अर्थात् प्राधिकारों की, बोर्डों की और अभिकरणों की संख्या बढ़ाना। मैं पूछता हूं कि ऐसा आयोग या बोर्ड क्यों नहीं बनाया जाता जिससे मंत्रणा और प्रशासन दोनों ही कार्य एकत्र कर दिये जाते। गैर-सरकारी और सरकारी सीमित समवायों के मामलों में हम इन दो कार्यों को अलग अलग नहीं रखते किन्तु हम मंत्रणा कार्य के लिये एक अलग बोर्ड और कार्यपालिका आयोग के लिये एक आयोग बनाने जा रहे हैं।

मुझे यह कहना ही होगा कि ये मंत्रणा बोर्ड केवल शोभा बढ़ाने का काम करते हैं। उनके इतिहास पर हमे गौरव नहीं हो सकता। यदि मंत्री महोदय का भी यही मत हो तो वे एक ऐसा आयोग, निगम, या बोर्ड बनाने की प्रस्थापना सामने रखें जिनमें ये दोनों ही कार्य एक साथ जोड़ दिये जायें। किन्तु प्रारंभ में मंत्री महोदय एक ओर मंत्रणा कार्य और दूसरी ओर उसे कार्यान्वित करने का कार्य रख रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, उसमें तो उत्तरदायित्व के विभाजन का तत्व है। कार्यों के विभाजन से देश का कोई भला नहीं होगा।

लोक-लेखा समिती के सदस्य के नाते, मैं कई मंत्रालयों के संपर्क में रहा और मैं इन मंत्रालयों के वित्तीय सलाहकारों से मिला हूं। मैं जानता हूं कि वे बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं किन्तु वे इन संस्थाओं की कार्यक्षमता उस हद तक नहीं बढ़ाते जिसकी हम आशा करते हैं। इसलिये मैं यही कहूंगा कि तीन या पांच महामानव वाले निगम से, जिसके साथ एक मंत्रणा बोर्ड और एक वित्तीय सलाहकार हो, इस देश को कोई लाभ नहीं होगा।

यह भी कहा गया है कि आयोग की बैठक महीने में कम से कम एक बार होगी। मैं नहीं समझ सका कि वे इस एक बैठक में सारे भारत की समस्याओं का हल कैसे निकाल लेंगे।

जहां तक नियुक्तियों का संबंध है यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिस का वेतन ५०० रुपये प्रतिमास से अधिक हो, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। नियुक्तियों के संबंध में मेरे बड़े कट्टर विचार हैं और मेरे विचार में निम्न श्रेणी के लिपिकों

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० चं० शर्मा]

या उच्च श्रेणी के लिपिकों या अन्य किसी वर्ग के पद पर नियुक्तियों के लिये एक पृथक् प्रकार का चुनाव बोर्ड होना चाहिये और उस बोर्ड की सहायता के लिये कोई बाहर का व्यक्ति भी उसमें होना चाहिये जिससे कि नियुक्तियों की प्रक्रिया में सभी का विश्वास प्राप्त हो सके।

पंजाब में उच्च पदों पर नियुक्तियों के लिये सेवा आयोग है और ५० रुपये से १५० रुपये के बीच के वेतन पद के लिये भी अधीनस्थ सेवा आयोग की व्यवस्था है, इसलिये इस आयोग को नियुक्तियों के मामले में संपूर्ण अधिकार देना लाभदायक न होगा।

नि:सन्देह जो उद्देश्य बताये गये हैं वे सभी मूल्यवान हैं, परन्तु मंत्री महोदय को हमें यह भी बताना चाहिये था कि व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिये क्या प्रबन्ध किये जायेंगे,कच्चे माल और उपकरणों के संबंध में कैसी गवेषणा की जायेगी और उन उपकरणों को प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाहियां की जायेंगी क्योंकि जहां तक इनका संबंध है इन की अत्यधिक कमी है।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इन वस्तुओं की बिक्री के लिये क्या प्रबन्ध किये जायेंगे और प्रविधियों में गवेषणा कार्य के संबंध में कौन सी संस्था स्थापित की जायेगी। विधेयक के खंड १४ में कुछ महत्वपूर्ण उपबन्ध दिये गये हैं। जिन गतिविधियों की माननीय मंत्री ने चर्चा की है यदि उनकी कुछ रूपरेखा भी हमें दी होती तो मुझे अत्यन्त प्रसन्नता होती।

क्योंकि इस संबंध में हमें ब्योरा नहीं बताया गया है, मैं यह अनुभव करता हूं कि यद्यपि ये बातें की जायेंगी तथापि हो सकता है कि वे इस मामले में अभिरुचित व्यक्तियों की इच्छाओं के अनुसार न हों।

फिर, जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था, दो निधियां होंगी, एक ग्रामोद्योगों के लिये और एक खादी के लिये। यदि निधियां पृथक् रखी जानी हैं और कृत्य भी पृथक् होंगे तो मुझे समझ में नहीं आता कि इनके लिये एक ही बोर्ड क्यों हो।

मैंने पृष्ठ १० पर अनुसूची को पढ़ा है और देखा है कि ग्रामोद्योगों के विकास के लिये अत्यधिक गुंजायश की उसमें व्यवस्था है।

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा—मध्य) : एक औचित्य प्रश्न है। इसका संबंध लोक सभा द्वारा इस विधेयक पर विचार करने से है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : पहिले भाषण खत्म हो लेने दीजिये।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : जो अनुसूची दी गई है वह काफी विस्तृत है।

जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है उससे अन्य ग्रामोद्योगों को भी सम्मिलित किया जायेगा। उदाहरणार्थ, मेरे चुनाव क्षेत्र में लकड़ी का काम एक बहुत ही अच्छा कुटीर उद्योग है। इसे भी उसमें सम्मिलित करना चाहिये।

इस विधेयक का उद्देश्य प्रसंशनीय है। मुझे आशा है कि इसका स्वागत किया जायेगा परन्तु मुझे संदेह है कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये इस आयोग का गठन सहायक सिद्ध होगा। परन्तु हम जिस युग में रह रहे हैं वह परीक्षणों का युग है इसलिये माननीय मंत्री इस संबंध में भी परीक्षण कर सकते हैं। मेरे विचार में यह परीक्षण अधिक लाभदायक सिद्ध न होगा।

†**श्री श्रीनारायण दास** : औचित्य प्रश्न यह है कि संविधान के अनुच्छेद २४६ के अधीन संसद् को सप्तम अनुसूची की सूची (१) में अर्थात् संघ सूची में प्रगणित विषयों में से किसी के बारे में बिधि बनाने की अनन्य शक्ति है। खंड २ के अनुसार सूची ३ में प्रगणित विषयों, अर्थात् समवर्ती

---

†मूल अंग्रेजी में

सूची में से किसी के बारे में विधि बनाने की भी संसद् को शक्ति है। "उद्योगों" का सामान्य उल्लेख राज्य सूची की मद २४ में है। सूची १ की मद ५२ में कहा गया है "वे उद्योग जिनके लिये संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि लोक हित के लिये उन पर संघ का नियन्त्रण इष्टकर है"। इसलिये इस सभा को खादी और ग्रामोद्योगों के संबंध में विधि बनाने की तब तक कोई शक्ति नहीं है जब तक कि इन्हें संसद्, विधि द्वारा लोक हित के लिये इष्टकर घोषित न करे।

राज्य सूची में सूची ३ की प्रविष्टि ३३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वस्तुओं के उत्पादन, संभरण और वितरण के संबंध में एक अन्य मद है। समवर्ती सूची की प्रविष्टि ३३ में भी यह उद्योग सम्मिलित नहीं है। (क) से (ङ) तक जो मदें हैं उनमें खादी और ग्रामोद्योग सम्मिलित नहीं हैं।

इसलिये जब तक इस विधयक में यह उपबन्ध न किया जाये कि खादी तथा ग्रामोद्योगों का नियन्त्रण संसद् द्वारा लोक हित के लिये इष्टकर घोषित किया जाता है तब तक सभा इन उद्योगों के संबंध में विधान अधिनियमित नहीं कर सकती है।

†**श्री क० च० रेड्डी** : इस प्रक्रम पर मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि सदन तथा आप छोटे पैमान के उद्योगों के निगम से परिचित हैं। मेरे विचार में एक अधिनियम द्वारा उसे स्थापित किया गया था।

†**श्री झुनझुनवाला** : जी हां, इसे अधिनियमित किया गया है।

†**श्री क० च० रेड्डी** : यह प्रश्न एकदम उत्पन्न हुआ है। मुझ परामर्श करने के लिये कुछ समय चाहिये.....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री कुछ परामर्श करना चाहते हैं। हम वाद-विवाद जारी रखेंगे। बाद में मैं इस पर विचार करूंगा।

†**श्री खू० चं० सोधिया** (सागर) : क्या इस संसद् द्वारा खादी तथा हथकरधा उपकर आरोपित नहीं किया गया है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वह एक विभिन्न बात है। जब तक हम संघ सूची में किसी प्रविष्टि की ओर संकेत न करें तब तक सामान्य रूप से हम कुछ नहीं कह सकते हैं।

†**डा० सुरेश चन्द्र** (औरंगाबाद) : विधेयक का उद्देश्य प्रशंसनीय है। जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है कि महात्मा गांधी खादी तथा ग्रामोद्योगों के विकास के प्रश्न पर बहुत जोर दिया करते थे। इसलिये भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात् सरकार के लिये यह अनिवार्य हो गया है कि इनके विकास के लिये हर संभव प्रयत्न करे।

मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि गांधीजी के लिये खादी, कारबार का या कुछ लोगों को रोजगार देने का विषय नहीं थी, बल्कि यह एक निष्ठा की बात थी, उन्होंने कई बार कहा था कि उनके लिये खादी संभवत: राजनीतिक स्वतंत्रता से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

†**श्री झुनझुनवाला** : 'निष्ठा का मामला,' इसका क्या अर्थ है ?

†**डा० सुरेश चन्द्र** : निष्ठा का अर्थ है निष्ठा। गांधी जी का ईश्वर में विश्वास था, सत्य में निष्ठा थी और हमारे लाखों देशवासियों में उन्हें विश्वास था। इसीलिये वे खादी को भी निष्ठा का एक मामला समझते थे क्योंकि उनके विचार में इससे न केवल उन्हें रोजगार मिलेगा बल्कि

†मूल अंग्रेजी में

[डा० सुरेश चन्द्र]

उनम एक प्रकार की अध्यात्मिक जागृति भी उत्पन्न होगी । यह सच है कि महात्मा गांधी की सभी बातों में हमारा विश्वास नहीं होता था । इसीलिये मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि जब हम गांधी जी की चर्चा करते हैं और विचार करने के लिये विधेयक प्रस्तुत करते हैं तो यह बातें एक प्रकार से कुछ असंगत हैं क्योंकि गांधी जी का इन सभी आयोगों में विश्वास नहीं था और वह यह नहीं चाहते थे कि खादी को एक प्रकार से कारोबारी वस्तु बनाया जाये ।

अब हम उद्योगों का तथा भारी उद्योग का विकास कर रहे हैं और कुछ विदेशों से प्रतियोगिता भी करना चाहते हैं और मैं सोचता हूं कि खादी के मामले पर कारबार के दृष्टिकोण से सोचना कुछ सीमा तक दम्भी जैसी बात होगी । इस लिये खादी और ग्रामोद्योगों के विकास के लिये एक नये आयोग की स्थापना का वास्तविक उद्देश्य मैं नहीं समझ सका हूं ।

मैं एक ऐसे क्षेत्र का रहने वाला हूं जहां हमारे कुछ गांव उद्योग थे । वहां ग्रामोद्योगों के विकास के लिये एक बोर्ड भी था । परन्तु उसके गठन के बाद विकास के नाम पर वहां कुछ नहीं किया गया है । आयोग और निगम स्थापित करने के लिये इस संसद् में विधान प्रस्तुत करना एक प्रकार का फ़ैशन हो गया है । यदि वे पूर्णतः आवश्यक हों तो मैं उनकी स्थापना का विरोधी नहीं हूं ।

मैं इस प्रकार के आयोग की आवश्यकता को पूरी तरह से नहीं समझ सका हूं । अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड पहले से ही गठित किया हुआ है । इस बोर्ड के कृत्यों के संबंध में कहा गया है कि यह एक प्रकार से मंत्रणा बोर्ड है । और अब निष्पादन के उद्देश्य से वे एक आयोग स्थापित करना चाहते हैं । पुरःस्थापन प्रक्रम और इस विचार प्रक्रम के बीच में "भावे समिति स्थापित की गई थी । इस समिति का यह विचार था कि विभागीय अभिकरणों द्वारा राज्य तथा केन्द्रीय स्तरों पर खादी और ग्रामोद्योगों का विकास किया जाना चाहिये । इनके विकास के लिये ७० करोड़ रुपये बंटित किये गये हैं । परन्तु सरकार ने इस समय समिति की सिफारिशों को स्वीकार करना उचित समझा है और इसीलिये वे एक आयोग स्थापित करना चाहते हैं । मैं इस प्रकार के आयोग की कोई आवश्यकता नहीं समझता हूं । हां, एक प्रकार के नियन्त्रण की कुछ आवश्यकता अवश्य है । मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि विकेन्द्रीयण की परम आवश्यकता है, मैं यह अनुभव करता हूं कि यद्यपि राज्य उत्तरदायित्व भी है और राज्य स्तरों पर मंत्रणा बोर्ड भी हैं तथापि केन्द्र स्तर पर एक प्रकार का नियन्त्रण होना आवश्यक है । परन्तु मुझे इस बात में संदेह है कि यह आयोग खादी तथा ग्रामोद्योगों की कुछ सहायता कर सकेगा । अब भी सरकार को पर्याप्त प्राधिकार प्राप्त हैं और इन बोर्डों को कुछ अधिकार दिये जा सकते हैं जो वित्तीय दृष्टिकोण से भी अधिक प्रभावी रूप में कृत्य कर सकते हैं । इसलिये मुझे आशा है कि सरकार इस पर विचार करेगी और ऐसा विधान पुरःस्थापित करेगी ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, क्योंकि जैसा कि कहा गया है विधेयक का उद्देश्य खादी तथा ग्रामोद्योगों का उचित विकास है परन्तु विधेयक में यह उद्देश्य कहीं प्रकट नहीं होता है । मैं विधेयक के उद्देश्य का स्वागत करता हूं परन्तु इसके उपबन्धों का स्वागत नहीं करता हूं ।

आगे बढ़ रहे क्रान्तिकारी भारत के लिये खादी एक प्रतीक के रूप में पुरःस्थापित की गई थी । उन दिनों में लोग विदेशी वस्त्र पहनना चाहते थे । गांधी जी ने देखा था कि गांव का जुलाहा और बुनकर जीवित रहने के लिये भीख मांग रहे हैं । इस लिये उन्हें पूर्ण रोजगार देने के लिये उन्होंने खादी पुरःस्थापित करके एक महत्वपूर्ण उद्देश्य प्राप्त किया था । गांधी जी ने खादी को अन्य उद्योगों से अलग रखा था । यदि मुझे ठीक याद है तो वर्धा में दो बोर्ड थे । अखिल भारतीय बुनकर संस्था जिसके जिम्मे सभी प्रकार की खादी का उत्पादन था और कागज तथा गुड़ बनाने जैसे अन्य उद्योगों के लिये अखिल भारतीय ग्रामोद्योग बोर्ड था । सरकार ने इन दोनों को मिला दिया । यह बोर्ड

---

†मूल अंग्रेजी में

पिछले कुछ समय से कृत्यकारी है परन्तु बोर्ड का कार्य अधिक साहसान्वित करने वाला नहीं है। इस विधेयक को प्रस्तुत करने से ही स्पष्ट है कि बोर्ड सफल सिद्ध नहीं हुआ है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आयोग बोर्ड, वित्तीय सलाहकार तथा अन्य व्यक्तियों से बोर्ड के कार्य की गति बढ़ेगी या आयोग के कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। गांधी जी केन्द्रीयकरण के विरोधी थे। वह सदैव विकेन्द्रीकरण की बात कहा करते थे। आयोग यहां होगा, बोर्ड की बैठक वर्धा में होगी या वित्तीय सलाहकार नॉर्थ ब्लॉक में बैठेगा तो इससे ग्रामोद्योगों और खादी का उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकेगा। निगम के बाद निगम और आयोग के बाद आयोग बनाये जा रहे हैं और इसी प्रकार जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है सरकार का सिन्दरी निगम स्थापित करने का भी विचार है।

आयोग के संविधान के संबंध में कहा गया है कि आयोग के सदस्यों की संख्या तीन से कम और पांच से अधिक नहीं होगी, वित्तीय सलाहकार होगा, आयोग खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से भी परामर्श कर सकेगा, इन सभी बातों से यह संकेत मिलता है कि कुछ छिद्र है जिसे या तो मंत्रालय या स्वयं मंत्री ही नहीं देख सके हैं। मंत्री महोदय ने स्वयं कहा है कि यदि अम्बर चर्खे को सफल बनाना है तो अगले पांच वर्षों के लिये २०० करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, १५ करोड़ रुपये पहले बंटित किये जा चुके हैं, कुल २१५ करोड़ रुपये खादी पर खर्च कीये जायेंगे। यदि इतनी बड़ी राशि आयोग को सौंपनी है तो मेरे विचार में इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि आयोग उपयुक्त होगा या एक ऐसा कार्यपालिका अधिकारी ठीक होगा जो प्रत्यक्षतः मंत्रालय के आधीन हो और मंत्रणा बोर्ड उसका तथा मंत्रालय का पथ प्रदर्शन कर सके।

माननीय मंत्री को विधेयक के उपबन्धों पर और अधिक ध्यान देना चाहिये, विकेन्द्रीयकरण पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार के बोर्ड में राज्यवार नहीं बल्कि उद्योगवार प्रतिबंध होना चाहिये, यदि दोनों ही के प्रतिनिधि होंगे तो संख्या ४० या ५० तक बढ़ जायेगी। इस लिये प्रत्येक उद्योग के ही प्रतिनिधि बोर्ड में लिए जाने चाहियें।

प्रतिनिधान के समय यह ध्यान रखना चाहिये कि न केवल सैद्धान्तिक विशेषज्ञ बल्कि एक ऐसे वास्तविक कार्यकर्ता को भी प्रतिनिधान करने का अवसर दिया जाये जो कि कई वर्षों से उद्योग में हो और जिसने उद्योग में अनुभव प्राप्त किया हो। यदि उसे अंग्रेजी न आती हो तो बोर्ड का सदस्य बनने में यह बात रुकावट नहीं होनी चाहिये। ऐसे बोर्ड में जरूरी क्या है ? एक ऐसा ग्रामीण जो उद्योग में हो, उद्योग में कार्य करता रहा हो, उद्योग की ऊंच-नीच जिसने देखी हो उसे बोर्ड का सदस्य बनाना चाहिये और उसकी मंत्रणा ली जानी चाहिये। यदि वह भारत की भाषायें अथवा अंग्रेजी भी नहीं जानते तो उन्हें अपनी भाषा में बोलने की अनुमति होनी चाहिए तथा उसका अनुवाद आवश्य होना चाहिये। दूसरे सदस्यों को उनके अनुभव का लाभ प्राप्त होना चाहिये जो इस बोर्ड के संगठन का मुख्य ध्येय है।

इस बोर्ड को सरकार बारम्बार एक मंत्रणा निकाय बताती है। यदि सरकार को मंत्रणा की ही आवश्यकता है तो समाचार-पत्रों में एक पत्र के प्रकाशित कर देने से उन्हें अनेकों पत्र मंत्रणा के प्राप्त हो जायेंगे। इस बोर्ड की पद प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहिये तथा इस के निर्णयों का सरकार या आयोग अनिवार्य रूप से पालन करे।

इन निगमों मे अधिकारियों के निकट सम्बन्धियों को सैंकड़ों की संख्या में भर्ती किया गया है। जब कभी मंत्री महोदय से इन सेवाओं में विभिन्न समुदायों के व्यक्तियों की संख्या के बारे में प्रश्न किया गया है तो इन्हें स्वायत्त कह कर टाल दिया गया है। यह एक गलत बात है। जो निगम राज्य या केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता पाता है, उसे नियमों को आवश्य ही अधिमान देना चाहिये। यदि नियुक्तियों, पदोन्नतियों तथा वरिष्ठता के मामलों में नियमों का पालन नहीं किया जाता तो इससे उन व्यक्तियों से अन्याय होता है।

[श्री ब० स० मूर्त्ति]

अतः मेरा यह कहना है कि आयोग व्यक्तियों को एक समिति की सहायता के बिना नहीं चुन सकता । व्यवस्था की गई है कि ५०० रुपये से अधिक वेतन के पाने वाले अधिकारियों की नियुक्त के लिए केन्द्रीय सरकार से पूछना होगा इसका अर्थ तो यह है कि वह आज किसी व्यक्ति को ४९९ रुपये पर नियुक्ति कर सकते हैं तथा छः मास के बाद ही उसे ५५० रुपये देने की सिफारिश कर सकते हैं । लोग इन परिसीमाओं का अतिक्रमण करने का ढंग जानते हैं । अतएव अधिकारियों की नियुक्ति के लिये यह समिति नियुक्त की जानी चाहिये ।

†**श्री वीरस्वामी** (मयूरम—रक्षित–अनुसूचित जातियां) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । मैं चाहता हूं कि हमारा देश पश्चिमी उन्नत देशों के समतल हो । अतएव मैं प्रारम्भ में ही यह चाहता हूं कि सरकार अपनी दक्यानूसी नीति छोड़ दे ।

मैं समझता हूं कि इस विधेयक से हमारे देशवासियों की एक बड़ी संख्या को रोजगार के ढुंढ़ने में सहायता मिलेगी । यह ठीक है कि इससे वे धनी नहीं होंगे । महात्मा गांधी का लकड़ी के हल में विश्वास था तथा वह इस देश की दारिद्रता को दूर करने का साधन समझते थे । परन्तु ऐसा मालूम होता है कि सरकार ने उनकी सलाह को विचाराधीन नहीं रखा है।

अनुसूचि में कुछएक कुटीर तथा ग्राम उद्योगों का वर्णन किया गया है जिनमें कुटीर दियासलाई उद्योग, बर्तन बनाने का उद्योग, साबुन उद्योग, हाथ का बना कागज़, आदि के उद्योग शामिल हैं ।

मेरे इन विचारों से यह स्पष्ट है कि इस विधेयक से 'कुटीर' शब्द अवश्य ही निकाल दिया जाना चाहिये । उसके स्थान पर 'छोटे पैमाने के उद्योग' ये शब्द रखे जा सकते हैं । हम यह नहीं चाहते कि हमारा देश अब भी कुटीरों का देश ही कहलाता रहे । हम अपनी विभिन्न योजनाओं के द्वारा इसे उन्नत करके कम से कम टाइलों के मकानों वाला देश बनाना चाहते हैं । अतः 'कुटीर' शब्द हटा कर उसके स्थान पर 'हस्त-उद्योग' शब्द रखा जा सकता है ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

'हस्त-उद्योग' तो महलों में भी चल सकते हैं । अतएव हाथ के काम में किसी घटियापन का आभास नहीं होता, इस लिये 'कुटीर' शब्द को हटा दिया जाये ।

फिर सरकार से मेरी यह भी प्रार्थना है कि खादि के उत्पादन में विद्युत-करघों का प्रयोग किया जाये । उससे उत्पादन में शीघ्रता तथा वृद्धि होगी और बुनकरों को भी बड़ा भारी लाभ होगा ।

इस समय जो खादी का कपड़ा तैयार हो रहा है वह बड़ा सख्त है और अधिक देर नहीं चल सकता । और वह पहनने पर भी भद्दा दिखाई देता है । इस लिये सरकारी कर्मचारियों को जो गणवेष दी जाती है उसका कपड़ा कुछ बढ़िया तथा अच्छा होना चाहिये ।

इसके अतिरिक्त सरकार से मेरा यह भी निवेदन है कि वह खादी तथा ग्राम–उद्योग संबंधी कोई विधान बना कर अथवा आयोग या बोर्ड नियुक्त करके ही न सन्तुष्ट हो जायें बल्कि इस बात का भी ध्यान रखे कि देश में तैयार होने वाली ग्राम–उद्योग संबंधी वस्तुओं के विक्रय का भी कोई प्रबन्ध हो सके और फिर ग्रामोद्योग तथा छोटे उद्योग चलाने वाले लोगों की आर्थिक सहायता भी हमें करनी चाहिये।

हस्त-उद्योग के द्वारा कागज़ तैयार किया जा रहा है वह इतना मोटा या घटिया है कि लिखने के काम नहीं आ सकता । अतः हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि जो भी कागज़ तैयार किया जाये वह बढ़िया तथा लिखने के योग्य हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मुझे आशा है कि सरकार इस प्रकार का प्रयत्न करेगी कि हमारा देश भी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक दृष्टिकोण से उन्नति करे तथा संसार के अन्य देशों का मुकाबला कर सके ।

†**पंडित कृ० चं० शर्मा** (जिला मेरठ–दक्षिण): मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं । यह केवल इस लिये नहीं कि यह हमारे देश के औद्योगिक उत्पादन में एक क्रान्तिकारी उन्नति कर देगा अपितु इस लिये भी कि यह देश की बेकारी समस्या को भी हल करने में हमारी पूरी सहायता करेगा ।

इस संबंध में दो ही प्रकार के उपाय हो सकते हैं । पहला तो यह कि गांव के लोगों को शत प्रतिशत काम दिलाया जावे । इसके लिये ग्राम्य क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने होंगे । और उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिये मार्किट तैयार की जावे । और बड़े उद्योग समाप्त कर दिये जावें । परन्तु इस से तो हम जान बूझ कर प्रगति के द्वार बन्द कर देंगे । अतः यह उपाय ग्राह्य नहीं है ।

दूसरा उपाय यह है कि बड़े बड़े उद्योगों को अत्याधिक उन्नत करना तथा उससे उत्पादन को अधिकाधिक बढ़ाना। परन्तु इस से तो बेकारी की समस्या का सामना करना पड़ेगा। औद्योगिक दृष्टिकोण से उन्नत विदेशों को भयंकर समस्या का सामना करना पड़ रहा है । अतः सर्वोतम मार्ग जिसकी ओर गांधी जी नें भी संकेत किया है, मध्यम मार्ग जिससे इस समस्या से हम मुक्त हो सकते हैं, इस उपाय के अनुसार बड़े तथा छोटे दोनों प्रकार के उद्योगों की उन्नति हो सकती है । शहरों के साथ ही साथ नगरों की भी पर्याप्त उन्नति हो सकती है । अतः यह विधेयक एक अत्यन्त महत्वपर्ण समस्या के हल में हमारी सहायता करेगा ।

मैं अनुभव करता हूं इस विधेयक में ग्राम उद्योग संबंधी और अधिक व्यवस्थाएं की जानी चाहियें। इन उद्योगों के विकसित करने के संबंध में सर्वोत्तम उपाय यह है कि इन उद्योगों का विकेन्द्रीयकरण कर दिया जाये, स्थान स्थान पर छोटे छोटे केन्द्र खोले जायें और वहां का काम प्रशिक्षित व्यक्तियों को सौंप दिया जाये । परन्तु इस विधेयक में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है । खण्ड १४ में जो व्यवस्थायें की गई हैं वे हमारे सम्मुख ग्रामोद्योगों के भावी कार्यक्रम का कोई सुस्पष्ट चित्र प्रस्तुत नहीं करती हैं । यह व्यवस्थायें भावी कार्यक्रम की केवल एक व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करती हैं। वे सुस्पष्ट ब्योरे नहीं करते । अतः सुस्पष्ट ब्योरे निश्चित कर लिये जायें जिन में उद्योग के विकेन्द्रीकरण तथा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाये । ग्रामोद्योगों का विकास करना कोई सरल काम नहीं है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा कठिन कार्य है । हमने अपने देश के गांवों को एक नया रूप देना है । अतः हमें इन सभी बातों की ओर अच्छी प्रकार से ध्यान देना है ।

इस कार्यक्रम में हमने जनता का सहयोग भी प्राप्त करना है । जनता तो हर प्रकार से सहायता देने के लिये तैयार है । वह इन उद्योगों द्वारा तैयार की गई वस्तुओं को उचित मूल्यों पर देने को तैयार है । अतः हमें वहां की जनता की आवश्यकताओं तथा मांगों के अनुसार वस्तुएं तैयार करनी चाहियें । परन्तु दुःख है कि विधेयक में इस प्रकार की कोई बात नहीं कही गई है ।

मेरे माननीय मित्र का यह कहना है आज का युग आणविक शक्ति तथा मशीनों का युग है । मैं यह स्वीकार करता हूं, परन्तु आजकल जन-संख्या इतनी बढ़ गई है कि केवल बड़ी बड़ी मशीनों से समस्या हल नहीं हो सकती । बहुतसे लोगों को ग्रामों की शरण लेनी पड़ती है और ग्रामोद्योगों का सहारा लेना पड़ता है । अतः ज्यों ज्यों आबादी बढ़ती जायगी हमें ग्रामोद्योगों का सहारा लेना ही पड़ेगा ।

इन शब्दो से मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री जी इन सभी बातों पर विचार करते हुए कोई उचित उपाय अपनायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री क० च० रेड्डी** : मेरा सुझाव यह है कि इस विधेयक की सभी अवस्थाओं को आज ही पूरा कर लिया जाये। हमें इस विधेयक पर चर्चा प्रारम्भ किये हुए दो घण्टे हो गये हैं। इस पर कुछ एक सदस्य तो बोल चुके हैं और सम्भवतः कुछ और सदस्य भी बोलेंगे। इस विधेयक के सम्बन्ध में सदस्यों की ओर से कोई भी संशोधन नहीं है। केवल मैंने ही कुछ एक संशोधन प्रस्तुत किये हैं उनमें से अधिक तो मौखिक हैं सिवाय एक के जिसका उल्लेख मैंने अपने भाषण में किया था। अतः मेरा यह निवेदन है कि आप कोई अवधि निश्चित कर दें जिसके अन्दर इस पर चर्चा पूरी की जाये, और फिर हम खण्डशः चर्चा तथा उसका पारण आज ही कर सकें, और यदि आवश्यक हो तो इसके लिये हमें ६ बजे के बाद भी कुछ समय और रुक जाना चाहिये।

†**श्री टेक चन्द** : मैं आपका ध्यान श्री दास द्वारा पूछे गये औचित्य प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है और उस पर चर्चा करने के लिये कुछ समय अवश्य दिया जाये।

†**सभापति महोदय** : सभा के सामने दो समस्यायें हैं। एक तो औचित्य प्रश्न है जिसका निर्णय उपाध्यक्ष महोदय करेंगे। और दूसरी बात यह है कि विधेयक की चर्चा आज शाम तक पूरी कर दी जाये। यदि माननीय सदस्य यह चाहते हैं तो ऐसा हो सकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सभा इस बात से सहमत है कि विधेयक की चर्चा आज पूर्ण कर दी जाये ?

†**कुछ सदस्य** : जी, हां।

†**श्री धूसिया** (जिला बस्ती मध्य-पूर्व व जिला गोरखपुर-पश्चिम-रक्षित अनुसूचित जातियां) : आज बहुत से ऐसे सदस्य सभा में उपस्थित नहीं हैं जिन्हें इस विषय में रुचि हो सकती है। इसलिये इस पर आज ही निर्णय नहीं हो जाना चाहिये।

†**श्री राघवैया** (ओंगोल) : मेरा यह सुझाव है कि सामान्य चर्चा के लिये कुछ अधिक समय दिया जाये और खण्डशः चर्चा के लिये कुछ समय रखा जाय।

†**सभापति महोदय** : जहां तक सदस्यों की अनुपस्थिति का सम्बन्ध है, इसमें सभा का कोई दोष नहीं है। सभा का काम तो चलता रहेगा। जहां तक दूसरे सुझाव का सम्बन्ध है, वह स्वीकार किया जा सकता है और सामान्य चर्चा के लिये अधिक समय दिया जा सकता है।

†**श्री झुनझुनवाला** : इस विधेयक के लिये कितना समय आवंटित किया गया है ? उन बोलने के इच्छुक सभी सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाना चाहिये।

†**सभापति महोदय** : इस प्रकार के विधेयक के लिये हम अपनी इच्छानुसार समय का फैसला कर सकते हैं। यद्यपि कार्य मंत्रणा समिति ने इसके लिये अधिक समय निर्धारित किया हो हम चाहें तो कम समय ले सकते हैं। वैसे तो बहुत से सदस्य इसपर बोल चूके हैं। यदि अन्य सदस्य चाहें तो वे भी बोल सकते हैं, परन्तु यह बात निश्चित है कि इस चर्चा को आज ही पूर्ण करना होगा।

मैं इस विधेयक के बारे में बोलने वाले सभी सदस्यों को अवसर दूंगा। परन्तु उनसे निवेदन है कि वे अधिक समय न लें, नहीं तो अन्य सदस्य वंचित रह जायेंगे।

†**स्वामी रामानन्द तीर्थ** (गुलबर्गा) : यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है अतः इस पर अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस विधेयक में एक नये आयोग की जो प्रस्थापना की गई उसका कारण यह है कि अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का कार्य ठीक प्रकार से नहीं चल रहा है। मुझे इस बोर्ड के कार्य के बारे में व्यक्तिगत अनुभव है और जहां तक मैं समझा हूं वास्तविक कठिनाई यह है कि बोर्ड को पूरी शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं। दूसरी कठिनाई यह है कि बोर्ड के सदस्यों और सरकारी पदाधिकारियों के मतों में भेद है। इन कठिनाइयों का अब अनुभव किया गया है और प्रस्थापित आयोग को अब हर प्रकार के अधिकार दिये गये हैं। यदि इसी प्रकार के अधिकार अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को दिये जाते तो काम अत्यन्त सुगम हो जाता। बोर्ड के सदस्य तो अत्यन्त सुयोग्य तथा विद्वान देशभक्त हैं और देश के आर्थिक विकास की दृष्टि से अत्यन्त विशेषज्ञ हैं। अतः बोर्ड की असफलता का कारण उन सदस्यों की कमजोरी नहीं है, अपितु यह है कि मंत्रालय और बोर्ड के मध्य कार्य के सम्बन्ध में कोई मतैक्य न हो सका।

मैं जानता हूं कि मंत्री जी तो विकेन्द्रित अर्थनीति में विश्वास रखते हैं जब कि हमारी सरकार वैसा नहीं चाहती। इसीलिये आज एक मिश्रित अर्थ नीति का अनुसरण किया जा रहा है, और इसलिये उसके परिणाम भी मिश्रित से हैं।

मैं समझ नहीं सका कि पहले से ही विद्यमान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को शक्ति सम्पन्न न करके, एक शक्ति सम्पन्न नये आयोग को क्यों स्थापित किया जा रहा है। वैसे तो मैं उस आयोग का स्वागत करता हूं, परन्तु मैं समझ नहीं सका कि केवल पांच सदस्यों के ही इस आयोग से इतना प्रविधिक कार्य कैसे चल सकेगा। मेरे मन में सबसे बड़ी यही आशंका है। जहां तक केन्द्रीकरण का सम्बन्ध है, उसमें आशंका का कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि खादी और ग्रामोद्योगों का केन्द्रीयकरण हो ही नहीं सकता।

इस कार्य के लिये अब प्रथम पंचवर्षीय योजना की अपेक्षा बहुत अधिक धन निर्धारित किया जा रहा है। अतः यदि हम इस २०० करोड़ रुपये की राशि का पूरा पूरा उपयोग करना चाहते है तो इस उद्योग कार्य को चलाने के लिये योग्य व्यक्तियों द्वारा कार्य केन्द्र स्थापित किये जायें।

आयोग की स्थापना द्वारा सरकार का वास्तविक उद्देश्य तो बेकारी की समस्या को हल करना है। इसलिये हमें भी इसी लक्ष्य को सामने रखना है, केवल गांधीवाद का अन्धानुकरण नहीं करना है। हमें वास्तविक वस्तुस्थिति को अपनी दृष्टि में रखना है।

जहां तक प्रदेश परामर्शदाता बोर्डों का सम्बन्ध है, उनमें ऐसे व्यक्ति सदस्यों के रूप में काम कर रहे हैं जो कि ग्रामोद्योग सम्बन्धी वास्तविक कार्य से बहुत दूर हैं। अतः मेरा यह निवेदन है कि आपने यदि उन पुराने बोर्डों को जारी रखना भी है तो उनमें कम से कम ५० प्रतिशत ऐसे लोग रखे जायें जिन्हें ग्रामोद्योगों का वास्तविक अनुभव हो।

अब क्योंकि खादी तथा ग्रामोद्योगों की सफलता पर ही हमारे देश का भविष्य आधारित है, इसलिये हमें आयोग की स्थापना में इन सभी बातों की ओर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिये। इस आयोग की सफलता ही हमारी सफलता है।

अतः इस समय जब कि यह आयोग स्थापित होने वाला है। मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूं कि इसकी असफलता सारे देश के लिये घातक सिद्ध होगी।

†**श्री राघवैया** : खादी तथा ग्रामोद्योग के विकास के इस विधेयक से मैं भी सहमत हूं तथा मैं केवल खण्ड १४ के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राघवैया]

इस सभा द्वारा अथवा किसी राज्य विधान सभा द्वारा पारित किसी भी विधान में हम कितनी भी प्रभोवोत्पादक व्यवस्था करें, परन्तु जब इनके अनुसार कार्य होता है तो यह प्रभाव समाप्त हो जाता है। हमें यही सीखना चाहिये कि ग्रामोद्योगों के विकास तथा खादी और हथकरघा कपड़े के उत्पादन के अपने विचारों को क्रिया में लावें।

मुझे याद है कि कुछ दिन पूर्व, हथकरघे के कपड़े का उत्पादन बढ़ाने के लिये, मिल के बने कपड़े पर कर लगाया गया था। उस विधेयक में यह व्यवस्था की गई थी इस कर से ६ करोड़ रुपये की राशि एकत्रित होगी। विधेयक में यह भी व्यवस्था थी कि देश म निर्मित हथकरघा कपड़े के बाजार की स्थिति का अध्ययन करने के लिये एक समिति नियुक्त की जाये। इस के लिये २ करोड़ रुपये की व्यवस्था की। उस समय भी मैंने कहा था कि इस विधयक से हथकरघा उद्योग नहीं बढ़ेगा। मैंने भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आंकड़े दिये थे तथा यह बतलाया था कि इन ६ करोड़ रुपये से हथकरघा उद्योग का उत्पादन नहीं बढ़ेगा।

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : हथकरघे के लिये एक अलग हथकरघा बोर्ड बनाया गया है। खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड खादी का उत्पादन बढ़ाने का काम करता है। हथकरघे का विकास कार्य वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड में होता है।

†**श्री राघवैया** : उस छः करोड़ रुपये में से २ करोड़ रुपये बाजार ढूंढ़ने में व्यय हो गया। परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि हमारे वाणिज्यिक दूत विदेशों में क्या कर रहे हैं। यह २ करोड़ रुपये बाजार ढूंढ़ने में व्यय किये जायंगे। संगठन के लिये १ करोड़ रुपया व्यय किया जायगा और फिर ३ करोड़ रुपया शेष रह जायगा। देश में २८ लाख हथकरघे हैं। ३ करोड़ रुपया इनमें वितरित करके आप विकास की आशा करते ह। इसीलिये मेरा विचार है कि वार्षिक आय-व्ययक में हथ-करघे के विकास के लिये एक निश्चित राशि स्वीकृत करनी चाहिये जो तब तक रहे जब तक कि हम वस्त्र उद्योग पर पूर्णतः निर्भर हो जायें तथा हथकरघों की आवश्यकता न रहे। बाद में इन जुलाहों के लिये हमें काम की भी व्यवस्था करनी चाहिये।

सबसे पहले मैं उपखंड (२) (छ) के सम्बन्ध में कहूंगा। मुझे सहकारी समितियों का बड़ा अनुभव तथा अपने निजी अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये समितियां असफल रही हैं। सहकारी दुग्ध समितियों को लीजिये। ५ प्रतिशत सहकारी समिति का होता है तथा दर में ५ प्रतिशत कमी होती है। परन्तु फिर भी टैंडर मंगाने पर एक गैर-सरकारी संस्था का टैंडर स्वीकार किया जाता है। मैंने राज्य सरकार से इस बारे में पत्र-व्यवहार किया तथा रेलवे मंत्री को बताया। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि सरकारी कार्यालयों में आपस में सहयोग नहीं है। एक मंत्री कहता है कि सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दीजिये परन्तु साथ ही साथ दूसरा इनका विरोध करता है जैसा कि रेलवे उपमंत्री ने गैर-सरकारी संस्था का टैंडर स्वीकार करके किया। आप कह सकते हैं कि कुछ सहकारी समितियां ठीक कार्य कर रही हैं परन्तु अन्य सहकारी समितियां भी तो हैं जो अच्छी वस्तुओं का उत्पादन कर रही है। सरकार को अब इस प्रकार की गलतियां दूर करनी चाहियें।

मैंने एक समाचार-पत्र में, एक न्यायाधीश द्वारा व्यक्त विचारों को पढ़ा था। उसमें उन्होंने कहा था कि विधान अधिक बन रहे हैं तथा वह यह नहीं जान सकते हैं कि कौन सा विधान ठीक है तथा कौन सा गलत। योग्यता विधान पारित करने में नहीं है प्रत्युत हम जिस प्रकार कार्य रूप में परिणत करते हैं उस में है। इसलिये खादी आदि के वित्रय के सम्बन्ध में विधि बनाना ही अंत नहीं है, प्रत्युत उसके लिये बाजार ढूंढ़ना असली काम है।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह बड़े ही खेद का विषय है कि सहकारी समितियां इस प्रकार के कार्यों से बन्द हो जाती हैं। यदि आप चाहते हैं कि सहकारी समितियों को प्रोत्साहन मिले तो आप इन समितियों की वस्तुओं को खरीदिये तथा राज्यों को इन वस्तुओं को खरीदने का प्रोत्साहन दीजिये।

†**श्री झुनझुनवाला:** चेयरमैन साहिब, जिस दृष्टि से यह बिल लाया गया है उसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इस को पास कर देना चाहिये और इसमें किसी अमेंडमेंट (संशोधन) की भी आवश्यकता नहीं है।

मैं इस विधेयक पर बोलने का इच्छुक नहीं था परन्तु माननीय मंत्री के भाषण के कारण मुझे इस पर कुछ कहना है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड बनाया तथा वह इसी रूप में रहना चाहिये। परन्तु मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि गांधी जी ने जिस उद्देश्य से यह बोर्ड बनाया था क्या उस उद्देश्य को ध्यान में रखा गया है

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

गांधी जी का कहना था कि जब तक देश में आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होगी, यह लोकतंत्र व्यर्थ है। वह महज राजनीतिक स्वतंत्रता में विश्वास नहीं रखते थे। इसलिये म माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या खादी को आर्थिक सहायता देकर अन्य वस्तुओं से प्रतिद्वंदता करनी है? और यदि यही सिद्धांत है तो मैं नहीं जानता कि खंड १४ से यह उद्देश्य किस प्रकार पूर्ण होगा। आयोग के कार्यों के संबंध म खंड १४ म दिया है कि आयोग के कार्य, खादी तथा ग्रामोद्योगों के विकास के कार्यक्रम तथा योजनाएं बनाना है परन्तु इनका उत्पादन तभी बढ़ेगा जब इनकी खपत भी उतनी ही हो। उत्पादन करके हम उस कपड़े को कम दरों पर बेच रहे हैं। यह ठीक नहीं है। सहायता देना भी उचित है। परन्तु यह सहायता केवल कुछ वर्षों तक ही देनी चाहिये तथा ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे अन्त में यह उद्योग आत्मनिर्भर हो जाये। हम चपरासियों को और जलपानगृहों के वेटरों आदि को, खादी पहनाते हैं परन्तु सरकार के सचिव अब भी विदेशी कपड़े पहनते हैं।

हमें आयोग बनाने से पूर्व यह समझ लेना चाहिये कि हम चाहते क्या हैं। हमारे अन्य मंत्रियों तथा आयोग के सदस्यों को खादी पहनाना चाहिये। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इन प्रश्नों का उत्तर दें अन्यथा इस विधेयक का उद्देश्य पूर्ण होने की आशा नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब मैं माननीय मंत्री से पहले उठाये गये औचित्य प्रश्न का उत्तर देने के लिये कहूंगा।

†**श्री क० च० रेड्डी :** मेरे माननीय मित्र श्री श्रीनारायण दास द्वारा उठाये गये औचित्य प्रश्न के संबंध में आपके विचार के हेतु मैं दो बातें कहना चाहूंगा।

यह सच है कि उन्होंने हमारा ध्यान राज्य सूची की प्रविष्टि २४ "प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि ५२ के उपबन्धों के आधीन उद्योग" की ओर आकर्षित किया है। यदि आप प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि ५२ को देखें तो वह इस प्रकार है :

> "वे उद्योग जिन के लिये संसद् ने विधि द्वारा घोषणा की है कि लोक-हित के लिये उन पर संघ का नियंत्रण इष्टकर है।"

मैं सभा का ध्यान १९५१ के औद्योगिक विकास तथा विनियम अधिनियम की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें उन उद्योगों की तालिका दी गई है जिनके बारे में केन्द्रीय विनियम होगा। उक्त सूची में वस्त्र, साबुन, चमड़ा तथा अन्य इसी प्रकार के मद सम्मिलित हैं। मेरा निवेदन है कि खादी वस्त्रों में आतीं है। उसमें साबुन, कागज, चीनी तरकारियों तथा तेल आदि का भी निर्देश

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री क० च० रेड्डी]

है। राज्य सूची की प्रविष्ट संख्या २४ और संघ सूची की प्रविष्टि संख्या ५२ तथा उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि विधेयक में सम्मिलित अधिकांश उद्योग उन उद्योगों की श्रेणी में आ जाते हैं जिन पर केन्द्र कार्यवाही कर सकता है।

किन्तु यह मेरी मुख्य बात नहीं है। मैं तो आपका ध्यान संघ सूची की प्रविष्टि संख्या ४२ और ४४ की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। पहली अन्तर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य के बारे में है जब कि दूसरी निगमन, विनियम तथा निगमों को समाप्त करने के बारे में है, चाहे वे व्यापार करते हों अथवा नहीं। इसका उद्देश्य किसी एक राज्य तक सीमित करना नहीं है किन्तु विश्वविद्यालय इसमें सम्मिलित नहीं हैं। यह विधान किसी राज्य विशेष तक सीमित नहीं है। भारत के अनेक राज्यों पर जिनमें जम्मू तथा काश्मीर भी हैं, प्रभाव पड़ेगा। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिये एक निगम अथवा आयोग की स्थापना करना है और इसे अनेक राज्यों से संबंधित मामलों का निबटारा करना है। अतः इस विधेयक का संबंध संघ सूची की प्रविष्टि संख्या ४४ से हो सकता है, इस कारण यह विधेयक संविधान के अधिकार के बाहर नहीं है और संसद् को इस विधेयक के बारे में वैधानिक क्षमता प्राप्त है।

मैंने अपनी बातें बड़े संक्षेप में कही हैं। और मुझे विश्वास है कि आप उन पर उचित ध्यान देंगे।

†**श्री अ० म० थामस** (एरणाकुलम) : इस विधेयक में इस बात की घोषणा करने वाला एक खंड रखा जा सकता है कि खादी तथा तालिका में वर्णित उद्योगों को केन्द्रीय नियंत्रण में रखना लोक हित में है। ऐसा कहने से यह कार्य संवैधानिक नहीं होगा लोक हित का उल्लेख नारियल जटा बोर्ड अधिनियम आदि में किया जा चुका है और कहा जा चुका है कि इसी कारण इन उद्योगों को केन्द्र के नियंत्रण में रखा जा रहा है।

†**श्री राघवाचारी** (पेनुकोंडा) : इस बात की घोषणा अवश्य की जानी चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री दास ने इस बातपर आपत्ति प्रकट की है कि संसद् को इन उद्योगों के बारे में वैधानिक क्षमता प्राप्त है। राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों के बारे में, जिनका नियंत्रण संघ द्वारा होता है, संसद् सक्षम नहीं है। किन्तु माननीय मंत्री बता चुके हैं कि कुछ उद्योग जो इस विधेयक में सम्मिलित हैं, राष्ट्रीय महत्व के घोषित किये जा चुके हैं। खादी वस्त्र उद्योग में आ गई होगी। किन्तु जहां तक अन्य उद्योगों का संबंध है, तालिका में दिये गये सारे उद्योग उस घोषणा में नहीं आ जाते, जो उस अधिनियम में की गई थी। प्रविष्टि ४२ बड़ी स्पष्ट है और उसमें ये सारे उद्योग नहीं आते। किन्तु यदि इस विधेयक का उद्देश्य निगमन, विनियम और निगमों को समाप्त करना है तो इस पर विचार किया जा सकता है। मेरे विचार से इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह है नहीं।

जहां तक संसद् के सक्षम होने या न होने का प्रश्न है, पहले वाले अध्यक्ष महोदय ने अपना विनिर्णय दिया था कि वह इस उत्तरदायित्व को लेने को तैयार नहीं हैं। इसका निर्णय तो सभा ही करेगी कि संसद् इसके लिय सक्षम है अथवा नहीं।

†**श्री बर्मन** (उत्तर–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : माननीय मंत्री मामले पर विचार कर लें। सभा मत द्वारा किसी असंवैधानिक चीज को संवैधानिक नहीं बना सकती। श्री थामस का कहना ठीक है कि एक खंड इसमें बढ़ा देना चाहिये जिससे सारी चीज ठीक हो जायेगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : पीठासन व्यक्ति का यह कार्य नहीं कि वह मंत्री से कुछ करने के लिये कहे। मैं तो पहले वाले अध्यक्ष का निर्णय ही मानता हूं कि वैधानिक क्षमता के ऐसे सभी मामलों में पीठासन व्यक्ति इसका निर्णय नहीं कर सकता कि कोई विधेयक संवैधानिक है अथवा नहीं और संसद् उसके लिये सक्षम है अथवा नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

विन्ध्य प्रदेश विधान सभा (अनर्हता निवारण) विधेयक पर १९५३ में चर्चा करते समय भी अध्यक्ष महोदय ने यही विनिर्णय दिया था कि विधेयक पर विचार करने अथवा उसे स्वीकार करने का निश्चय सभा ही करेगी। इस सभा की स्वीकृति प्रथा यही है कि अध्यक्ष इस प्रकार के मामलों में उत्तरदायित्व नहीं ले सकता। उनका निष्कर्ष इस प्रकार है :

"सभा का यह कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व है कि वह स्वयं निर्णय करे। वह ऐसा कर सकती है। ऐसी परिस्थिति में औचित्य प्रश्नों पर विचार करना आवश्यक नहीं।"

मैं इसी विनिर्णय का पालन करूंगा। अतः इसका निर्णय सभा ही करेगी।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** (खम्मम) : पहले वाला विनिर्णय मानने के लिये हम बाध्य नहीं हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह कार्य नियम समिति को सौंपा गया था जिससे सभापति को इस बारे में शक्ति मिल सके किन्तु उसने पीठासीन व्यक्ति को यह शक्ति नहीं दी अपितु यह कहा कि विनिर्णय चलने दिया जाय और अध्यक्ष इन्हीं विनिर्णयों के अनुसार कार्य करे। अतः इस संबंध में मैं कुछ और नहीं कर सकता। इस बारे मे निर्णय करना सभा के ऊपर ही निर्भर करता है।

†**श्री राघवाचारी** : पीठासीन व्यक्ति इसका निर्णय सभा के ऊपर ही छोड़ते हैं किन्तु संसद् की सक्षमता अथवा असक्षमता का निर्णय तो न्यायालय ही करेगा। न्यायालय यह भी निर्णय देगा कि यह चीज संवैधानिक है या नहीं। इसलिये पीठासीन व्यक्ति को चाहिये कि वह सभा का कार्य आगे बढ़ने दे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ठीक यही चीज है। इसका निर्णय न्यायालय ही करेगा। कौन सा तरीका अपनाना है इसका निर्णय सभा करेगी। मैं तो पहले वाले अध्यक्ष के विनिर्णय का ही पालन कर रहा हूं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : मैं यह बात स्वीकार करने को तैयार नहीं कि पीठासीन व्यक्ति इस मामले का निर्णय करने के लिये सक्षम नहीं हैं। वह पूर्ण सक्षम है किन्तु प्रथा यह है कि पीठासीन व्यक्ति इसका उत्तरदायित्व नहीं ले सकता। मैं इतना अवश्य निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस मामले में दखल दे कि एक संशोधन रखने का अवसर दे दे। वैसे संघ अनुसूची की प्रविष्टि ५२ के बारे मे कोई सन्देह नहीं है। इस मामले में सभा का कोई उत्तरदायित्व नहीं है किन्तु सदस्य के नाते मेरा कर्त्तव्य यह है कि मैं यह देखूं कि क्या चीज संवैधानिक है और कौन सी चीज संशोधन रखने से संवैधानिक बनाई जा सकती है और उस संबंध में संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति मिलनी चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य चाहते ही हैं तो मैं संशोधन प्रस्तुत किये जाने के बाद ही उस पर विचार कर सकूंगा। मैं इस प्रकार के संशोधन के लिये समय बढ़ा दूंगा। संशोधन देखे बिना मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। अब माननीय मंत्री को बता दिया गया है कि इसमें कुछ अवगुण है तो वह जैसी राय उन्हें दी जायेगी वैसा करेंगे। यदि कोई संशोधन स्वीकार करने योग्य हुआ तो मैं उसमें रोड़े नहीं अटकाऊंगा।

†**श्री अ० म० थामस** : इस विधेयक में भी इसी प्रकार का उपबन्ध कर दिया जाये जैसा कि नारियल जटा उद्योग अधिनियम में किया गया है अर्थात् सरकार इसे अपने नियंत्रण में ले ले।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं श्री डाभी को बुलाता हूं। चूंकि विधेयक आज पारित होना है इसलिये माननीय सदस्य संक्षेप में बोलें।

†**श्री राघवाचारी** : इस विधेयक के लिये तो आठ घंटे नियत किये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : आज मुझे मालूम हुआ है कि सभा ने कुछ और ही निर्णय किया है। अब श्री डाभी बोलेंगे।

†**श्री डाभी** (कैरा-उत्तर) : इस विधेयक से वर्तमान अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड केवल मंत्रणादाता निकाय रहा जायेगा। इस बात की बराबर शिकायत की जातीं है कि अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को वित्तीय कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। यह भी शिकायत थी कि बोर्ड के कार्यक्रम ठीक समय से स्वीकृत नहीं किये जाते। इन्हीं सारी कठिनाइयों को दूर करने के लिये यह विधेयक रखा गया है।

अब जो आयोग बनेगा उसके द्वारा बोर्ड की कठिनाइयां दूर की जा सकेंगी। जो शक्तियां आयोग को दी जाने वाली हैं वे अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को क्यों नहीं दी जातीं ? स्वामी रामानन्द तीर्थ ने ठीक ही कहां है कि बोर्ड और आयोग में यदि झगड़ा चलता रहा तो आगे काम कैसे चलेगा।

खादी तथा अन्य ग्रामोद्योगों पर बोलते समय मैं कई बार यह बात कह चुका हूं कि जब तक इसके प्रभारी लोगों का इन उद्योगों में विश्वास उत्पन्न नहीं होगा तब तक ये उपाय सफल नहीं हो सकते। मुझे अलग आयोग बनाने के बारे में कोई आपत्ति नहीं किन्तु जब तक कि आयोग के सदस्यों में इन योजनाओं तथा विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास नहीं होगा तब तक इसमें सफलता नहीं मिल सकती ।

जहां तक मैं समझता हूं द्वितीय पंचवर्षीय योजना तथा कार्व समिति प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि देश में विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था के लिये यथासम्भव प्रयत्न किये जायेंगे। यह बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है जो ध्यान में रखी जानी चाहिये। यदि आयोग ने विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था का पालन न किया तो उसे सफलता नहीं मिलेगी। अतः मेरा माननीय मंत्री से निवेदन यह है कि आयोग में ऐसे ही लोग रखे जायें जिनका खादी और ग्रामोद्योग तथा विकेन्द्रीकरण में अटूट विश्वास है।

एक बात मुझे यह कहनी है कि जब तक सरकार कुटीर उद्योग की वस्तुओं का मूल्य बड़े उद्योग के वस्तुओं के बराबर नहीं रखती तब तक इस बारे में सफलता नहीं मिल सकती। ठीक यही चीज़ ग्रामोद्योगों के बारे में भी लागू होती है। योजना आयोग की स्थापना से पूर्व ही यह प्रश्न सरकार के सम्मुख था। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इन वस्तुओं के मूल्य अधिक होने के कारण उनकी खपत कम है। अतः इस बारे में सरकार को प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिये।

†**श्री बर्मन** : उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में कहा गया है कि आयोग की स्थापना हो जाने से खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की कठिनाइयां दूर हो सकेंगी।

इस सम्बन्ध में मेरा तो कहना इतना ही है कि जब इन चीज़ों पर करोड़ों रुपया व्यय किया जाता है तो ऐसे उत्तरदायी लोग इस कार्य के लिये रखे जाने चाहियें जिससे धन का अपव्यय न हो सके। गैर-सरकारी संगठनों को इतना बड़ा कार्य नहीं सौंपना चाहिये । यह कार्य तो सारे देश में फैलाना है। साथ ही बहुत बड़ी संख्या में इससे लोगों को काम मिलेगा। यह एक बहुत बड़ा उद्देश्य इस विधेयक का है। यदि माननीय मंत्री इसमें सफल हो जाते हैं तो हमें आयोग की स्थापना करने के बारे में भी कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिये अपितु उन्हें शक्ति देनी चाहिये और उचित सामग्री उपलब्ध कराने में उनकी सहायता करनी चाहिये।

यह कार्य आसान नहीं है। बड़े उद्योगों से सामना करने में खादी तथा ग्रामोद्योग को बड़ी कठिनाइयां सहनी पड़ती हैं। औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना हो चुकी है। सरकार ने बड़े उद्योगों को सहायता करने के लिये यथाशक्ति प्रयत्न किया है। यदि यह मंत्रालय लोगों को जीविका कमाने के स्थायी साधन उपलब्ध करा सकें तो वास्तव में वह देश के लिये बहुत बड़ा काम होगा

---

†मूल अंग्रेजी में

माननीय मंत्री और सरकार को इस बात को देखना होगा कि बड़े उद्योग ग्रामोद्योगों को हानि न पहुंचायें। बड़े-बड़े वस्त्र खूब लाभ कमा रहे हैं और सरकार की उन पर कोई रोक नहीं है जिसका परिणाम यह होता है कि बेचारा उपभोक्ता ही इसका शिकार बनता है। अतः यदि हम कुछ कुटीर उद्योगों का सहारा लें और उन्हें सरकार से प्रोत्साहन मिले तो हम शोषण से बच सकते है। मुझे इस बात का हर्ष है और मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत कर करोड़ों लोगों को शोषण से बचाने का प्रयत्न किया है। यदि कार्य उचित ढंग से हो तो कितनी ही राशि इस पर व्यय की जाये मुझे इस पर रती भर भी आपत्ति नहीं होगी। चाहे कोई सूत काते या साबुन बनाये या मधुमक्खी पाले, मैं तो यह चाहता हूं कि लोगों को काम मिले। वर्तमान बोर्ड को कुछ वित्तीय सहायता मिली या नहीं मैं नहीं जानता किन्तु हम लोगों को कुटीर उद्योग चलाने की चीजें नहीं मिलतीं। एक निश्चित योजना बनाकर मंत्रालय सस्ते मूल्य पर ये चीज़ें गांव वालों को दे सकता है। इससे ग़रीबों का वास्तविक भला होगा। अतः मैं इस विधेयक का हृदय से स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि मंत्री जी इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिये अधिक से अधिक समय दें और देश की गरीब जनता का धन्यवाद प्राप्त करें।

†**आचार्य कृपालानी** (भागलपुर व पूर्निया) : इस विधेयक का कोई विरोध नहीं हो सकता है। परन्तु यह विधेयक तभी सफल हो सकता है जब सरकारी नीति स्पष्ट हो कि सरकार करना क्या चाहती हैं। यह भ्रामक विचार है कि भारतीय सभ्यता कृषि द्वारा बनाई जा सकती है। सभ्यता उद्योग तथा कार्य दोनों से ही बनाई जा सकती है। इसलिये गांधी जी ने कहा था कि देश में औद्योगीकरण होना चाहिये तथा इसीलिये उन्होंने चरखे तथा खादी को अपनाया। वह यही चाहते थे कि छोटे उद्योगों चर्खा तथा खादी के जरिये औद्योगीकरण हो। गांधी जी औद्योगीकरण के पक्ष में थे। उन्होंने इस बात को महसूस किया था कि कोई भी सभ्यता केवल कृषि के आधार पर नहीं चल सकती। किन्तु वह देशी ढंग का औद्योगीकरण चाहते थे। वह पश्चिमी ढंग के औद्योगीकरण का विरोध इसलिये करते थे कि उससे जनता की हानि होती थी। उद्योग में मशीनों का बराबर उपयोग किया जाना चाहिये इससे वह सहमत थे। केन्द्रीकरण और मशीनीकरण साम्यवादी और पूंजीवादी औद्योगीकरण दोनों में आ जाते हैं। साम्यवादियों का विश्वास है कि वे मशीनीकृत उद्योग के उत्पादन का समान वितरण कर सकेंगे यद्यपि ऐसा होता है या नहीं यह अभी विवादास्पद प्रश्न है। यदि हम मान लें कि वे उत्पादन का समान वितरण कर लेंगे तो इसका तात्पर्य यह होगा कि राज्य न केवल राजनीति का अपितु अर्थव्यवस्था का स्वामी है। जो राज्य किसी देश के राजनीतिक और आर्थिक जीवन का स्वामी होगा वह सम्पूर्ण राष्ट्र का भी स्वामी होगा। संसार में स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये न जाने कितने शहीद हुये हैं और वह साम्यवादी प्रकार की अर्थव्यवस्था वैयक्तिक स्वतन्त्रता का अपहरण करती है। अतः दोनों प्रकार के औद्योगीकरण घातक सिद्ध हुये हैं। मुझे इस बात में सन्देह है कि रूस ने स्वेच्छा से औद्योगीकरण का जितना मूल्य चुकाया है, अन्य देश शायद नहीं चुका सकेगा। क्या हम भी उसी प्रकार का औद्योगीकरण चाहते हैं, अथवा हम ऐसा औद्योगीकरण चाहते हैं जो भली प्रकार कार्य करे और जिससे किसी को भी हानि नहीं हो? अथवा हम ऐसा औद्योगीकरण चाहते हैं जिसमें अपार धनराशि लगानी पड़े? यदि आप अपार धनराशि वाला औद्योगीकरण चाहते हैं तो वह ऋण के द्वारा ही हो सकेगा जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण मिस्र है।

ऋण चाहे आपको अमरीका दे या रूस, किन्तु कुछ शर्तों पर ही मिलेगा; बिना उसके आपको ऋण नहीं मिल सकता।

जिस प्रकार का औद्योगीकरण आप करना चाहते हैं उसका तात्पर्य होगा नोट छाप कर वित्त व्यवस्था करना अर्थात् देश में मुद्रा स्फीति फैलेगी और लोगों की आर्थिक दशा खराब हो जायेगी। मु ा स्फीति के चिन्ह पहले से ही विद्यमान हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[अचार्य कृपालानी]

रूस में पहले साम्यवाद आया और उसके पश्चात् योजना जबकि हमारे यहां पहले योजना और राष्ट्रीयकरण आया और इसके बाद ऐसा साम्यवाद आना निश्चित है, जिसमें व्यक्ति को बिलकुल स्वतन्त्रता नहीं होगी। हमारे यहां तानाशाही होगी और औद्योगीकरण हो जाने के पश्चात् आगामी पंचवर्षीय योजना के बाद में ४० प्रतिशत उद्योग राज्य के हाथों में होंगे और इसके पांच वर्ष बाद ४० प्रतिशत और उद्योग राज्य के अधिकार में चले जायेंगे। जिसका तात्पर्य यह होगा कि सरकार की शक्ति बहुत बढ़ जायेगी और जिसे भी वह दबाना चाहेगी दबा देगी।

आज कल तो हमारी शैक्षिक प्रणाली और सारी कलाओं को पता नहीं कितनी अकादमी बनाकर केन्द्रीकृत किया जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह 'अकादमी' शब्द कहां से आ गया? सरकार पाठ्य-पुस्तकों का प्रकाशन स्वयं कराती है। बस एक तानाशाह की कमी थी वह भी पूरी हो गई है किन्तु उसमें तानाशाह वाले गुणों की कमी है। सरकार को सर्वाधिकारवादी बनने से कोई रोक नहीं सकता। अर्थ व्यवस्था को केन्द्रीभूत करने से शक्ति को भी केन्द्रीभूत करना होगा जिसका तात्पर्य लार्ड ऐक्टन के मतानुसार पूर्णरूपेण भ्रष्टाचार फैलाना होगा।

सरकार का कर्तव्य यह है कि वह हमें इस बात से सूचित कर दे कि वह प्रोत्साहन कहां से ले रही है, गांधी जी से अथवा अन्य किसी से, अर्थात् उसकी नीति औद्योगीकरण के बारे में क्या है? गांधी जी के मतानुसार सारे कारखाने अहमदाबाद में ही न होकर प्रत्येक गांव में कारखाना होना चाहिये। गांधी जी और विनोबा जी आज शारीरिक श्रम पर ज़ोर इसीलिये दे रहे हैं कि वह घर-घर और गांव-गांव में उद्योग स्थापित करना चाहते थे।

उद्योग का तात्पर्य केवल एक ही प्रकार के उद्योग से नहीं है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बढ़ी हुई जनसंख्या के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है क्योंकि योजना बनाने वाले उससे घबराते हैं।

४,८०० रुपये विनियोग किये जा रहे हैं। बड़े उद्योग में एक व्यक्ति के लिये १०,००० रुपये के मूल्य की मशीन चाहिये। हम जानते हैं कि अधिक मशीनों का सहारा आप इसलिये ले रहे हैं ताकि मज़दूर कम लगाने पड़े। यूरोप में मजदूरों को बचाने का प्रयत्न करना पड़ता है, किन्तु हमारे यहां अधिक से अधिक मज़दूर लगाने की बात सोचनी चाहिये। अमरीका और रूस आदि में जनसंख्या की दृष्टि से जो बात उचित समझी जा सकती है, भारत के लिये वह चीज़ बिल्कुल विपरीत हो सकती है। बेकारी की समस्या इस प्रकार कभी भी हल नहीं की जा सकती। मशीनीकरण हो जाने पर वैज्ञानिकन की बात कही जाती है और उसके बाद स्वतः क्रिया वाली स्थिति आ जायेगी जिसका तात्पर्य यह होगा कि जितने लोग अभी काम में लगे हैं उसकी केवल १/२० संख्या रह जायेगी। इस प्रकार बेकारी दूर नहीं की जा सकती। जिन लोगों को हटाना चाहिये सरकार में उन्हें हटाने का साहस तो है नहीं।

मंत्रियों की तो बात ही जाने दीजिये। कार्यालयों के कुछ क्लर्कों तक को हटाने की हिम्मत सरकार में नहीं है जब कि उस के पास काम न होने से कार्यालय का अनुशासन भंग होता है। अतिरिक्त लोगों को रखने की अपेक्षा थोड़े ही लोगों को रखकर उन्हें अतिकाल मजदूरी देना अच्छा है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इतने विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर चर्चा करते समय माननीय सदस्य ये सब बातें कह सकते हैं।

†**आचार्य कृपालानी** : तब मुझे ये सब बातें फिर से दुहरानी पड़ेंगी। बेचारे मंत्री श्री रेड्डी कर ही क्या सकते हैं? वह नीति भी तो नहीं निश्चित करते हैं।

†**श्री क० च० रेड्डी** : हम नीति निर्धारित करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**आचार्य कृपालानी** : मैं मान लेता हूं कि वह ऐसा करते हैं, किन्तु पहले वाले वित्त मंत्रियों की भांति जब वह त्यागपत्र देंगे तब पता चल जायगा कि वह क्या करते थे। मुझे यह बच्चों वाली कहानी न सुनाइये, मैं इन बातों में नहीं आ सकता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : आज हमें खादी और ग्रामोद्योगों पर चर्चा से ही सन्तुष्ट रहना चाहिये।

†**आचार्य कृपालानी** : कुछ भी हो सरकार को अपनी नीति बतानी चाहिये कि वह किस प्रकार का औद्योगीकरण करना चाहती है। हमें खादी के बारे में व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहियें। गांधी जी की योजनाओं को अस्वीकार करने से कोई हानि नहीं होगी किन्तु आपको स्पष्ट रूप से यह मानना होगा कि हम बड़े उद्योगों का समर्थन करते हैं। राज्य के अधीन रख कर बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं, यह आप स्पष्ट शब्दों में क्यों नहीं कह देते? मुझे तानाशाही के बारे में कोई आपत्ति नहीं है किन्तु मैं जानना चाहता हूं कि सरकार चाहती क्या है? आयोग की नियुक्ति से पूर्व मैं सरकार का उद्देश्य अवश्य जान लेना चाहता हूं। यदि युद्ध संबंधी सामान का उत्पादन नहीं होता है तो अमरीकी अर्थ व्यवस्था बिलकुल असफल रहेगी। इससे उत्पादन बढ़ता जाता है जब कि क्रयशक्ति नहीं बढ़ती।

क्रयशक्ति उत्पादन के साथ साथ नहीं चलती है। अपना इरादा बताइये तब समिति नियुक्त कीजिये। क्या खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड सरकार द्वारा स्थापित किया गया था?

†**श्री क० च० रेड्डी** : हां, सरकार के संकल्प द्वारा स्थापित किया गया था।

†**आचार्य कृपालानी** : क्यों न इस वर्तमान बोर्ड को ही एक संविहित समिति बना दिया जाये अन्य समिति की क्या आवश्यकता है? सरकार सब नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहती है। इसे किसी लोकोपकारक व्यक्ति पर या गांधीजी के अनुयायियों पर भी विश्वास नहीं है, इसलिये वह सब काम स्थायी सेवाओं के अधीन लाना चाहती है। खादी के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति इस समिति में लिये गये हैं। अतः अब दूसरी समिति नियुक्त करने का कोई लाभ नहीं है। इन दोनों समितियों के झगड़े होंगे और अन्ततोगत्वा गांधीवादी लोग पश्चिमी ढंग के प्रशासन के दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अब भी खादी बोर्ड की शिकायत है कि एक ओर तो सरकार अम्बर चरखे को संरक्षण दे रही है और दूसरी ओर हाथकरघों का मशीनीकरण करना चाहती है। ऐसी नीति से कोई लाभ नहीं है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस विधेयक के पीछे क्या नीति है। प्रधान मंत्री यथा-शीघ्र देश का औद्योगीकरण करना चाहते हैं और लोगों से प्रतिज्ञा करते हैं कि शीघ्र ही जीवन स्तर ऊंचा उठेगा और श्रमिकों को उनकी उचित मजूरी आदि मिलेगी। परन्तु आश्चर्य की बात है कि हमसे पेट पर पट्टी बांधने के लिये कहा जाता है। यदि सरकार औद्योगीकरण ही करना चाहती है तो गांधी जी की बातों को एक किनारे रख दीजिये, परन्तु सरकार की नीति में स्पष्ट वादिता होनी चाहिये।

दामोदर घाटी में हजारों कर्मचारी सेवायुक्त हैं, जो अब कुछ भी नहीं कर रहे हैं। परन्तु देश के प्रान्तीयता के रोग से ग्रस्त होने के कारण उन कर्मचारियों को अन्यत्र नहीं भेजा जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक राज्य अपने राज्य के ही लोगों को रखना चाहता है। यदि अर्थ व्यवस्था केन्द्रित हो और देश को एक एकक माना जाए, तो देश का शीघ्र विकास हो सकता है। अभी तो जितना द्वेष राज्यों के पुनर्गठन से फैला है उस से कहीं अधिक द्वेष उस समय फैलेगा जब किसी स्थान पर तो बड़े बड़े उद्योग होंगे और कहीं पर नहीं होंगे। यदि हम उद्योगों का विकेन्द्रीकरण करें, तो सब स्थानों पर फैक्टरियां स्थापित हो सकती हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले उन लोगों से पूछ लीजिये जो सरकार की नीति अन्तिम रूप से निर्धारित करते हैं, अन्यथा इस प्रकार की समितियां काम नहीं कर सकेंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राघवाचारी** : हमारे स्वतंत्रता संग्राम का यह उद्देश्य था कि नियंत्रण की पूरी शक्ति राज्य के पास होगी और जनता की भलाई के लिये उसका उपयोग किया जायेगा।

स्वामी रामानन्द तीर्थ ने कहा है कि सरकार गांधी दर्शन का अनुसरण नहीं कर रही है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग विधेयक का उद्देश्य देश से और सरकार से गांधी जी द्वारा बताई गई नीति का अनुसरण कराना था। आचार्य जी ने कहा है कि बड़े पैमाने के सकेन्द्रित उद्योगों को प्रोत्साहन देते रहने से ग्राम और छोटे पैमाने के उद्योग पनप नहीं सकेंगे। मैं इससे सहमत हूं।

जब से सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति आरम्भ की है स्वदेशी आन्दोलन समाप्त हो गया है। स्वदेशी को प्रोत्साहन होना तो दूर रहा सरकार ने विदेशी ढंग के उद्योग चालू कर दिये हैं। उसका रूप भी विदेशी है और वैसा ही बड़े पैमाने पर उत्पादन है। इन उद्योगों के लिये बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट स्थापित किये जा रहे हैं और उनमें करोड़ों रुपये लगाये जा रहे हैं। इन सब की तुलना में खादी तथा ग्रामोद्योग पर साधारण सी राशि खर्च की गई है। निस्संदेह इस के लिये हम उनके कृतज्ञ हैं किन्तु जैसा आचार्य कृपलानी ने कहा था दोनों में विसंगति है तथा दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का उद्देश्य स्तुत्य है। अधिक रोजगार की उत्पत्ति सराहनीय कार्य है किन्तु वास्तविक कठिनाई इस प्रकार की वस्तुओं के लिये उचित मंडी ढूंढने में है। जब तक इन चीजों को खरीदने वाला नहीं मिलता भविष्य अंधकारमय है।

अतः बुद्धिमत्ता इस बात में है कि देश में उत्पादित वस्तुओं की खपत बढ़ाई जाये। मंत्री महोदय कहेंगे कि बढ़िया किस्म की चीजों की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों की संतुष्टि का भी तो प्रश्न है और फिर आयात शुल्क के रूप में कुछ राशि मिलती है। किन्तु यदि स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में यदि हमें उन्नति करना है तो हमें उपभोक्ताओं को स्वदेशी वस्तुओं की ओर आकर्षित करना होगा। उनकी इच्छा को संतुष्ट करने में हानि नहीं है किन्तु उन के हृदय में स्वदेशी की इच्छा पैदा होनी चाहिये। अब तक कोई बिना किसी संविहित प्राधिकार के कार्य कर रहा था किन्तु अब सरकार आयोग की स्थापना के उद्देश्य से यह व्यवस्था प्रस्तुत कर रही है। अब बोर्ड को एक संविहित आयोग का रूप दिया जा रहा है, यह एक अच्छी बात है। क्योंकि अब इसे अपनी नीति बदलते समय संसद् के सामने उसकी व्याख्या करनी होगी और उत्तर देना होगा। अतः यह महत्वपूर्ण मामला ह। सरकारी नीति में मंत्रियों की व्यक्तिगत इच्छाओं और रुचियों के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। मैंने पहले या दूसरे वर्ष, आयव्ययक संबं ी चर्चा के समय ग्रामोद्योगों के प्रभारी मंत्री से कहा था कि उन्हें अपनी नीति ही नहीं अपितु दृष्टिकोण में भी परिवर्तन करना होगा। क्योंकि उन्हें विदेशी बड़े पैमाने के उद्योगों में रुचि थी। अतः उनसे इस संबंध में रुचि दिखाने की अधिक आशा नहीं की जा सकती थी। उन्हों ने विश्वास दिलाया कि विकेन्द्रिकरण और छोटे उद्योग अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं अतः वह उन्हें सर्वाधिक प्राथमिकता देने का विचार कर रहे हैं। इस के पश्चात इस बोर्ड की स्थापना हुई। अतः जब तक देश और सरकार को संविधि के द्वारा बाध्य नहीं किया जाता है तब तक परिवर्तन होते रहने की संभावना है। यदि कोई गांधीवादी मंत्री होगा तो वह अपने विचारों के लोगों को इस काम पर लगा कर कुछ कर के दिखाएगा। यदि प्रभारी मंत्री को इस में विश्वास नहीं होगा तो वह आयोग के नाम पर लोगों को नियुक्त करके दूसरे कामों को प्रोत्साहन देगा। यह विधेयक सरकार को और देश को एक विशिष्ट नीति अपनाने के लिये बाध्य करता है, अतः उस सीमा तक हम इसका स्वागत करते हैं।

जिन उद्योगों पर यह विधेयक लागू होगा वे अनुसूची में दिये गये हैं। खंड ३ के उपबन्धों के अनुसार दूसरे उद्योगों को भी अनुसूची में सम्मिलित किया जा सकता है। वर्तमान मंत्री को गांधीवाद में कुछ विश्वास है और सौभाग्य की बात है कि वह इस का नियंत्रण और प्रबन्ध करेंगे। मैं उनसे अपील करता हूं कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों को भी अनुसूची में सम्मिलित किया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

जब तक इन उद्योगों द्वारा बनाई गई वस्तुओं के बाजार में बिकने योग्य और काम में लाने योग्य नहीं बनाया जाता, तब तक कागजी नीति और आयोग की नियुक्ति का कोई लाभ नहीं होगा । गावों में इनका उपयोग तभी बढ सकता है जब इन के दाम कम हों । नगरों की जनता को विदेशी या बढ़िया वस्तुओं का शौक है । इस का परिणाम ये होता है कि हम लोग खद्दर तो पहनते हैं, परन्तु हमारे नेता कहते हैं कि खद्दर महंगा है । जब ऐसी बात है तो खद्दर की टोपी लगा कर संसार को धोखा देने से क्या लाभ है ? मैं समझता हूं कि चूंकि खद्दर उद्योग के निर्धन को रोजगार मिलता है अतः यह एक ठोस उद्योग है ।

जब तक अपनी वस्तुओं के लिये देश में और बाहर लोगों की रुचि नहीं बनाई जाती है तब तक विधेयक का उद्देश्य पूरा नहीं होगा । अमेरिका में हथकरघा वस्तुओं की बहुत मांग है । फिर भी हम शक्तिचालित करघों को प्रोत्साहन देने जा रहे हैं, हथकरघों को नहीं । प्रति दिन सदस्य इस बात पर जोर देते हैं कि अम्बर चर्खा और तकलियों की संख्या बढ़ाई जाए, परन्तु मंत्रालय कहते हैं कि यदि शक्तिचालित करघों की संख्या नहीं बढ़ाई गई, तो लोगों को पहनने को कपड़ा नहीं मिलेगा । सरकार की नीतियों में इतनी विभिन्नता है । सरकार की एक नीति होनी चाहिये कि हथकरघों, अम्बर चर्खा और तेल की घानियों को प्रोत्साहन दिया जाये । इन वस्तुओं की खपत की व्यवस्था किये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है । अतः मैं विधेयक का स्वागत करता हूं । खद्दर वस्त्र स्वावलम्बन का सिद्धांत बहुत अच्छा है परन्तु क्या यह व्यवहार्य हो सकेगा ? स्वदेशी अवलम्बन का सिद्धांत भी अच्छा है । यदि मिलों में कपड़ा बनाया ही न जाये, तो लोगों को अपने आप कपड़ा बना कर पहनना होगा । इस प्रकार स्वदेशी को प्रोत्साहन दिया जा सकता है । यदि ऐसा न किया गया तो ये आयोग पनप नहीं सकते हैं ।

मैं माननीय मंत्री और नवीन बोर्डों से आशा करता हूं कि वे गांवों में अधिक काम धंधे की व्यवस्था करेंगे, और ये काम धंधे कृषि उत्पाद पर आधारित होने चाहियें । मैं इन आशाओं की पूर्ति की आशा करता हूं । इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : क्या इस विधेयक को आज ही पूरा करने का विचार है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इसे आज ही पूरा किया जायेगा । माननीय सदस्य अधिक समय तक बैठने को तैयार हैं । अब माननीय मंत्री उत्तर देंगे ।

†**श्री क० च० रेड्डी** : मैंने ध्यानपूर्वक माननीय सदस्यों द्वारा कही हुई बातों को सुना है । मैं सभा का अधिक समय लेना नहीं चाहता क्योंकि सभा ने आज ही विधेयक के सब वाचनों को समाप्त करने का निर्णय किया है । मुझे खेद है आचार्य कृपालानी इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं ।

†**आचार्य कृपालानी** : मैं यहीं पर हूं ।

†**श्री क० च० रेड्डी** : जब मैं विधेयक पर विचार किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय कारणों की व्याख्या कर रहा था, तब वह उपस्थित नहीं थे ।

सभा के समक्ष उन्होंने नीति संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में जो बातें उठाई थीं, उनका उत्तर देने का यह अवसर नहीं है । मैं एक या दो वाक्यों में यह उत्तर देना पसंद करूंगा कि देश के औद्योगीकरण के बारे में, भारी उद्योगों या विकेन्द्रित उद्योगों या खादी और ग्रामोद्योगों के बारे में, सरकार की जो औद्योगिक नीति है, वह भारतीय औद्योगिक नीति संकल्प में बता दी गई है, जिसे सभा-पटल पर रखा गया था, और जिसे इस वर्ष अप्रैल में प्रधान मंत्री द्वारा पढ़ कर सुनाया गया था ।

मैं लोक-सभा का ध्यान द्वितीय पंचवर्षीय योजना की ओर आकर्षित करूंगा । शीघ्र ही उस पर इस सभा में चर्चा होगी । उस अवसर पर उन सामान्य और नीति संबंधी मामलों पर विचार किया जा सकेगा कि जिनका आचार्य कृपालानी ने उल्लेख किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री क० च० रेड्डी]

जहां तक मेरा विचार है यह विधेयक भारत सरकार के औद्योगिक नीति संकल्प और लोक-सभा तथा देश के समक्ष रखी गई द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सर्वथा अनुकूल है। उन्होंने जो बातें कही हैं संक्षेप में उनका उत्तर यही है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक पर सभी अवस्थाओं पर योजना आयोग तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ काफी चर्चा की गई है। मेरे माननीय मित्र आचार्य कृपालानी ने कहा कि मैं इस विधेयक को वापस ले लूं, योजना आयोग और अन्य उच्च व्यक्तियों से परामर्श करने और फिर लोक-सभा में एक पुनरीक्षित अथवा कोई अन्य विधेयक लाऊं। मेरा उत्तर बड़ा साधारण है कि यह सब किया जा चुका है और योजना आयोग अथवा किसी अन्य अभिकरण अथवा प्राधिकारी के पास विधेयक में रूपभेद करने के विचार से जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

इस प्रकार इसके हर एक पहलू पर काफी सोच विचार करने के पश्चात् यह विधेयक लोक-सभा के समक्ष रखा गया है।

लोगों को यह आशंका है अथवा वे यह कल्पना करते हैं कि सरकार उन लोगों पर, जो खादी और ग्रामोद्योगों के संबंध में बहुत अनुभव रखते हैं और जिन्हों ने खादी और ग्रामोद्योगों के विकास के लिये अपना जीवन ही दे दिया है, कुछ अनिवार्यता लागू कर रही है, इस बारे में भी मैं यह कहना चाहता हूं अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड और उसके सभापति से कई बार इस विधेयक के उपबन्धों के संबंध में चर्चा की जा चुकी है, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड इस विधेयक के उपबन्धों से सहमत है। मैं लोक-सभा को अवगत करना चाहता हूं कि लगभग गत छः मास में मुझे खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के सभापति से इस बारे में कई पत्र मिले हैं जिन में कहा गया है कि हमें इस विधेयक को पारित करने के लिये शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये। दूसरे शब्दों में खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के सभापति और समूचा बोर्ड लोक-सभा द्वारा इस विधेयक के पारित किये जाने की प्रतीक्षा करते रहे हैं। और उन्हें आशा है कि यह विधेयक दोनों सदनों में पारित हो जायेगा और इसे राष्ट्रपति की अनुमति भी प्राप्त हो जायेगी। इस से पता चलेगा कि जहां सामान्य बातों का संबंध है हमें खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की सहमति प्राप्त हो गई है।

वाद-विवाद के समय और कई बातें कही गई थीं। उन सब के उत्तर देना तो मेरे लिये संभव नहीं है परन्तु मैं दो तीन महत्वपूर्ण बातों के बारे में कहूंगा। यह कहा गया था कि बोर्ड के होते हुये आयोग की क्या आवश्यकता थी, एक सदस्य ने यह भी कहा था कि ऐसे महत्वपूर्ण मामले में द्वैधराज्य की भी स्थिति क्यों हो? अपने पहले के एक भाषण में मैं यह बात स्पष्ट कर चुका हूं कि आयोग की और एक अलग बोर्ड की क्यों आवश्यकता थी। मैं ने कहा था कि परामर्श संबंधी कार्य को कार्यपालिका विषयक उत्तरदायित्व से अलग रखा जाना चाहिये और परामर्श संबंधी कृत्य उस बड़े बोर्ड को सौंपे जाने चाहियें जिसे कि हम बनाना चाहते थे और एक सुदृढ़ आयोग—जब कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों का संबंध हो तो सुदृढ़ता अत्यन्त आवश्यक है—कार्यपालिका कार्यों का प्रभारी हो। दोनों में मतभेद होने की कोई संभावना नहीं है और यदि आपको यह भय है कि इन में झगड़ा रहेगा और कुछ समय के पश्चात् यह काम नहीं कर सकेंगे तो यह एक बड़ा ही निराशावादी दृष्टिकोण होगा।

लोगों के मन में एक यह भी आशंका है कि इस आयोग में भारतीय सिविल सर्विस अथवा भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी रखे जायेंगे, और मंत्रणा बोर्ड जिसमें खादी और ग्रामोद्योग का अनुभव रखने वाले व्यक्ति होंगे, और आयोग में, जो विभिन्न प्रकार का होगा, झगड़े होते रहेंगे—अर्थात् तेल और पानी मिलाया नहीं जा सकेगा। मुझे ऐसा कोई डर नहीं है। यह मैं जानता हूं कि आयोग का गठन किस प्रकार का होगा, परन्तु मैं कभी यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि खादी और ग्रामोद्योग का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को, जिन्हों ने इस महान कार्य के लिये अपना जीवन दे दिया है, इस आयोग का सदस्य नहीं बनाया जायेगा। वे आयोग के सदस्य न बन सकते

†मूल अंग्रेजी में

हैं इसका मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता। संभव है कि इस प्रकार का अनुभव प्राप्त कुछ व्यक्ति आयोग के सदस्य होंगे ; यह भी संभव है कि एक या दो काफी अनुभव प्राप्त प्रशासनिक पदाधिकारी भी आयोग के सदस्य होंगे, अतः इसी समय कोई पूर्वधारणा बनाना और उसके बारे में टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। सरकार और मेरा यही प्रयत्न रहेगा कि आयोग और मंत्रणा बोर्ड का गठन इस प्रकार से किया जाये कि वे इस अधिनियम में अन्तर्गत सौंपे गये अपने कृत्यों को शान्तिपूर्ण रीति से और परस्पर सहयोग के साथ निबटा सकें। इस बात की मुझे पूरी आशा है।

मैं पहले भी कह चुका हूं कि यह बोर्ड आज की अपेक्षा एक बहुत बड़ा निकाय होगा। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया बोर्ड में उद्योगों को भी कुछ प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। राज्यों और राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को भी प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। इस प्रकार बोर्ड में २० अथवा २५ सदस्य होने की आशा है। इस समय केवल १५ सदस्य हैं। इतना बड़ा निकाय, जिनमें विभिन्न हितों के प्रतिनिधि होंगे, कार्यक्रम के परिपालन का भार अपने कंधों पर कैसे ले सकता है। मुझे यह व्यवहार्य दिखाई नहीं देता। यह भी संभव नहीं है। इसी कारण इस आयोग को बनाने की प्रस्थापना की गई है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि यदि वर्तमान रूप में यह विधेयक पारित कर दिया गया तो इसका परिणाम केन्द्रीयकरण होगा। संभवतः श्री शर्मा ने ही यह बात कही थी। इसका उत्तर श्री रामानन्द तीर्थ दे चुके हैं कि इस विधेयक से विकेन्द्रीयकरण में कोई अड़चन पैदा नहीं होगी और इस संबंध में आशंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

मेरा विचार है कि वित्तीय परामर्श के संबंध में शर्माजी को जो अनुभव हुआ है उस से वह प्रसन्न नहीं हैं, वित्तीय मंत्रणाकारों की योग्यता पर यह संदेह क्यों किया जाये कि वे वित्तीय और राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने के लिये कार्यवाही नहीं करेंगे। इसका मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता। अल्प अनुभव के आधार पर इस प्रकार की सामान्य बातें कहना मैं ठीक नहीं समझता।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की भर्ती करने के लिये एक समिति होनी चाहिये। समवाय अधिनियम के अन्तर्गत हमारे अधिकतम उपक्रमों और इस प्रकार के निगमों में चुनाव समितियां बनाई हुई हैं और वे स्वयं अपनी प्रक्रिया का अनुसरण करके नियुक्तियां करते हैं। इस बार में किसी माननीय सदस्य को किसी प्रकार की कोई आशंका नहीं होनी चाहिये।

वाद-विवाद के समय ब्योरे संबंधी बहुत सी बातें कही गई हैं और इस समय मैं उन सब का उत्तर देना नहीं चाहता। परन्तु जो प्रश्न उठाया गया था और जिस पर आप ने विनिणय दिया था उसके संबंध में मैं कुछ शब्द कहूंगा। इस विधेयक में उल्लिखित उद्योग प्रायः सभी या तो समवर्ती सूची की प्रविष्टि ३३ में या उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की कुछ विशिष्ट प्रविष्टियों के अन्तर्गत आ जाते हैं। यदि कोई मद इन में से किसी के भी अन्तर्गत नहीं आती है तो वह दिया-सिलाई बनाने का कुटीर उद्योग ही है। परन्तु सरकार को इस बात का संतोष है कि यह विधेयक संघ सूची की प्रविष्टि ४४ से संबंधित है और सरकार इस पर दृढ़ रहेगी।

अब मैं सिफारिश करता हूं कि लोक-सभा सर्वसम्मति से मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर ले।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खादी और ग्रामोद्योग के विकास तथा इस से सम्बद्ध अन्य मामलों के लिये एक आयोग की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में।

खंड २ (परिभाषायें)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ १, पंक्ति १३ में से शब्द "All-India" ["अखिल भारतीय"] निकाल दिये जायें।

—[श्री क० च० रेड्डी]

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि :

"खंड २, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ३, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ४ (आयोग की स्थापना और गठन)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ २, पंक्ति २० में से शब्द "All-India" ["अखिल भारतीय"] निकाल दियें जायें।

—[श्री क० च० रेड्डी]

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि :

"खंड ४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ४, संशोधित रूप में, विधेयक में जो दिया गया।

खंड ५, विधेयक में जोड़ दिया गया।

नया खंड ५ क

†**श्री क० च० रेड्डी :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २, पंक्ति ३२ के पश्चात् यह जोड़ा जाये।

"**5 A. Financial Adviser of the Commission :** The Central Government shall appoint a person, not being a member, to be the Financial Adviser to the Commission."

["**५ क. आयोग का वित्तीय सलाहकार** : केन्द्रीय सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को, जो आयोग सदस्य न हो, आयोग का वित्तीय सलाहकर नियुक्त करेगी।"]

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ २, पंक्ति ३२ के पश्चात यह जोड़ दिया जाये :

"**5 A. Financial Adviser of the Commission :** The Central Government shall appoint a person, not being a member, to be the Financial Adviser to the Commission."

["**५ क. आयोग का वित्तीय सलाहकार** : केन्द्रीय सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को, जो आयोग सदस्य न हो, आयोग का वित्तीय सलाहकर नियुक्त करेगी।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"खंड ५ क विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ५ क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ६ से ८ विधेयक मे जोड़ दिये गये।

खंड ९ (बोर्ड का गठन)

संशोधन किया गया : पृष्ठ ३, पंक्ति १८ में से शब्द "All-India" ["अखिल भारतीय"] निकाल दिया जाये। —[**श्री क० च० रेड्डी**]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि:

"खंड ९, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ९, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड १० और ११ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड १२ (सभापति की पदावलि तथा सेवा की शर्तें आदि)

संशोधन किया गया : पृष्ठ ४, पंक्ति २ में शब्दों "other members" ["अन्य सदस्यों"] के पश्चात् "and of the Financial Adviser to the Commission" ["और आयोग के वित्तीय सलाहकार के"] शब्द जोड़े जायें।

—[**श्री क० च० रेड्डी**]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

" खंड १२, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १२ संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड १३ से २४ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड २५ (नियम बनान की शक्ति)

†**श्री क० च० रेड्डी** : मै प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ ८, पंक्ति १५ में शब्द "other members" ["अन्य सदस्यों"] के पश्चात् शब्द "and of the Financial Adviser to the Commission" ["और आयोग के वित्तीय सलाहकार के"] शब्द जोड़े जायें;

(२) पृष्ठ ८, पंक्ति २६ के अन्त में शब्द "and the Financial Adviser to the Commission" ["और आयोग का वित्तीय सलाहकार"] शब्द जोड़ दिये जायें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शायद श्री खू० चं० सोधिया अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री खु० चं० सोधिया** : मैं अपना संशोधन संख्या १२ प्रस्तुत करना चाहता हूं। आय-व्ययक के समय मैं इसके स्वीकृत किये जाने का आग्रह करूंगा। संशोधन का आशा यह है कि इस धारा के अन्तर्गत बनाये गये नियम संसद् के समक्ष रखे जायें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शायद सरकार इसे स्वीकार कर रही है।

†**श्री क० च० रेड्डी** : वर्तमान रूप में मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर रहा हूं। मैं इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके इसे स्वीकार करने के लिये तैयार हूं, और इस से माननीय सदस्य को संतोष हो जायेगा। यह हाल ही में पुर:स्थापित किये गये अधीनस्थ विधान की व्यवस्था करने वाले विधान में ऐसे ही खंडों के अनुकूल है।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ६, पंक्ति ३ के पश्चात् यह जोड़ दिया जाये :

"(3) All rules made under this section shall be laid for not less than thirty days before both Houses of Parliament as soon as possible after they are made and shall be subject to such modifications as Parliament may make during the session in which they are so laid or the session immediately following."

["इस धारा के अन्तर्गत बनाये गये सब नियम बनाये जाने के पश्चात यथासम्भव शीघ्र ३० दिन से अनाधिक कालावधि के लिये संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जायेंगे और संसद उस सूत्र में जिसमें कि वे रखे गये हों अथवा उसके तुरन्त पश्चात् वाले सूत्र में उनमें रूपभेद कर सकेगी"]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं तीनों संशोधन मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ८, पंक्ति १५ में शब्द "other members" ["अन्य सदस्यों"] के पश्चात् शब्द "and of the Financial Adviser to the Commission" ["और आयोग के वित्तिय सलाहकार के"] रखे जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ८, पंक्ति २६, के अन्त में शब्द "and the Financial Adviser to the Commission" ["और आयोग का वित्तिय सलाहकार"] बढ़ा दिये जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ६, पंक्ति ३ के पश्चात् यह बढ़ा दिया जाये।

"(3) All rules made under this section shall be laid for not less than thirty days before both Houses of Parliament as soon as possible after they are made and shall be subject to such modifications as Parliament may make during the session in which they are so laid or the session immediately following."

["इस धारा के अन्तर्गत बनाये गये सब नियम बनाये जाने के पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र ३० दिन से अनाधिक कालावधि के लिये संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जायेंगे और संसद् उस सूत्र में जिसमें कि वे रखे गये हों अथवा उसके तुरन्त पश्चात् वाले सूत्र में उनमें रूपभेद कर सकेगी।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"खंड २५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २५, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड २६, (विनियम बनाने की शक्ति)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ ९, पंक्ति १३ में शब्द "The secretary" ["सचिव"] के पश्चात शब्द "and the Financial Adviser to the Commission" ["और आयोग का वित्तीय सलाहकार"] रखे जायें ।

—[**श्री क० च० रेड्डी**]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"खंड २६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २६, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

खंड १, (संक्षिप्त नाम तथा विस्तार)

संशोधन किये गये :

(१) पृष्ठ १, पंक्ति ५ में से शब्द "All India" ["अखिल भारतीय"] निकाल दिये जायें ।

(२) पृष्ठ १, पंक्ति ६ में अंक "1955" ["१९५५"] के स्थान पर अंक "1956" ["१९५६"] रखा जाये ।

—[**श्री क० च० रेड्डी**]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"खंड १, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ १, पंक्ति १ में शब्द "Sixth year" ["छटा वर्ष"] के स्थान पर शब्द "Seventh year" ["सातवां वर्ष"] रखे जायें ।

—[**श्री क० च० रेड्डी**]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री क० च० रेड्डी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इसके पश्चात् लोक-सभा, सोमवार, ३ सितम्बर, १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[शनिवार, १ सितम्बर, १९५६] पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव १७०५–०७

गृह-कार्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष ने एक स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी, जिसकी पूर्वसूचना श्री ही० ना० मुकर्जी ने दी थी और जो ३१ अगस्त, १९५६ को दिल्ली में हुए बम विस्फोट के परिणाम स्वरूप उत्पन्न कथित स्थिति के बारे में था ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . १७०७

निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखी गई :

(१) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १७८२ में दिनांक ११ अगस्त, १९५६ को प्रकाशित भारतीय सीमा प्रशासन सेवा नियम, १९५६ की एक प्रति ।

(२) देश में बाढ़ों की स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य की एक प्रति ।

राज्य-सभा से सन्देश १७०७–०८

(१) सचिव ने बताया कि राज्य-सभा ने अपने ३० अगस्त, १९५६ की बैठक में लोक-सभा द्वारा १३ अगस्त, १९५६ को पारित राष्ट्रीय राजपथ विधेयक को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

(२) सचिव ने यह भी बताया कि राज्य-सभा मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव से सहमत है ।

कार्य-मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत . १७०९

इकतालीसवा प्रतिवेदन स्वीकार किया गया ।

विधेयक पुरःस्थापित १७१०

जन प्रतिनिधान (तीसरा संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित किया गया ।

सरकारी संकल्प स्वीकृत . १७११–१८

संविधान के अनुछेद ३५६ के अन्तर्गत त्रावणकोर–कोचीन राज्य के सम्बन्ध में जारी की गयी उद्घोषणा को आगे जारी रखने के बारे में संकल्प पर और आगे विचार समाप्त हुआ । संकल्प स्वीकृत किया गया ।

पृष्ठ

विधेयक पारित १७१८–६०

निम्नलिखित विधेयकों पर विचार हुआ और उन्हें पारित किया गया।

(१) लोक ऋण (संशोधन) विधेयक ।

(२) भारतीय डाक-घर (संशोधन) विधेयक ।

(३) अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग विधेयक ।

सोमवार, ३ सितम्बर, १९५६ के लिये कार्यावलि—

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक पर विचार तथा उसका पारण ।

भा.स.मु.ना.—भाग ३—२४७ लोकसभा—२६-१२-५७—१९०